शैक्षिक मंथन

(द्विभाषी मासिक)

शैक्षिक क्षेत्र की प्रतिनिधि पत्रिका

वर्ष : 8 अंक : 4   1 नवम्बर 2015

(कार्तिक-मार्गशीर्ष, विक्रम संवत् 2072)

संरक्षक
मुकुन्द कुलकर्णी
प्रो.के.नरहरि

❖

परामर्श
डॉ. विमल प्रसाद अग्रवाल
प्रो. जगदीश प्रसाद सिंघल

❖

सम्पादक
प्रो. सन्तोष पाण्डेय

❖

उप सम्पादक
विष्णु प्रसाद चतुर्वेदी
भरत शर्मा

❖

संपादक मंडल
प्रो. नन्द किशोर पाण्डेय
डॉ. नाथू लाल सुमन
डॉ. एस.पी. सिंह
डॉ. ओमप्रकाश पारीक

❖

प्रबन्ध सम्पादक
महेन्द्र कपूर

❖

व्यवस्थापक
बजरंग प्रसाद मजेजी

प्रेषण प्रभारी
बसन्त जिन्दल
नौरंग सहाय भारतीय
कार्यालय प्रभारी
आलोक चतुर्वेदी 9782873467

प्रकाशकीय कार्यालय
82, पटेल कॉलोनी, सरदार पटेल मार्ग,
जयपुर (राज.) 302001
दूरभाष: 9414040403

दिल्ली ब्यूरो :
शैक्षिक महासंघ सदन, 606/13,
कृष्णा गली नं.9, मौजपुर, दिल्ली-110053
दूरभाष: 011-22914799

E-mail:
shaikshikmanthan@gmail.com
Visit us at:
www.shaikshikmanthan.com

एक प्रति 20/–   वार्षिक शुल्क 200/–
आजीवन (दस वर्ष) 1500/-

पृष्ठ संयोजन : सागर कम्प्यूटर, जयपुर

शैक्षिक मंथन मासिक में प्रकाशित सामग्री से संपादक मण्डल का सहमत होना आवश्यक नहीं है।

संविधान सभा में बाबा साहब के दिशाबोधक वक्तव्य

❑ हनुमान सिंह राठौड़

''क्या इतिहास अपने आप को दोहराएगा? यह विचार मुझे चिंता से भर देता है। इस तथ्य के अहसास से यह चिंता और भी गहरी हो जाती है कि जाति और मजहब के रूप में हमारे शत्रुओं के अतिरिक्त हमारे देश में भिन्न और विरोधी विचारधाराओं वाले राजनीतिक दल होंगे। क्या भारतीय भारत देश को अपने मत-पंथों से ऊपर रखेंगे या वे अपने मजहब को देश से ऊपर रखेंगे? मैं नहीं जानता। परन्तु इतना तो निश्चित है कि अगर समूह अपने मजहब को देश से ऊपर रखते हैं तो हमारी आजादी दूसरी बार खतरे में पड़ जाएगी... हम सबको दृढता से उस सम्भाव्यता से अपनी रक्षा करनी चाहिए। अपने रक्त की अंतिम बूंद तक हमें अपनी स्वतंत्रता की रक्षा के लिए कृतसंकल्प होना चाहिए।''

6

अनुक्रम

4. सामाजिक, शैक्षिक समानता व अम्बेडकर – सन्तोष पाण्डेय
10. संविधान की पुनर्रचना जरूरी – साकेन्द्र प्रताप वर्मा
13. अम्बेडकर का सामाजिक-सांस्कृतिक दर्शन – बजरंग प्रसाद मजेजी
17. भारतीय संविधान और शिक्षा व्यवस्था – विष्णुप्रसाद चतुर्वेदी
19. बाबासाहब का शैक्षिक चिन्तन – प्रो. मधुरमोहन रंगा
21. मरने से कैसे बचे मातृभाषा – आशीष कुमार 'अंशु'
31. Wake Up, They're Leaving! - Asit K Biswas & Kris Hartley
33. Why edtech startups will be .... - Anand J& Shalina Pillai
35. भारत में वैज्ञानिक अनुसंधान के जनक महेन्द्रलाल... – विष्णुप्रसाद चतुर्वेदी
37. शैक्षिक समाचार
39. गतिविधि

अम्बेडकर का दर्शन एवं प्रासंगिकता

❑ बजरंगी सिंह

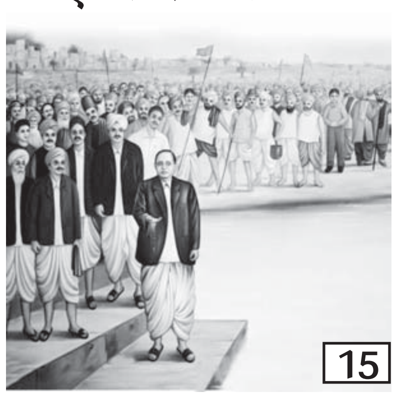

अम्बेडकर ने अस्पृश्यता के निराकरण के लिए केवल सैद्धान्तिक दृष्टिकोण ही प्रस्तुत नहीं किया अपितु उन्होंने अपने विभिन्न आन्दोलनों व कार्यों से लोगों में चेतना जाग्रत करने और उसके निराकरण के लिए विभिन्न सुझाव भी दिए। उनका मानना था कि हिन्दू समाज में स्वतंत्रता, समानता तथा न्याय पर आधारित व्यवस्था स्थापित करने के लिए कठोर नियमों में संशोधन आवश्यक है। उनके अनुसार उन शास्त्रों को आधिकारिक नहीं माना जाना चाहिए जो सामाजिक अन्याय का समर्थन करते हैं।

15

सामाजिक, शैक्षिक समानता व अम्बेडकर

❑ सन्तोष पाण्डेय

संपादकीय

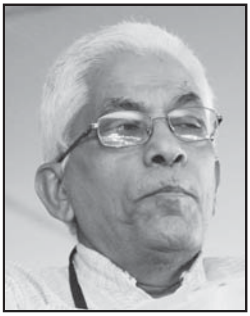

डॉ. अम्बेडकर प्रखर राष्ट्रभक्त थे। भारत की पराधीनता से व्यथित डॉ. अम्बेडकर एक ऐसे समाज की कल्पना करते थे जिसमें किसी भी प्रकार की सामाजिक व आर्थिक असमानता न हो। धार्मिक, आर्थिक व सामाजिक समानता द्वारा ही राष्ट्रीय एकीकरण की कल्पना करते थे। वे धर्म विरोधी नहीं थे। प्रजातन्त्र व संसदीय व्यवस्था के सफल संचालन के लिये डॉ. अम्बेडकर धर्म को आवश्यक मानते थे क्योंकि उनका विश्वास था कि धर्म व अध्यात्म से ही शील व सदाचार पनपता है। अतः व्यक्ति का धर्मनिष्ठ होना वे आवश्यक समझते थे।

बाबा साहब डॉ. भीमराव अम्बेडकर परम राष्ट्रभक्त व संविधान विधिवेत्ता के साथ-साथ सामाजिक समरसता व शिक्षा के क्षेत्र में समानता को लाने के प्रखर पक्षधर थे। भारत के संविधान निर्माण में उनका योगदान अतुलनीय है। संविधान के माध्यम से अम्बेडकर ने एक ऐसे स्वतंत्र व स्वाभिमानी राष्ट्र की कल्पना को यथार्थ रूप दिया जिसमें समाज के सभी वर्गों, जातियों व धर्मों को समान अधिकार व अवसर प्राप्त हो। सभी को शिक्षा के समान अवसर उपलब्ध कराकर वे एक ऐसे भारतीय राष्ट्र की कल्पना करते हैं जो पुनः किसी भी प्रकार की पराधीनता का शिकार नहीं बने। इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये भारतीय संविधान में सामाजिक समरसता के लक्ष्य को दृष्टिगत रख कर ऐसे दूरगामी प्रभाव वाले प्रावधान सम्मिलित कराये जिनसे सभी को शिक्षा में समान अवसर द्वारा सामाजिक, आर्थिक समानता की स्थापना हो सके। भारत के संविधान को लागू हुये 65 वर्ष हो गये हैं। इस लम्बे कालखण्ड में भारतीय संविधान को नाना प्रकार के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक झंझावातों का सामना करना पड़ा है। संविधान की भावना व राज्य के नीति निर्देशक तत्त्वों के अनुरूप देश में कानून बनाये गये हैं। समय के साथ बदलती परिस्थितियों के अनुरूप संविधान को ढालने की दृष्टि से यद्यपि एक सौ से अधिक संविधान संशोधन किये गये हैं परन्तु संविधान की मूल भावना व नीति निर्देशक तत्त्वों को अक्षुण्ण रखा गया है। इससे ऐसा भाव आना सम्भव है कि बाबा साहब डॉ. भीमराव अम्बेडकर की प्रासंगिकता आज की परिस्थितियों में चुक चुकी है। परन्तु क्या यह एक वास्तविकता है। उत्तर नहीं में ही आता है। आज भारत सभी क्षेत्रों में भारी प्रगति कर चुका है और उभरती वैश्विक शक्ति के रूप में स्थापित होने की ओर अग्रसर है। तदपि वर्तमान में अनेकों ऐसी चुनौतियाँ विद्यमान है, जो स्वतंत्रता पूर्व भी प्रभावी थी और आज भी उसी तीव्रता से विद्यमान है। ये चुनौतियाँ 2014 में 30 वर्ष बाद पहली स्पष्ट बहुमत वाली सरकार के बनने से लेकर 2015 के बिहार विधान सभा निर्वाचन के समय प्रचण्ड वेग से सामने आयीं हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के 68 वर्षों में देश की राजनीतिक व सामाजिक व्यवस्था ऐसी रूढ़ बन गयी है कि स्थापित व्यवस्था में नयी राजनीतिक व्यवस्था द्वारा प्रारंभ किये गये नीतिगत परिवर्तनों को स्वीकार कर पाना सहज नहीं हो पा रहा है। परिणाम है कि देश में भारी असंतोष, धार्मिक, सामाजिक, जातिगत, सम्प्रदाय आधारित भेदभाव व असहिष्णुता का कृत्रिम आभास कराने का प्रयास चल रहा है। संवैधानिक व्यवस्थाओं के दायरे में रहते हुये इस प्रकार के कृत्रिम आभास कराने के प्रयासों को असफल करने में डॉ. अम्बेडकर के विचारों की आवश्यकता व सार्थकता प्रकट होती है। भारत के समक्ष वर्तमान में उपस्थित सामाजिक विभाजन के संकट को डॉ. अम्बेडकर के विचारों में प्रस्तुत योजना व व्यवस्था को व्यावहारिक जीवन में प्रभावी बनाकर निष्प्रभावी बनाया जा सकता है। यही आज के भारत के संदर्भ में डॉ. अम्बेडकर के विचारों व नीतियों की सार्थकता है।

डॉ. अम्बेडकर प्रखर राष्ट्रभक्त थे। भारत की पराधीनता से व्यथित डॉ. अम्बेडकर एक ऐसे समाज की कल्पना करते थे जिसमें किसी भी प्रकार की सामाजिक व आर्थिक असमानता न हो। धार्मिक, आर्थिक व सामाजिक समानता द्वारा ही राष्ट्रीय एकीकरण की कल्पना करते थे। वे धर्म विरोधी नहीं थे। प्रजातन्त्र व संसदीय व्यवस्था के सफल संचालन के लिये डॉ. अम्बेडकर धर्म को आवश्यक मानते थे क्योंकि उनका विश्वास था कि धर्म व अध्यात्म से ही शील व सदाचार पनपता है। अतः व्यक्ति का धर्मनिष्ठ होना वे आवश्यक समझते थे। परन्तु हिन्दू धर्म में आयी विकृतियों को दूर किये बिना यह संभव नहीं था। डॉ. अम्बेडकर हिन्दू समाज की वर्ण व जाति व्यवस्था को अस्पृश्यता व दलितों की दुरावस्था का मूल कारण मानते थे। इसके कारण ही हिन्दू

समाज में भारी आर्थिक व सामाजिक असमानता उत्पन्न हुई व पुष्ट हुयी। उनके अनुसार विश्व के सभी समाजों में असमानता विद्यमान है परन्तु वहाँ यह परिस्थितिवश उत्पन्न हुई इसे वहाँ धर्म का संरक्षण प्राप्त नहीं था। परन्तु भारत में आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक असमानता को धर्म, जाति व वर्ण व्यवस्था द्वारा न केवल पोषित किया गया, वरन् साधारण जन भी सामाजिक समानता को नापसंद करता है। डॉ. अम्बेडकर का दृढ़ विश्वास था कि जाति व वर्ण व्यवस्था का उन्मूलन किये बिना सामाजिक व आर्थिक समानता संभव नहीं है, व समानता के बिना देश व समाज का विकास संभव नहीं है। एतदर्थ देश की प्रजातांत्रिक व्यवस्था को सामाजिक व्यवस्था में बदलना होगा जिसमें एक ऐसी जीवन पद्धति बनानी होगी जो स्वतंत्रता के साथ-साथ समानता और बंधुत्व को जीवन के सिद्धान्त के रूप में अपनाने पर बल देती है। स्वतंत्रता, समानता व बन्धुत्व भाव को एक अभिन्न इकाई के रूप में अपनाना चाहिये। यदि इनको अलग-अलग रूप में देखा जायेगा, तो प्रजातंत्र को तो खतरा होगा ही, समाज का सुगठन भी संकट में आ जायेगा।

भारत में राजा राममोहन राय से लेकर स्वामी दयानन्द, स्वामी विवेकानन्द, महात्मा गाँधी जैसे प्रखर समाज सुधारक हुये हैं जिन्होंने जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था को हराकर धर्म व समाज में आयी विकृतियों को दूर करने का प्रयास किया। परन्तु सदियों से अभिशप्त दलित वर्ग के उत्थान के लिये संघर्ष करने व अस्पृश्यों और दलितों के उद्धार के लिए दलितों में से ही नेतृत्व उभारने का मार्ग डॉ. अम्बेडकर ने ही दिखाया। दलितों के साथ-साथ स्त्रियों की दुरवस्था भी डॉ. अम्बेडकर की चिन्ता का बड़ा विषय था। वे भारतीय समाज में महिलाओं की अति कमजोर स्थिति का कारण मनु स्मृति को मानते थे। इसीलिये उन्होंने महिला उत्थान के लिए मनु स्मृति को त्यागने तक का सुझाव दिया। महिलाओं को जीवन के सभी क्षेत्रों में समानता व स्वावलंबन दिये बिना प्रजातांत्रिक समाज की कल्पना अधूरी ही रहेगी। सामाजिक सुधारों में डॉ. अम्बेडकर ने समान नागरिक संहिता विकसित करने व हिन्दू समाज में समानता लाने के लिये हिन्दू कोड बिल का समर्थन किया। डॉ. अम्बेडकर ने आर्थिक सुधारों पर भी ध्यान केन्द्रित किया। कृषि व्यवस्था में सुधार के अंतर्गत भूमि के समान वितरण, कृषि श्रमिकों, कृषि कर व संपत्ति कर पर विचार रखे, औद्योगीकरण के बिना भारत का विकास संभव नहीं हो पाने के विचार की दृष्टि से उन्होंने औद्योगीकरण पर बल दिया व राष्ट्रीयकरण पर विचार व्यक्त किये। श्रमिकों की दुरवस्था को देखते हुये सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था अपनाने पर बल दिया। बीमा योजना, न्यूनतम मजदूरी निर्धारण, गरीबी, बेरोजगारी, बेगारी, नशाबंदी, खान व्यवस्था में सुधार आदि पर न केवल विचार व्यक्त किये वरन् उपचार भी सुझाये जिन पर अमल करते हुये देश में अनेक कानून बने। ये समस्यायें आज भी देश में विद्यमान हैं। देश की प्रजातांत्रिक व्यवस्था में वयस्क मताधिकार के कारण जाति व्यवस्था मजबूत हुई है, अल्प संख्यक समुदाय का तुष्टीकरण बढ़ा है और आरक्षण की व्यवस्था भी रूढ़ बन गयी है। इनके निदान व आर्थिक, सामाजिक समानता तथा दलितों के उद्धार के लिये नीति बनाने एवं उपाय अपनाने में डॉ. अम्बेडकर आज भी प्रासंगिक हैं। डॉ. अम्बेडकर ने इनके लिये सर्वाधिक बल शिक्षा प्रसार पर दिया। शिक्षा बल के आधार पर ही दलित, महिला, श्रमिक व गरीब वर्ग को सबल व सशक्त बनाया जा सकता है। डॉ. अम्बेडकर के प्रयासों का ही फल है कि शिक्षा के प्रसार में जातिगत, भौगोलिक व आर्थिक असमानतायें बाधक न बन सके, इसकी व्यवस्था संविधान व नीति निर्देशक तत्त्वों में की गई। शिक्षा अधिकार का क्रियान्वयन भी इन्हीं का परिणाम है। उच्च शिक्षा को उन्होंने सामाजीकरण का माध्यम बनाने पर बल दिया। महिला शिक्षा को समाज की प्रगति का आधार मानते हुये आज सभी प्रकार की सुविधायें जुटाना भी अम्बेडकर के विचारों की कार्य रूप में परिणति है। उनके अनुसार शिक्षा का बड़ा उद्देश्य लोगों में नैतिकता व जन कल्याण की भावना विकसित करना होना चाहिये। एतदर्थ शिक्षा ऐसी हो जो बौद्धिक विकास के साथ-साथ चरित्र निर्माण में योग देती है। वर्तमान शिक्षा व्यवस्था व नीति में जो भी कमियाँ हैं, उनका निवारण डॉ. अम्बेडकर के विचारों में खोजा जा सकता है और एक आर्थिक व सामाजिक समानता व अवसरों की समानता वाले समाज की रचना की जा सकती है। ❑

शैक्षिक मंथन के सभी पाठकों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनायें

शैक्षिक मंथन

82, पटेल कॉलोनी, सरदार पटेल मार्ग, जयपुर (राज.) 302001
ई-मेल : shaikshikmanthan@gmail.com

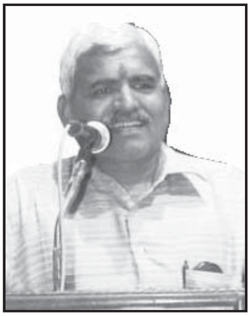

''**क्या इतिहास अपने आप को दोहराएगा? यह विचार मुझे चिंता से भर देता है। इस तथ्य के अहसास से यह चिंता और भी गहरी हो जाती है कि जाति और मजहब के रूप में हमारे शत्रुओं के अतिरिक्त हमारे देश में भिन्न और विरोधी विचारधाराओं वाले राजनीतिक दल होंगे। क्या भारतीय भारत देश को अपने मत-पंथों से ऊपर रखेंगे या वे अपने मजहब को देश से ऊपर रखेंगे? मैं नहीं जानता। परन्तु इतना तो निश्चित है कि अगर समूह अपने मजहब को देश से ऊपर रखते हैं तो हमारी आजादी दूसरी बार खतरे में पड़ जाएगी... हम सबको दृढता से उस सम्भाव्यता से अपनी रक्षा करनी चाहिए। अपने रक्त की अंतिम बूंद तक हमें अपनी स्वतंत्रता की रक्षा के लिए कृतसंकल्प होना चाहिए।**''

संविधान सभा में बाबा साहब के दिशाबोधक वक्तव्य

❑ **हनुमान सिंह राठौड़**

बाबा साहब डॉ. भीमराव अम्बेडकर ने अपनी 'भीम प्रतिज्ञा' में अपना जीवन-लक्ष्य प्रकट किया था-

''दलित वर्ग के चहुँमुखी विकास को सुनिश्चित करने के लिए मैं पूर्ण निष्ठा के साथ अत्यन्त कठोर परिश्रम करूँगा। इसी कार्य के लिए मैंने इतना ज्ञान अर्जित किया है...

अस्पृश्यों के समक्ष विकट चुनौतियाँ हैं। मैं जागरूक हूँ कि मैं उनकी समस्त समस्याओं का हल सम्भवतया नहीं कर सकूँ किन्तु मुझे विश्वास है कि मैं इन चुनौतियों को संसार के समक्ष प्रस्तुत कर सकता हूँ... यदि मैं (चुनौती रूपी) इन हिमालयों को भू-शायी न कर सका, (करोड़ों) अस्पृश्य मेरे रक्तरंजित सिर को देखकर हिमालय को नत करने के लिए अपने जीवन का बलिदान करने के लिए प्रवृत्त होंगे...''

अपनी शपथ के अनुरूप ही बाबा साहब ने दलितोत्थान के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। प्रारम्भ में उन्होंने हिन्दू समाज में ही सामाजिक परिवर्तन के लिए तर्क शुद्ध आंदोलन प्रारम्भ किया जिसे 'धर्म संगर' कहते हैं। 'सबका जलाशय, सबका देवालय' इस केन्द्रीय विचार के साथ प्रारम्भ हुआ। इस दौर में बाबा साहब ने राजनीतिक वार्ता, प्रतिवेदनों के माध्यम से राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक अधिकार प्राप्त करने का प्रयत्न किया। इसमें बाबा साहब को आंशिक सफलता भी प्राप्त हुई। 'पूना-पैक्ट' के नाम से प्रसिद्ध समझौता इसी काल का है।

जब लगने लगा कि अब अंग्रेज भारत छोड़ने वाले हैं, सत्ता हस्तांतरण की इस अवधि में संविधान सभा का गठन किया गया जिसमें भारत के भावी संविधान की रूपरेखा तय होनी थी। 17 दिसम्बर, 1946 को संविधान सभा में दिया गया भाषण ऐतिहासिक परिवर्तनकारी है। एक राष्ट्र सुत ही ऐसा युगान्तकारी वक्तव्य दे सकता है-

''... अब महोदय, इस महान् देश के सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक ढाँचे के भावी विकास और अंतिम स्वरूप के बारे में मेरे मन में जरा भी संदेह नहीं है। मैं जानता हूँ कि आज हम राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से बँटे हुए हैं। हम युद्धरत गुटों का समूह हैं, और मैं यह स्वीकार करने की हद तक जा सकता हूँ कि संभवत: मैं भी ऐसे ही एक गुट का नेता हूँ। परन्तु महोदय, इस सब के उपरान्त भी मैं इस बारे में पूरी तरह आश्वस्त हूँ कि अनुकूल समय और परिस्थितियाँ होने पर दुनिया की कोई ताकत इस देश को एकजुट होने से नहीं रोक सकती।''

संविधान सभा में प्रवेश के समय उनके मन में क्या विचार थे, इसका वर्णन बाबा साहब ने 25 नवम्बर 1949 को संविधान का अंतिम प्रारूप प्रस्तुत करते समय किया था-

''मैं इससे बड़ी आकांक्षा लेकर संविधान सभा में नहीं आया था कि अनुसूचित जातियों के हितों की रक्षा कर सकूँ।''

आ नो भद्रा: कृतवो

मसौदा समिति की पहली बैठक 30 अगस्त 1947 को हुई और उसने सर्व सम्मति से बाबा साहब को अध्यक्ष चुन लिया।

4 नवम्बर, 1948 को भारत के संविधान के पहले मसौदे की प्रस्तुति बाबा साहब ने की, उस समय आलोचना का उत्तर देते हुए संविधान की मौलिकता के प्रश्न पर जो मंतव्य दिया वह वेद के कथन- ''श्रेष्ठ विचार विश्व में सब तरफ से हमारी ओर आएँ'' का ही प्रकटीकरण था-

''... कहा गया है कि मसौदा संविधान में कुछ भी नया नहीं है, कि उसका लगभग आधा भाग सन् 1935 के भारत सरकार अधिनियम से नकल किया गया है और शेष भाग दूसरे देशों के संविधानों से उधार लिया गया है। उसका बहुत छोटा सा हिस्सा मौलिकता का दावा कर सकता है।

कोई यह पूछना चाहेगा कि दुनिया के इतिहास की इस घड़ी में रचे गए किसी भी संविधान में क्या कुछ नया हो सकता है?... अगर नया कुछ हो सकता है तो वह है पिछले संविधानों के चलन से अनुभव किए गए दोषों को दूर करने तथा अपने देश की जरूरतों के अनुसार उसे ढालने के लिए किये गए बदलाव।''

हिन्दू कोड बिल

यह बिल सर्वाधिक विवाद का कारण बना था तथा पं. नेहरू द्वारा इसे यथावत् लागू न करने पर बाबा साहब ने मंत्रिमण्डल से त्यागपत्र दे दिया था। इस विधेयक के सम्बन्ध में बाबा साहब ने अपना दृष्टिकोण प्रकट करते हुए केन्द्रीय विधानमण्डल में दिये भाषण में कहा था-

''यह विधेयक जिसका उद्देश्य उन नियमों

को संहिताबद्ध करना है जो उच्च न्यायालयों और प्रिविकोंसिल (सर्वोच्च न्यायालय) के असंख्य निर्णयों में बिखरे हुए हैं, ... सात विभिन्न मुद्दों से सम्बन्धित कानून को संहिताबद्ध करने का प्रयास करता है। पहला, वह एक मृत हिन्दू, जिसकी मृत्यु वसीयत बनाये बिना हो जाती है, की सम्पत्ति के अधिकारों से सम्बन्धित कानून को संहिताबद्ध करने का प्रयत्न करता है। दूसरा, वह बिना वसीयत किये स्वर्ग सिधार गये हिन्दू की सम्पत्ति को उसके विभिन्न उत्तराधिकारियों के बीच वितरण के लिए उत्तराधिकार क्रम का एक परिवर्तित रूप निर्धारित करता है। अगला विषय... गुजारा, विवाह, तलाक, गोद लेना, अवयस्कता और संरक्षण से सम्बन्धित कानून। ... इस विधेयक में एक महत्त्वपूर्ण प्रावधान जो विरासत में सम्पत्ति प्राप्त करने के महिलाओं के अधिकारों से आनुषंगिक है, दहेज से सम्बन्धित है। ... वह सम्पत्ति जो लड़की के विवाह के अवसर पर दहेज के रूप में दी जाती है, उसे एक ट्रस्ट सम्पत्ति माना जाएगा और जिसका उपयोग उसे सुरक्षा प्रदान करेगा... ताकि न तो उसका पति और न पति के रिश्तेदार उस पर दावा कर सकेंगे। तथा न उनके पास उस सम्पत्ति को जाया करने एवं उसे जीवन भर के लिये असहाय बना देने का कोई अवसर होगा।''

समान नागरिक संहिता

हिन्दू कोड बिल ने वैधानिक दृष्टि से हिन्दू की परिभाषा की अर्थात् यह कानून किन पर लागू होगा, उसमें मुस्लिम, ईसाई को छोड़कर सब आते हैं। दूसरी बात, बाबा साहब ने इसे समान नागरिक संहिता के प्रयत्न की आधारशिला कहा है। सिद्धार्थ कॉलेज, मुम्बई की विद्यार्थी परिषद् में 11 जनवरी, 1950 को बोलते हुए बाबा साहब ने कहा कि ''हिन्दू कोड बिल को उग्र सुधारवादी या क्रांतिकारी बताना गलत होगा। डॉ. अम्बेडकर ने कहा कि जहाँ यह विधेयक प्रगतिशील नये तरीकों को स्वीकृति देता है, वह वैवाहिक मामलों में रूढ़िवादी चलन का विरोध नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि भारत के नए गणतांत्रिक संविधान ने एक सकारात्मक दिशा दी थी ताकि सरकार पूरे देश के लाभार्थ एक 'कॉमन सिविल कोड' तैयार कर पाये।... देश की एकजुटता की दृष्टि से यह लाभदायक है कि हिन्दुओं का सामाजिक और पांथिक जीवन एक जैसे कानूनों से शासित हो... हिन्दू संहिता एक (समान) नागरिक संहिता की दिशा में सही कदम है।''

23 नवम्बर, 1948 को संविधान सभा में दिये गए भाषण में बाबा साहब कहते हैं–

''... मेरे मित्र श्री हुसैन इमाम ने पूछा है कि क्या भारत जैसे विशाल देश के लिए एक समान नागरिक संहिता का होना संभव और वांछनीय होगा? अब मुझे स्वीकार करना होगा कि इस सीधी सी बात के कारण मुझे घोर आश्चर्य है कि इस देश में मानवीय सम्बन्धों के लगभग हर पक्ष को अपनी सीमा में लिये हुए पहले ही एक समान विधि संहिता है। हमारे पास एक पूरी अपराध संहिता है जो पूरे देश में चलन में है और जो दण्ड संहिता और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में समाहित है। हमारे पास सम्पत्ति हस्तांतरण कानून है जो संपत्ति से जुड़े संबंधों का नियमन करता है और जो पूरे देश में चलन में है।... मैं ऐसे असंख्य कानूनों का हवाला दे सकता हूँ जो यह साबित करेंगे कि इस देश में व्यावहारिक रूप से एक समान नागरिक संहिता है जिसकी अंतर्वस्तु समान है और जो पूरे देश में लागू है। केवल एक क्षेत्र ऐसा है जिस पर दीवानी कानून अब तक अपनी पकड़ नहीं बना पाया है और वह है विवाह और उत्तराधिकार।...''

मुस्लिम शरीयत कानून अपरिवर्तनीय है, इस कथन पर वे कहते हैं –

''मेरे मित्र श्री करुणाकर मेनन द्वारा मुझे यह भी बताया गया है कि उत्तरी मालाबार में मरूमक्कधायम कानून न केवल हिन्दुओं बल्कि मुसलमानों पर भी लागू होता है। यह याद रखा जाना चाहिए कि मरूमक्कधायम कानून का एक पितृसत्तात्मक स्वरूप नहीं, एक मातृसत्तात्मक स्वरूप है। इसलिए पक्के तौर

पर यह कहना व्यर्थ है कि इस्लामिक कानून एक अपरिवर्तनीय कानून है जिसका वे प्राचीन काल से पालन करते आए थे।''

मूलभूत अधिकारों की सीमा

भारतीय संविधान की कम्युनिष्टों एवं तथाकथित समाजवादियों ने आलोचना की थी। इस आलोचना की कारण मीमांसा बाबा साहब करते हैं–

''कम्युनिष्ट पार्टी सर्वहारा की तानाशाही के सिद्धान्त पर आधारित एक संविधान चाहती है। वे इस संविधान की निंदा इसलिए करते हैं कि वह संसदीय प्रजातंत्र पर आधारित है।... दूसरी चीज जो समाजवादी चाहते हैं वह यह है कि संविधान में दिये गए मूलभूत अधिकार असीमित होने चाहिए ताकि अगर उनकी पार्टी सत्ता में न आ सके तो उनके पास न केवल शासन की निंदा करने बल्कि उसे उखाड़ फेंकने की बेरोकटोक आजादी हो।''

आज कल वामपंथी मीडिया, एनजीओ द्वारा चलाये जाने वाले अभियानों से बाबा साहब का कथन प्रमाणित होता है। 'सूचना का अधिकार' कैसी दुधारी तलवार है और गलत हाथों में इसका कैसा दुरुपयोग हो सकता है, यह ध्यान में रखना चाहिए। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर भारतीय प्रतिमानों पर आघात और क्रिया-प्रतिक्रिया भी आज दृष्टव्य है। ऐसी परिस्थिति में मूलभूत अधिकारों के सम्बन्ध में बाबा साहब का कथन स्मरणीय है–

''... यह कहना सही नहीं है कि मूल भूत अधिकार असीमित हैं, जबकि गैर मौलिक अधिकार असीमित नहीं हैं। दोनों के बीच वास्तविक अंतर यह है कि जहाँ गैर बुनियादी अधिकार दो पक्षों के बीच सहमति में से उपजे हैं, वहीं मौलिक अधिकार कानून द्वारा दिया गया एक उपहार है। मूलभूत अधिकार राज्य की ओर से उपहार है, इसका अर्थ यह नहीं है कि राज्य उन्हें सशर्त नहीं बना सकता।''

बाबा साहब इसे स्पष्ट करने के लिए 'गिटलो वि. न्यूयार्क' मामले में अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय के कथन को उद्धृत करते हैं–

''यह बहुत पहले स्थापित बुनियादी सिद्धान्त है कि बोलने की और प्रेस की आजादी, जो संविधान द्वारा संरक्षित है, जो मन में आये उसे गैर जिम्मेदारी से बोलने या प्रकाशित करने का अमर्यादित अधिकार या ऐसा कोई अप्रतिबंध, अनियंत्रित लाइसेंस नहीं देती जो उपयोगकर्त्ता को भाषा के हर सम्भव उपयोग की छूट देती हो और इस आजादी का दुरुपयोग करने वालों को सजा देने से रोकती हो।''

नीति निर्देशक तत्त्व

संविधान में समाहित नीति निर्देशक तत्त्वों की आलोचना यह कहकर की जाती है कि इन्हें लागू करने की बाध्यता नहीं है अत: ये प्रावधान 'अजा गल थन' जैसे हैं। बाबा साहब का इस सम्बन्ध में आकलन अवलोकनीय है–

''अगर यह कहा जाए कि निर्देशक सिद्धान्तों के पीछे कोई कानूनी शक्ति नहीं है तो मैं उसे स्वीकार करने को तैयार हूँ। परन्तु मैं यह मानने के लिए तैयार नहीं हूँ कि उनमें कोई बाध्यकारी बल है ही नहीं। निर्देशक सिद्धान्त उन लिखित निर्देशों जैसे हैं... (जो) राष्ट्रपति और राज्यपालों को जारी किया जाना प्रस्तावित है।... जब भी शांति, व्यवस्था और सुशासन के लिए सामान्य तौर पर शक्ति प्रदान की जाती है, यह जरूरी है कि उस शक्ति के उपयोग का नियमन करने के लिए ऐसे निर्देश उसके साथ ही जारी किये जाएँ।''

इसी विषय पर संविधान सभा में 19 नवम्बर 1948 को बोलते हुए बाबा साहब ने कहा–

''मेरे विचार से निर्देशक सिद्धान्त बहुत मूल्यवान् हैं, क्योंकि उनमें आर्थिक प्रजातंत्र के हमारे आदर्श की रूपरेखा दी गई है।... यह संविधान तैयार करने के पीछे हमारे दो उद्देश्य थे- एक राजनीतिक प्रजातंत्र का स्वरूप निर्धारित करना और दूसरा, हमारा आदर्श आर्थिक प्रजातंत्र स्थापित करने की इच्छा जताना।''

अन्त्योदय

बाबा साहब उपरोक्त कथन के ही परिप्रेक्ष्य में कहते हैं- ''26 जनवरी 1950 को हम विरोधाभासों से भरे जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं। राजनीति में हमारे पास समानता होगी, परन्तु हमारे सामाजिक और आर्थिक जीवन में असमानता होगी।''

इस असमानता का कारण बाबा साहब जातियों के ऊँच-नीच भाव को बताते हैं जो समता के, बंधुता के मार्ग में बाधक बनी है। ''पहली बात तो यह कि जातियाँ राष्ट्र विरोधी हैं, क्योंकि वे सामाजिक जीवन में अलगाव लाती हैं। वे इसलिए भी राष्ट्र विरोधी हैं कि वे एक जाति और दूसरी जाति के बीच ईर्ष्या और वैमनस्य पैदा करती हैं।'' यह कथन प्रथम दृष्ट्या कटु लग सकता है पर यह सत्य है, यह वर्तमान जातीय राजनीति और वैमनस्य से सिद्ध है। अत: बाबा साहब का मानना था कि समरस समाज के लिए जातियाँ परस्पर विलीन हो जाएँ। इसके लिए समाज के वर्षों से दलित वर्ग को समान आर्थिक व सामाजिक स्तर पर लाना संविधान की प्राथमिकता है। बाबा साहब कहते हैं–

''यह दलित शोषित वर्ग शासित होते-होते थक गए हैं, वे स्वयं शासन करने के लिए अधीर हैं। दलित वर्गों में आत्मबोध की यह पुकार एक वर्ग संघर्ष या वर्ग युद्ध का रूप न ले ले, इसकी हर सम्भव कोशिश की जानी चाहिए।''

सतत् संघर्ष का इतिहास

अपने देश में एक सुनियोजित विचार-प्रेरणा से अंग्रेजों से मुक्ति के आंदोलन को ही स्वाधीनता संग्राम कहते हैं। यदि ऐसा है तो पूर्व काल के आक्रमणकारियों को परास्त करने का सतत् संघर्ष क्या था? हमने बार-बार स्वाधीनता क्यों खोई, वर्तमान स्थिति क्या है और भविष्य के लिए संकल्प क्या हो? इसके सम्बन्ध में बाबा साहब ने बहुत प्रेरक विश्लेषण दिया है। वे कहते हैं–

''26 जनवरी, 1950 को भारत एक गणतंत्र देश होगा। उसकी सम्प्रभुता का क्या होगा? क्या वह अपनी सम्प्रभुता बनाए रख पाएगा या उसे फिर से खो देगा? मेरे मन में जो पहला विचार आता है वह यही है। ऐसी बात नहीं है कि भारत कभी भी एक स्वतंत्र देश नहीं था। बात यह है कि उसने एक बार अपनी स्वतंत्रता खो दी थी। क्या वह दूसरी बार उसे खो देगा? यही विचार मुझे भविष्य के लिए चिंता में डाल देता है। जो तथ्य मुझे बेहद व्यथित करता है, वह यह है कि भारत न केवल एक बार पहले भी अपनी आजादी खो चुका है, बल्कि उसके अपने ही कुछ लोगों के विश्वासघात के कारण उसने उसे खोया है। मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध पर किये गए हमले में महाराजा दाहिर के

सैन्य अधिकारियों ने मोहम्मद बिन कासिम के दलालों से घूस लेकर अपने ही राज्य की ओर से लड़ने से मना किया था वह जयचंद था जिसने भारत पर आक्रमण करने और पृथ्वीराज से लड़ने के लिए मुहम्मद गौरी को आमंत्रित किया था तथा अपनी और सौलंकी राजाओं की मदद का वादा किया था। जब शिवाजी हिन्दुओं की आजादी के लिए लड़ रहे थे, अन्य मराठा, क्षत्रिय और राजपूत राजा मुगल बादशाहों की तरफ से लड़ रहे थे। जब अंग्रेज, सिख शासकों को खत्म करने की कोशिश कर रहे थे, उनका मुख्य सेनापति गुलाब सिंह चुप बैठा रहा और उसने सिख राज्य को बचाने के लिए कुछ नहीं किया। सन् 1857 में, जब भारत के एक बड़े भाग ने अंग्रेजों के खिलाफ स्वतंत्रता संग्राम छेड़ रखा था, सिख मूक दर्शक की तरह दूर खड़े देखते रहे थे।''

पूर्व काल में जो भूलें हुईं और इसके कारण सैंकड़ों वर्षों तक देश को संघर्ष करना पड़ा, यहाँ की आर्थिक-सामाजिक व्यवस्था छिन्न-भिन्न हो गई, ऐसी अवस्था पुन: न आ पाये इसकी चिंता बाबा साहब को थी। वे कहते हैं -

''क्या इतिहास अपने आप को दोहराएगा? यह विचार मुझे चिंता से भर देता है। इस तथ्य के अहसास से यह चिंता और भी गहरी हो जाती है कि जाति और मजहब के रूप में हमारे शत्रुओं के अतिरिक्त हमारे देश में भिन्न और विरोधी विचारधाराओं वाले राजनीतिक दल होंगे। क्या भारतीय भारत देश को अपने मत-पंथों से ऊपर रखेंगे या वे अपने मजहब को देश से ऊपर रखेंगे? मैं नहीं जानता, परन्तु इतना तो निश्चित है कि अगर समूह अपने मजहब को देश से ऊपर रखते हैं तो हमारी आजादी दूसरी बार खतरे में पड़ जाएगी... हम सबको दृढता से उस सम्भाव्यता से अपनी रक्षा करनी चाहिए। अपने रक्त की अंतिम बूंद तक हमें अपनी स्वतंत्रता की रक्षा के लिए कृतसंकल्प होना चाहिए।''

नियम पालन का स्वभाव बनें

स्वतंत्रता की रक्षा कब सम्भव है? जब प्रत्येक नागरिक अनुशासित और राष्ट्रबोध से अनुप्राणित हो। केवल संविधान बनाने और कानूनी प्रावधान करने से कुछ होने वाला नहीं है। कानून पालन करने वाला मन बनाना ही प्राथमिकता है। बाबा साहब कहते हैं-

''... भले ही संविधान कितना ही अच्छा हो वह बुरा ही माना जाएगा, क्योंकि जिन लोगों को उस पर अमल करना है वे बुरे निकलते हैं। दूसरी ओर, एक संविधान भले ही कितना भी बुरा हो, वह अच्छा साबित हो सकता है, अगर उस पर अमल करने वाले लोग अच्छे हैं।''

प्रजातंत्र असफल कब

प्रजातंत्र की परम्परा भारत में प्राचीनतम है किन्तु पूर्व में भी उसके विलुप्त होने और भविष्य में भी संकट-ग्रस्त होने का कारण व्यक्तिपूजा और उससे उत्पन्न तानाशाही की मानसिकता बनती है। आपातकाल के दौरान भारत में इसका प्रात्यक्षिक हुआ था। बाबा साहब कहते हैं-

''ऐसा नहीं है कि भारत को पता नहीं था कि प्रजातंत्र है क्या चीज? एक समय ऐसा था जब भारत गणतंत्रों से भरा पड़ा था और जहाँ कहीं राजतंत्र था भी वह चुना हुआ और सीमित था। वे कभी भी निरंकुश नहीं थे।... यह प्रजातांत्रिक व्यवस्था भारत ने खो दी। क्या वह उसे दोबारा खो देगा? मैं नहीं जानता परन्तु भारत जैसे देश जहाँ बहुत लम्बे समय से उपयोग न किये गए प्रजातंत्र को एक नई चीज समझा जा सकता है। यह सर्वथा सम्भव है कि प्रजातंत्र की जगह तानाशाही आ जाए। इस नवजात प्रजातंत्र के लिए यह बिल्कुल सम्भव है कि देखने में प्रजातंत्र बना रहे, परन्तु वास्तव में तानाशाही उसका स्थान ले ले।''

व्यक्ति पूजा प्रजातंत्र के लिए घातक है, इस सम्बन्ध में बाबा साहब ने कहा है-

''उन महान् व्यक्तियों, जिन्होंने जीवन-पर्यन्त देश की सेवा की हो, के प्रति कृतज्ञ होने में कुछ गलत नहीं है, परन्तु कृतज्ञता की भी सीमाएँ हैं।... किसी अन्य देश की तुलना में भारत के संदर्भ में यह सावधानी ज्यादा ही जरूरी है, क्योंकि भारत में भक्ति मार्ग या नायक पूजा राजनीति में जितनी बड़ी भूमिका निभाती है वैसी दुनिया के किसी भाग में नहीं देखी जाती।... राजनीति में भक्ति या नायक पूजा निश्चित रूप से पतन और अंतत: तानाशाही की ओर धकेलने वाला मार्ग है।''

प्रजातंत्र सफल कैसे?

''अगर हम प्रजातंत्र को न केवल स्वरूप में बल्कि वास्तव में बनाये रखना चाहते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? मेरे विचार में पहली चीज जो हमें करनी चाहिए वह है अपने सामाजिक और आर्थिक लक्ष्य प्राप्त करने के लिए सभी असंवैधानिक तरीकों का दामन छोड़ना। इसका अर्थ है हमें सविनय अवज्ञा, असहयोग और सत्याग्रह के तरीकों को भी त्याग देना चाहिए। जब आर्थिक और सामाजिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए संवैधानिक तरीके उपलब्ध नहीं थे तब तो असंवैधानिक तरीके अपनाने का औचित्य था।''

अर्थात् संविधान द्वारा संचालित शासन का यह दायित्व है कि वह जनता के योग-क्षेम की चिंता करे और जिस देश में जनता को सरकार के विरुद्ध आंदोलन के लिए बाध्य नहीं होना पड़े वही सफल प्रजातंत्र है। इसे ही सुराज कहा जा सकता है, यही राम-राज्य है, जिसके लिए कहा है- ''दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज काहू नहीं व्यापा'' बाबा साहब सुराज के लिए आवश्यक बातों का निर्देश करते हैं-

''हमें अपने राजनीतिक प्रजातंत्र को एक सामाजिक प्रजातंत्र भी बनाना चाहिए।... सामाजिक प्रजातंत्र का क्या अर्थ है। उसका अर्थ है एक ऐसी जीवन पद्धत्ति जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुता को जीवन के सिद्धान्तों के रूप में देखती हो। स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की त्रयी को अलग-अलग इकाइयों के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। वे इस अर्थ में त्रयी के अभिन्न अंग हैं कि यदि हम एक को दूसरों से अलग कर दें तो उससे प्रजातंत्र का उद्देश्य ही खत्म हो जाएगा।''

अंत में बाबा साहब का एक सारभूत कथन स्मरण करते हैं कि वास्तव में स्वाधीनता का अर्थ स्वच्छन्दता नहीं है जैसा कि आजकल दिखायी दे रहा है। स्वतंत्रता जिम्मेदारी लाती है। बाबा साहब कहते हैं-

''निस्संदेह स्वतंत्रता हर्ष का विषय है। परन्तु हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि इसी स्वतंत्रता ने हम पर भारी जिम्मेदारियाँ भी डाली हैं। स्वतंत्रता के साथ ही हमने हर गलत चीज के लिए अंग्रेजों को दोषी ठहराने का बहाना खो दिया है।'' ❑

(अनुसंधान अधिकारी, शैक्षिक प्रौद्योगिकी विभाग, राजस्थान, अजमेर)

वस्तुतः आज हमारा संविधान उस पुरानी गाड़ी की तरह हो गया है जो बार-बार ठीक करवाने के बाद भी चल ही नहीं पाती। ऐसे में अपने अनुरूप न चलने वाली गाड़ी को बदल देना ही बुद्धिमत्ता का परिचायक है। अगर जर्मनी और फ्राँस का संविधान पाँच बार नवीनीकरण (पूर्ण बदला) कर सकता है। रूस, चीन, म्यांमार और श्रीलंका में तीसरा संविधान लागू हो सकता है तो यहाँ समीक्षा करके नया संविधान अंगीकृत करने में संकोच क्यों? वैसे तो संविधान समीक्षा की चर्चा शुरू होते ही इसे नासमझी में कुछ लोग डॉ. अम्बेडकर का अपमान बताने लगते हैं। जबकि संविधान का परिवर्तन वस्तुतः उन्हीं की मूल मंशा थी।

संविधान की पुनर्रचना जरूरी

❑ साकेन्द्र प्रताप वर्मा

महान् विद्वान् डॉ. अम्बेडकर 26 नवम्बर, 1949 को स्वीकृत भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष तो थे, फिर भी दो सितम्बर, 1953 को राज्य सभा में सांसद के नाते डॉ. भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि लोग मुझे संविधान का निर्माता कहते हैं लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि "मैं उस समय भाड़े का टट्टू था, हम वकील लोग अनेक चीजों की वकालत करते हैं लेकिन अध्यक्ष महोदय! मैं यह कहने को बिल्कुल तैयार हूँ कि इसे जलाने वाले लोगों में मैं पहला व्यक्ति होऊँगा, क्योंकि यह किसी के भी हित में नहीं है।" वस्तुत: गाँधी जी को छोड़कर आजादी के शांतिपूर्ण आंदोलन की अग्रिम पंक्ति के लगभग 200 नेताओं के हस्ताक्षर से इण्डिया दैट इज भारत का संविधान अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया था। प्रमुख संविधानवेत्ता कहते हैं कि देश का संविधान, भारतीय जनमानस तथा स्वाधीनता आंदोलन की मूलभावना को प्रतिबिम्बित नहीं करता है। अपितु यह तीन प्रमुख ब्रिटिश दस्तावेजों 1935 के गवनर्मेन्ट ऑफ इण्डिया एक्ट, 16 मई, 1946 के कैबिनेट मिशन प्लान तथा 1947 में ब्रिटिश पार्लियामेन्ट द्वारा पारित इण्डियन इन्डेपेन्डेन्स एक्ट की मिली जुली 75 प्रतिशत भावनाओं का प्रकटीकरण है। वैसे तो 1935 का इण्डिया गवर्मेन्ट एक्ट भी 1857 के प्रथम संगठित स्वाधीनता महासमर के पश्चात् 1861 के काउन्सिल एक्ट से प्रारम्भ की गयी संवैधानिक सुधार प्रक्रिया का एक हिस्सा ही है।

वास्तव में संविधान सभा पर कांग्रेस का वर्चस्व दिखाई दे रहा था। लेकिन कांग्रेस पर कैबिनेट मिशन प्लान के आदेशों का पालन करने का दबाव भी माउन्टबेटन के कारण हर क्षण दिखायी देता था। क्योंकि 19 सितम्बर, 1945 को लन्दन से लौटकर लार्ड बावेल, जो उस समय वायसराय थे, ने घोषणा की थी कि ब्रिटिश सरकार के आदेशानुसार मैं भारत में संविधान सभा के निर्माण की योजना बना रहा हूँ और 24 जुलाई, 1946 को इसी वायसराय ने एक वरिष्ठ आई.सी.एस. अधिकारी वी.एन. राव को संविधान परामर्शदाता नियुक्त किया था, जिसने ब्रिटेन, आयरलैण्ड, अमेरिका और कनाडा जाकर वहाँ के संविधानों का एक माह में अध्ययन करके पहले ही भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार कर दिया था, नियुक्ति बाद में की गयी।

27 जुलाई, 1946 को संविधान सभा के गठन पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुये जिन्ना ने मुस्लिम लीग की बैठक में कहा था कि यह संविधान सभा प्रभुता सम्पन्न नहीं है। इसका गठन वायसराय के आदेश पर हुआ है और वायसराय की नियुक्ति ब्रिटिश सरकार ने की है। इसी प्रकार जवाहरलाल नेहरू ने 13 सितम्बर 1946 को संविधान सभा की बैठक में कहा था कि यह संविधान सभा वैसी नहीं है, जैसी कि हममें से अधिकांश लोग चाहते थे। इसका जन्म विशेष परिस्थिति में हुआ है और इसके जन्म के पीछे ब्रिटिश सरकार का हाथ है। हो सकता है उस समय नेहरू जी अंग्रेजों के कुचक्र का कुछ अंश समझ गये हों, लेकिन आजाद भारत में प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने याद रखने की जरूरत नहीं समझी। जैसे भी बना, हमने स्वीकारा, संविधान को अपनाने और उस पर चलने की हर साल कसमें खायीं लेकिन हर साल स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पर भारत के संविधान को नये-नये प्रश्न पूछते हुये भी हमने देखा है। हमारे संविधान निर्माताओं ने बड़े गर्व के साथ उसकी प्रस्तावना लिखी है, जिसमें कहा गया है कि "हम भारत के लोग भारत को एक पूर्ण प्रभुता सम्पन्न, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिये तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिये तथा उन सबमें व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिये दृढ़ संकल्प लेकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवम्बर, 1949 ई. को एतद् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित

और आत्मार्पित करते हैं।'' समग्र स्वाधीनता के संकल्प का दिवस 26 जनवरी, 1930 होने के कारण 26 जनवरी, 1950 से हमने देश का संविधान लागू करके, इस दिन को देश का गणतंत्र दिवस घोषित किया। हमने सोचा था कि संविधान पर्व लोगों के आनन्द का दिन बनेगा।

परन्तु आज हम देखते हैं कि भारत की सम्प्रभुता को कभी चीन, कभी पाकिस्तान, कभी आतंकवादी और कभी इस देश का अन्न, जल ग्रहण करने वाले कुछ लोग आँख दिखाने की कोशिश करते हैं। संविधान निर्माता सांसद स्वयं ही लोकतंत्र का मखौल उड़ाते दिखायी देते हैं। संसद का शोर-गुल सब्जी मण्डी को भी मात कर देता है। संसद सत्र में करोड़ों रु. बाढ़ के पानी की तरह बह जाते हैं, परन्तु काम-काज नहीं हो पाता। सरकारों के अच्छे कामों का भी केवल राजनैतिक कारणों से विरोध किया जाता है। आजादी के इतने वर्षों बाद भी देश में ऊँच-नीच का भाव है, अस्पृश्यता का संकट है परन्तु हर व्यक्ति के लिये दो समय के भोजन का भी प्रबन्ध नहीं हो सका है। देश का बचपन भीख माँगने के लिये और यौवन मजदूरी करके अपना पेट पालने के लिये विवश है। ऐसी स्थिति में राजनैतिक, आर्थिक और सामाजिक न्याय की संवैधानिक कल्पना का क्या अर्थ है।

जहाँ देश, समाज और मानवता की स्वयं निर्धारित परिभाषा के आधार पर विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बहाने कुछ भी लिखने और बोलने की छूट प्राप्त करने का दुराग्रह किया जाता हो। जिस देश में साहित्यकार अपने पुरस्कार इसलिये लौटाने लगें कि सरकार में बैठे लोगों द्वारा उनकी पसंद की सब्जी क्यों नहीं खायी जा रही है और सरकार उनके दिशा निर्देशों पर क्यों नहीं चल रही हैं तो फिर उस देश के संविधान में राष्ट्र की एकता के लिये कदम बढ़ाना बहुत कठिन दिखायी देता है। देश का भ्रामक इतिहास लिखने वाले बुद्धिजीवी भारत की प्राचीन संस्कृति को भ्रम की अवस्था में युवा पीढ़ी के सामने लाकर भारत को कमजोर करने पर तुले हैं। विदेशों का इशारा इनके लिये प्रेरणा का प्रकाश-पुञ्ज क्यों है? लूट, हत्या, अपहरण, गुण्डागर्दी, बलात्कार, घुसपैठ, आतंकवाद, माओवाद, नक्सलवाद, चर्च प्रति धर्मान्तरण और अनर्गल आरोपों का वीभत्स नृत्य राष्ट्र की गरिमा को नष्ट कर रहा है। सत्य को असत्य कहकर चिल्लाने वाले लोग भारत की प्रतिष्ठा को विदेशी इशारों से समाप्त करना चाहते हैं।

यहाँ बड़ा सवाल है कि संविधान ऐसे तत्त्वों को इजाजत क्यों देता है? क्या संविधान अपनी उद्देश्यिका के हर मोड़ पर विफल है? इस संविधान के चलते अगर आम आदमी के मुँह से निकल पड़े कि इससे तो अच्छा अंग्रेजों का राज था, तब तो अंग्रेजों की रची साजिश समझने एवं संविधान पर दृष्टि डालने की जरूरत है।

वास्तव में अपने संविधान की गहन समीक्षा की आवश्यकता है क्योंकि संविधान की अनेक धारायें 'किन्तु' लगने के बाद अपने मौलिक स्वरूप को बदल देती हैं। आज जिस राजनैतिक व्यवस्था में हम जीने को विवश हैं वहाँ पर कोई भी ईमानदार आदमी चुनाव के अखाड़े में उतरने की हिम्मत नहीं कर सकता। किसी भी चुनाव के लिये रुपया महत्त्वपूर्ण योग्यता बन गया है। पेशेवर राजनेताओं ने सम्पूर्ण प्रणाली को भ्रष्ट बना दिया है। लेकिन हमारा संविधान इस दुर्व्यवस्था को रोकने में समर्थ नहीं दिखाई देता है।

दुनिया में मानवता को मानने वाले और मानवता का विरोध करने वाले केवल दो ही वर्ग हैं लेकिन अपने संविधान में धर्म, जाति, भाषा, क्षेत्रीयता, अल्पसंख्यक, आयु, लिंग, गरीब, अमीर, उत्पादक, उपभोक्ता आदि न जाने कितने वर्ग बना दिये गये। संविधान के नीति निर्देशक तत्त्व भी बाध्यकारी नहीं हैं, केवल सलाह दी गयी है। राज्य को उनके लिये उत्तरदायी भी नहीं माना गया है। क्या कोई सलाह संविधान का हिस्सा हो सकती है? संविधान में भाषा की स्पष्टता का भी अभाव है इसी कारण उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, पूर्ण खण्डपीठ अलग-अलग भाव निकालते हैं और निर्णय बदलने में देर नहीं लगती, परिणामस्वरूप तमाम वाद अकारण लम्बित हो जाते हैं। संविधान की संक्षिप्तता भी बहुत

आवश्यक है जिससे कोई भी अनुच्छेद दूसरे अनुच्छेद में अकारण ही हस्तक्षेप न करने लगे। अपना संविधान बहुत विस्तृत है। अनेक अनुपयोगी धारायें भी लिख दी गयी हैं जैसे- राष्ट्रपति पद की शपथ क्या होगी, कैसे होगी इसका संविधान में उल्लेख करना अर्थहीन है। संविधान में जिनके लिये कठोर कानून होना चाहिए ऐसे अपराधी और आतंकवादी संसद पर हमला करके अफजल की तरह मौज करते रहे हैं, मानवाधिकार सोहराबुद्दीन और इशरत जहाँ के लिये रक्षा कवच बन जाता है। ठीक-ठीक काम करने वालों पर कानून का शिकंजा कसा रहता है। समाज स्वयं को राज्य का गुलाम समझने लगा है। प्रश्न उठता है कि संसद सर्वोच्च है या संविधान। संसद भी समाज का प्रतिनिधित्व करने का दावा नहीं कर सकती और संविधान भी जनता की मूल भावना के अनुरूप नहीं, ऐसी स्थिति में सर्वोच्चता का अर्थ क्या? सचमुच हमारा संविधान संतुलित नहीं इसीलिये परिणाम विपरीत दिखाई देते हैं।

किन्तु-परन्तु के झमेले में फँसा हुआ संविधान अनुच्छेद 25 में धर्म की स्वतंत्रता का प्रावधान करता है परन्तु राज्य को हिन्दुओं की धार्मिक संस्थाओं में सीधे हस्तक्षेप ही नहीं मंदिरों की पूजा अर्चना का विधि नियमन करने का अधिकार भी प्रदान करता है। इसी प्रकार अनुच्छेद 30 में धर्म या भाषा पर आधारित अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि के अनुसार शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार दिया गया है। यह व्यवस्था केवल अल्पसंख्यकों के लिये क्यों? अन्य समुदायों एवं वर्गों के लिये क्यों नहीं? संविधान का अनु. 14 किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समता का अधिकार देता है तो फिर अलग मुस्लिम लॉ क्यों? अनुच्छेद 15 में धर्म, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर कोई विभेद नहीं किया जायेगा किन्तु अल्पसंख्यक, महिला एवं बच्चों के लिये विशेष कानून बनाये जा सकते हैं, क्यों? अनुच्छेद 44 में समान सिविल संहिता की व्यवस्था है लेकिन संविधान के कुछ अनुच्छेद ही इसके बाधक हैं। अनुच्छेद 48 में गोवंश व दुधारु पशुओं की हत्या पर प्रतिबंध भी कानूनी जटिलताओं के कारण असफल है और यांत्रिक कत्लखाने भी स्थापित हो जाते हैं। अनुच्छेद 356 राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफलता की स्थिति में राष्ट्रपति को अपनी शक्ति में लेने की ताकत देता है किन्तु इसका प्रयोग केवल राजनैतिक हित साधन हेतु किया गया है। अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर के संबंध में अस्थायी उपबंध के अन्तर्गत कुछ विषयों को छोड़कर भारत में लागू शेष कानून वहाँ लागू नहीं। बगैर प्रदेश की सहमति के कोई कानून नहीं बन सकता। संविधान अपनी औपनिवेशिक सोच को भी प्रकट करता है। अनुच्छेद 105,194 में संसदीय विशेषाधिकार 44 वें संविधान संशोधन से पूर्व अपरिभाषित थे किन्तु लिखा था कि सांसदों, विधायकों को वही अधिकार प्राप्त होंगे जो ब्रिटेन में सांसद को हैं याने अब भी ब्रिटेन की ओर। अनुच्छेद 129 में सर्वोच्च न्यायालय, 215 में उच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय कहा गया है। ब्रिटेन में अभिलेख न्यायालयों को अपनी अवमानना के लिये दण्डित करने के साथ-साथ तमाम अपरिभाषित अधिकार जिनकी व्याख्या न्यायाधीशों के विवेक और सोच के मुताबिक होंगी। यह कानून अपनी कमियाँ छिपाने का कवच जैसा है। यही व्यवस्था यहाँ भी लागू है। अनुच्छेद 72 एवं 253 में खनिज संपदा, खान, रॉयल्टी आदि पर केन्द्र ने अपना अधिकार और सिंचाई की जिम्मेदारी राज्य को सौंपी अर्थात कमाई केन्द्र की खर्च राज्य का। अनुच्छेद 300 यदि किसी नागरिक को सरकार के सम्प्रभु कार्यों से कोई आर्थिक क्षति होती है तो उसे अदालत से कोई उपचार नहीं मिलेगा। यही अधिकार ईस्ट इण्डिया कम्पनी को भी था। इसीलिये जब्त किया गया सामान न्यायालयों से वापस नहीं मिल पाता था।

संविधान एक जीवंत दस्तावेज होने के कारण संसद को इसमें संशोधन का अधिकार संविधान सभा ने दिया है लेकिन इसे निरस्त करने का अधिकार न्यायाधीशों के पास अदालत से संबंधित कानून बनाने पर उसकी समीक्षा सुप्रीम कोर्ट की जजों की पूर्ण पीठ स्वयं करेगी। संविधान को अधिक जनोपयोगी बनाने हेतु हमने 60 साल में 100 से अधिक संशोधन कर लिये। इन संशोधनों को राष्ट्रहित के बजाय पार्टी हित में करने की परम्परा भी खतरनाक है, संविधान निर्माताओं में से एक पं. नेहरू ने 16, उनकी पुत्री इंदिरा गाँधी ने 32, राजीव गाँधी और नरसिंह राव ने 10-10 संशोधन अपनी-अपनी सरकारों में किये।

वस्तुतः आज हमारा संविधान उस पुरानी गाड़ी की तरह हो गया है जो बार-बार ठीक करवाने के बाद भी चल ही नहीं पाती। ऐसे में अपने अनुरूप न चलने वाली गाड़ी को बदल देना ही बुद्धिमत्ता का परिचायक है। अगर जर्मनी और फ्राँस का संविधान पाँच बार नवीनीकरण (पूर्ण बदला) कर सकता है। रूस, चीन, म्यांमार और श्रीलंका में तीसरा संविधान लागू हो सकता है तो यहाँ समीक्षा करके नया संविधान अंगीकृत करने में संकोच क्यों? वैसे तो संविधान समीक्षा की चर्चा शुरू होते ही इसे नासमझी में कुछ लोग डॉ. अम्बेडकर का अपमान बताने लगते हैं। जबकि संविधान का परिवर्तन वस्तुतः उन्हीं की मूल मंशा थी। आज जरूरत है कि देश के मानस की मूल भावना के अनुरूप जीवंत संविधान का निर्माण पुनः किया जाय जिसके आधार पर ऐसे कानूनों का निर्माण हो जिससे भारत का आम नागरिक अपने को व्यवस्था का अंग मानकर देश की यशवृद्धि में सहायक हो, अन्यथा जिस प्रकार राजनैतिक नेताओं के प्रति जनता के मन में अविश्वास का भाव निर्माण हुआ है कहीं वैसा ही भाव अपने संविधान के प्रति भी न बन जाय। ❑

(स्वतंत्र लेखक/ स्तम्भकार)

डॉ. अम्बेडकर ने 1916 में कोलंबिया विश्वविद्यालय में 'कास्ट इन इंडिया' शोध प्रबन्ध प्रस्तुत करते हुए कहा कि 'भारत में यद्यपि समाज में अनगिनत जातियाँ है, परन्तु भारत में सांस्कृतिक एकता है'। उनका मानना था कि जब समाज अलग-अलग जातियों में बँट जाता है तो उनके आदर्श अलग-अलग हो जाते हैं। उनका हित एक दूसरे से टकराता है। इसलिए समाज का एक वर्गीय होना आवश्यक है। वे कहते थे कि राष्ट्र केवल संस्कृति से खड़ा नहीं होता। राष्ट्र के खड़े होने के लिए सांस्कृतिक एकता के साथ-साथ सामाजिक एकता- समानता का भी उतना ही महत्त्व है। सामाजिक परिवर्तन के लिए अंबेडकर ने शान्ति, अनुनय और संविधान जैसे कारकों की संस्तुति की।

अम्बेडकर का सामाजिक-सांस्कृतिक दर्शन

❑ बजरंग प्रसाद मजेजी

डॉ. भीमराव अम्बेडकर ने 22 दिसम्बर, 1952 को पुणे में भाषण में कहा था कि 'लोकतंत्र की कामयाबी की सबसे पहली शर्त यह है कि समाज में किसी तरह की असमानता नहीं होनी चाहिए। कोई दलित वर्ग न हो और कोई शोषित वर्ग भी न हो। ऐसा कोई वर्ग न हो जिसके सिर पर सारा बोझ हो। इस तरह का वर्गभेद हिंसक क्रांति को जन्म देता है तथा लोकतंत्र भी उसका कोई उपचार नहीं कर सकता।' उनके अनुसार जातिप्रथा सहकारी एवं सहभागी जीवन के विपरीत एक ऐसे समाज का निर्माण करती है जो समाज को स्थायी तौर पर शासित एवं शोषित वर्ग में विभाजित कर देता है। वर्तमान भारतीय जाति व्यवस्था इन्हीं बुराइयों से ग्रसित है। इसलिए अस्पृश्यता जैसी जड़ जाति व्यवस्था का उन्मूलन आवश्यक है। डॉ. अम्बेडकर ने कहा कि वर्ण जाति व्यवस्था अनगिनत अन्यायों की जननी है। इससे आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक अन्याय पनपते हैं। अम्बेडकर इन अन्यायों के विरुद्ध जीवन पर्यन्त लड़े। 'डॉ. बाबा साहेब अम्बेडकर' लेखक धनंजय सिंह कीर पृष्ठ 97 में लिखा है कि 'अस्पृश्यता की रूढि से मुक्त होकर अगर उन्हें आत्म स्वातंत्र्य प्राप्त होता है तो इससे वे केवल अपनी उन्नति ही नहीं करेंगे बल्कि अपने विचार से, बुद्धि से, देश की उन्नति के लिए कारक सिद्ध होंगे। हमारा आन्दोलन केवल पतितोद्धार का नहीं है, उसमें लोकसंग्रह की भूमिका भी है।... हमने जो कार्य हाथ में लिया है, वह केवल पतितोद्धार का नहीं है, उसमें हिन्दू धर्म के उद्धार के लिए है और यह सत्य है, यही राष्ट्रीय कार्य है।'

डॉ. अम्बेडकर अस्पृश्यता आन्दोलन को माध्यम बनाकर स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व इन तीनों के आधार पर समग्र हिन्दुस्तान के सभी समाजों का पुनर्गठन या पुनर्रचना करना चाहते थे। उनका स्वतंत्रता से तात्पर्य था कि जन्म से प्रत्येक व्यक्ति समान है तथा उसे समान अवसर मिलने चाहिये। उन्होंने कहा कि जातिवाद तथा वर्णव्यवस्था का आधार जन्म के आधार पर न होकर, कार्य के आधार पर होना चाहिए। उन्होंने समाज की वर्गीय व्यवस्था का विरोध किया। उनके अनुसार यह व्यवस्था लोगों को गुलाम बनाती हैं और मनोवैज्ञानिक जटिलता को जन्म देती है। डॉ. अम्बेडकर ने दुखी होकर कहा कि 'मैं अस्पृश्य समाज में जन्मा हूँ, केवल इस कारण उच्च विद्याविभूषित व्यक्ति का यह हाल है, तो मेरे समाज के लाखों अनपढ़, गँवार भाई-बहिनों का क्या हाल होता होगा?

यहाँ जानवरों को सम्मान मिलता है, जबकि अस्पृश्य मानवों के साथ बदतर व्यवहार होता है।' डॉ. अम्बेडकर का समता से तात्पर्य समस्त समाज के लिए था। उन्होंने मात्र अस्पृश्य जाति के लिए ही विचार नहीं किया अपितु सभी जातियों के बारे में चिन्तन किया, जिसमें ब्राह्मण भी आते हैं। समाज में श्रमिक, काश्तकार, महिला वर्ग के बारे में उनका समानता के सिद्धान्त का मत था। उन्होंने अनुभव किया कि साधारणत नागरिक एकता चाहते थे और समता, स्वतंत्रता, भाईचारे के आधार पर मानव समाज में सामाजिक समता-एकता की अनुभूति पैदा की जा सकती है। उनका बन्धुत्व ही नहीं विश्व बन्धुत्व के लिये कहना था कि भाईचारा (भ्रातृत्व) मानव के उस गुण का नाम है, जिसके अनुसार यह समाज के अन्य व्यक्तियों के साथ प्यार तथा सम्मान का भाव रखता है। इससे सामाजिकता मजबूत होती है, व्यक्ति तब व्यावहारिक रवैया अपनाता है। यही मनोवृत्ति व्यक्ति को सचेत करती है कि दूसरों की भलाई, सहयोग उतना ही स्वाभाविक होगा जितना कि वह स्वयं के लिए चाहता है। इस प्रकार अम्बेडकर की हिन्दू समाज की पुनर्रचना स्वतंत्रता, समता, बंधुत्त्व की अवधारणा पर आधारित थी। उनके सामाजिक दर्शन के अनुसार प्रत्येक हिन्दू को अपने धर्म बन्धुओं के साथ सभी प्रकार के निर्बन्धों के अधीन रहकर सम्बन्ध जोड़ने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। हिन्दुओं को चाहिए कि सब जातियों के लिए समान सामाजिक संहिता की रचना करें। डॉ. अम्बेडकर कलेक्टेड वर्क्स-राइटिंग एण्ड स्पीचेज खंड 283-84 में कहते हैं कि 'अधिकार, समता और स्वतंत्रता तो ठीक है। परन्तु, बंधुता का अभाव स्वतंत्रता एवं समता को नष्ट कर देता है।'

सामाजिक समानता के पक्षधर

डॉ. अम्बेडकर ने 1916 में कोलंबिया विश्वविद्यालय में 'कास्ट इन इंडिया' शोध प्रबन्ध प्रस्तुत करते हुए कहा कि 'भारत में यद्यपि समाज में अनगिनत जातियाँ है, परन्तु भारत में सांस्कृतिक एकता है'। उनका मानना था कि जब समाज अलग-अलग जातियों में बँट जाता है तो उनके आदर्श अलग-अलग हो जाते हैं। उनका हित एक दूसरे से टकराता है। इसलिए समाज का एक वर्गीय होना आवश्यक है। वे कहते थे कि राष्ट्र केवल संस्कृति से खड़ा नहीं होता। राष्ट्र के खड़े होने के लिए सांस्कृतिक एकता के साथ-साथ सामाजिक एकता- समानता का भी उतना ही महत्त्व है। सामाजिक परिवर्तन के लिए अंबेडकर ने शान्ति, अनुनय और संविधान जैसे कारकों की संस्तुति की। बम्बई में 31 मई, 1936 में भाषण में उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि अस्पृश्यों को राजनैतिक स्वतंत्रता की अपेक्षा सामाजिक समानता की अतीव आवश्यकता है। जब तक सामाजिक स्वतंत्रता नहीं मिलती संविधान के बनाए कानूनी प्रावधानों का कोई उपयोग नहीं है। वे शोषित एवं वंचित समुदाय के लोगों को राजनैतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था में उचित प्रतिनिधित्व दिलाने के पक्षधर तो थे। किन्तु, इन वंचित लोगों के लिए आरक्षण जैसे प्रावधान के मुखर समर्थक नहीं थे। उनका मानना था कि इस प्रकार का प्रावधान इस वर्ग को सदैव के लिए अपंग बना देगा। इसके विपरीत वे चाहते थे कि इस वंचित वर्ग को उच्च शिक्षा दिये जाने की व्यवस्था की जाये जिससे वह समाज के अन्य वर्ग के समक्ष अपनी क्षमता एवं गुणवत्ता के आधार पर खड़ा हो सके। सामाजिक लोकतंत्र पर उनकी सोच महात्मा गाँधी से भिन्न थी। वे सामाजिक बदलाव की गति से असन्तुष्ट थे। वे चाहते थे कि देश को सामाजिक बदलाव को प्राथमिकता देकर उसका न्यायसंगत समाधान निकालना चाहिए। वे इस वर्ग में स्पष्ट परिवर्तन चाहते थे।

समान नागरिकता सिद्धान्त के समर्थक

डॉ. अम्बेडकर का कहना था कि सबल लोकतंत्र, राष्ट्र को सबल बनाता है। उसमें जातीय, भाषायी अथवा पंथीय अलगावता की मानसिकता के लिए कोई जगह नहीं है। यही कारण है कि उन्होंने समान नागरिक संहिता की पुरजोर वकालत की। उनका मानना था कि सभी धार्मिक सम्प्रदाय अपने-अपने पंथ नियमों के द्वारा यदि उनके समुदाय के लोगों को संचालित करेंगे तो संवैधानिक व्यवस्थाओं व लोकतंत्र का उद्देश्य लोगों को अधिकार एवं सम्पन्नता सम्पन्न कराना ही नहीं वरन् ऐसे समाज का निर्माण करना है, जिसमें बंधुता एवं सहजीवन का भाव हो। उनका कहना था कि भाईचारे से सामाजिकता मजबूत होती है। अम्बेडकर ने हिन्दू समाज में व्याप्त सामाजिक, आर्थिक असमानता को अपूर्णता का प्रतीक माना है। वे सदैव कहते थे कि भारत की एकता का आधार सांस्कृतिक है, यही चेतना अन्य परिवर्तनों का कारण बनेगी उनका कहना था कि विश्व में सभी राजनैतिक क्रांतियों के पूर्व सामाजिक और सांस्कृतिक क्रांति हुई है। इस हेतु उन्होंने 1920 में 'गुरुनानक' पत्रिका का प्रकाशन किया। जिसका उद्देश्य दलितों को राष्ट्रीय आन्दोलन में जोड़ने के लिए प्रेरित करना और सामाजिक सुधार के लिए जमीन तैयार करना था। इसी उद्देश्य को लेकर उन्होंने 1927 में महाड़ सत्याग्रह, 1930 में काला राममंदिर प्रवेश का सत्याग्रह और इसके बाद पुणे का पार्वती सत्याग्रह के द्वारा सार्वजनिक कुओं से पानी पीने से लेकर, अन्य अस्पृश्य व्यवहारों से बहिष्कृत समाज को अधिकार दिलाने के लिए था। वे असमानता के विरुद्ध अपने जीवन को समर्पित कर समाज की समानता के लिए वंचित के अधिकार के लिए उपेक्षा से मुक्ति के लिए, गरीबों के उत्थान के लिए, सामाजिक समरसता के लिए संघर्षरत भारत को एक मजबूत राष्ट्र के रूप में देखना चाहते थे। उन्होंने 'भगवान बुद्ध और उनका धम्म' पृष्ठ 236 में लिखा है कि 'जैसे दूसरे वैसे ही मैं। जैसे हम वैसे ही दूसरे।' इस विचार से दूसरों के साथ समरस हो जाओ। यही समान नागरिकता का भाव है।

डॉ. अम्बेडकर के बारे में कुछ लोगों ने धारणा बनायी कि ये केवल तत्कालीन अछूत वर्ग के क्रांतिकारी नेता हैं। यह बाबा साहब के विराट स्वरूप को जो कि सर्वव्यापी था, उसे संकीर्ण दायरे में बाँधने का कुंठित प्रयास है। जबकि उन्होंने सामाजिक दंश झेलने के बावजूद इस समाज की सामूहिक शक्ति को पहचाना और सबसे राष्ट्रहित में एक रहने का आह्वान किया। ❑

(राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष, अ.भा.रा.शैक्षिक महासंघ)

अम्बेडकर का दर्शन एवं प्रासंगिकता

❑ बजरंगी सिंह

अम्बेडकर ने अस्पृश्यता के निराकरण के लिए केवल सैद्धान्तिक दृष्टिकोण ही प्रस्तुत नहीं किया अपितु उन्होंने अपने विभिन्न आन्दोलनों व कार्यों से लोगों में चेतना जाग्रत करने और उसके निराकरण के लिए विभिन्न सुझाव भी दिए। उनका मानना था कि हिन्दू समाज में स्वतंत्रता, समानता तथा न्याय पर आधारित व्यवस्था स्थापित करने के लिए कठोर नियमों में संशोधन आवश्यक है। उनके अनुसार उन शास्त्रों को आधिकारिक नहीं माना जाना चाहिए जो सामाजिक अन्याय का समर्थन करते हैं।

अम्बेडकर का सम्पूर्ण जीवन भारतीय समाज में सुधार के लिए समर्पित था। अस्पृश्यों तथा दलितों के वे मसीहा थे। उन्होंने सदियों से पद-दलित वर्ग को सम्मानपूर्वक जीने के लिए एक सुस्पष्ट मार्ग दिया। उन्होंने अपने विरुद्ध होने वाले अत्याचारों, शोषण, अन्याय तथा अपमान से संघर्ष करने की शक्ति दी। उनके अनुसार सामाजिक प्रताड़ना राज्य द्वारा दिए जाने वाले दण्ड से भी कहीं अधिक दुःखदाई है। उन्होंने प्राचीन भारतीय ग्रन्थों का अध्ययन कर यह बताने की चेष्टा भी की कि भारतीय समाज में वर्ग-व्यवस्था, जाति प्रथा तथा अस्पृश्यता का प्रचलन समाज में कालान्तर में आई विकृतियों के कारण उत्पन्न हुई है, न कि यह यहाँ के समाज में प्रारम्भ से विद्यमान थी।

उन्होंने दलित वर्ग पर होने वाले अन्याय का ही विरोध नहीं किया अपितु उनमें आत्म गौरव, स्वावलम्बन, आत्मविश्वास आत्म सुधार तथा आत्म विश्लेषण करने की शक्ति प्रदान की। दलित उद्धार के लिए उनके द्वारा किए गए प्रयास किसी भी दृष्टिकोण से आधुनिक भारत के निर्माण में भुलाये नहीं जा सकते, डॉ. अम्बेडकर वर्ग व्यवस्था के विरोधी रहे हैं। वह इस व्यवस्था को अवैज्ञानिक, अत्याचार पूर्ण, संकीर्ण, गरिमाहीन मानते रहे हैं। उनके अनुसार यह श्रम के विभाजन पर आधारित न होकर श्रमिकों के विभाजन पर आधारित हैं। अवैज्ञानिक तथा असंगत है। अम्बेडकर का मत था कि उन्नत तथा कमजोर वर्गों में जितना उग्र संघर्ष भारत में है। वैसा किसी अन्य देश में नहीं है।

डॉ. अम्बेडकर जाति प्रथा के विरोधी थे। उन्होंने भारत में जाति-व्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं और लक्षणों को स्पष्ट करने का भी प्रयास किया। उनका मत था कि चतुर्वर्ण पदसोपानीय रूप में वर्गीकृत है। इस व्यवस्था से कार्य कुशलता की हानि होती है, क्योंकि जातीय आधार पर व्यक्तियों के कार्यों का पूर्व में ही निर्धारण हो जाता है। यह निर्धारण भी उनके प्रशिक्षण अथवा वास्तविक क्षमता के आधार पर न होकर जन्म तथा माता-पिता के सामाजिक स्तर के आधार पर होता है। इस व्यवस्था से सामाजिक अस्थिरता पैदा होती है क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपनी वंशानुगत व्यवस्था का अपनी स्वेच्छा से परिवर्तन नहीं कर सकता है। उनका मानना था कि यह व्यवस्था संकीर्ण प्रवृतियों को जन्म देती है। क्योंकि हर व्यक्ति अपनी जाति के अस्तित्व के लिए अधिक

जागरूक होता है। नतीजन उनमें राष्ट्रीय जागरूकता की भी कमी उत्पन्न होती है। इस प्रकार डा अम्बेडकर ने यह स्पष्ट करने का प्रयास किया कि जाति व्यवस्था भारतीय समाज की एक बहुत बड़ी विकृति है, जिसके दुष्प्रभाव समाज के लिए बहुत ही घातक है। जाति व्यवस्था के कारण लोगों में एकता की भावना का अभाव है। अत: भारतीयों का किसी एक विषय पर जनमत तैयार नहीं हो सकता है। समाज कई भागों में विभक्त हो गया। उनके अनुसार जाति व्यवस्था ने न केवल हिन्दू समाज को दुष्प्रभावित किया बल्कि भारत के राजनीतिक, आर्थिक तथा नैतिक जीवन में भी जहर घोल दिया।

अम्बेडकर ने अस्पृश्यता के निराकरण के लिए केवल सैद्धान्तिक दृष्टिकोण ही प्रस्तुत नहीं किया अपितु उन्होंने अपने विभिन्न आन्दोलनों व कार्यों से लोगों में चेतना जाग्रत करने और उसके निराकरण के लिए विभिन्न सुझाव भी दिए। उनका मानना था कि हिन्दू समाज में स्वतंत्रता, समानता तथा न्याय पर आधारित व्यवस्था स्थापित करने के लिए कठोर नियमों में संशोधन आवश्यक है। उनके अनुसार उन शास्त्रों को आधिकारिक नहीं माना जाना चाहिए जो सामाजिक अन्याय का समर्थन करते हैं। उन्होंने उसके लिए अन्तर्जातीय विवाह एवं सह भोजों को प्रोत्साहित किया।

अम्बेडकर शिक्षा के प्रसार पर बराबर बल देते रहे। उनका मानना था कि शिक्षा के बल पर ही समाज में व्याप्त भेद-भाव एवं दूरी खत्म होगी। वह केवल औपचारिक शिक्षा के ही पक्षधर नहीं थे बल्कि अनौपचारिक शिक्षा के भी समर्थक थे। दलितो के लिए केन्द्रीय एवं प्रान्तीय विधानमंडलों में प्रतिनिधित्व के वह पक्षधर थे इस प्रकार उनका मानना था कि निर्वाचन कानून बनाकर यह व्यवस्था की जानी चाहिए। उनका यह भी मत था कि दलितों को सरकारी सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया जाय। इसके लिए सरकार को विशेष कानून बनाना चाहिए। अम्बेडकर का मानना था कि दलित वर्ग को नीति निर्माण के कार्यों में उचित अवसर के लिए मंत्रिमण्डलों में प्रर्याप्त प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। अम्बेडकर भारतीय समाज में स्त्रियों की हीन दशा से भी काफी क्षुब्ध थे। उनकी मान्यता थी कि दलित समाज के उत्थान के लिए भी स्त्रियों का उत्थान आवश्यक है। उन्होंने स्त्री-पुरूष की समानता पर भी काफी जोर दिया और समानता को संवैधानिक दर्जा दिलाने का भी गम्भीर प्रयास किया।

अम्बेडकर के सामाजिक चिन्तन में अस्पृश्यों, दलितों तथा शोषित वर्ग के उत्थान के लिए काफी दर्शन झलकता है। वे उनके उत्थान के माध्यम से एक ऐसा आदर्श समाज स्थापित करना चाहते थे, जिसमें समानता, स्वतंत्रता तथा भ्रातृत्व के तत्त्व समाज के आधारभूत सिद्धांत हो। डा अम्बेडकर एक महान् चितंक एवं सुधारक थे। उन्होंने तत्कालीन समाज में प्रचलित अन्यायपूर्ण व्यवस्था में परिवर्तन तथा सामाजिक न्याय की स्थापना के लिए जबरदस्त प्रयास किए। उन्होंने दलितों-पिछड़ों एवं शोषितों के विरुद्ध सदियों से हो रहे अन्याय का न केवल सैद्धांतिक रूप से विरोध किया अपितु अपने कार्य कलापों आन्दोलनों के माध्यम से उनमें आत्म बल तथा चेतना भी जाग्रत की। इस प्रकार अम्बेडर का जीवन समर्पित लोंगो के लिए सीखने तथा प्रेरणा का न्याय स्रोत बन गया।

वह समाज सुधारक, राजनीतिज्ञ, अर्थशास्त्री, न्यायविद, लेखक, चिंतक, दार्शनिक व भारतीय संविधान के निर्माता थे। अपने बहुआयामी व्यक्तित्व के कारण ही उन्होंने न केवल भारत में बल्कि विश्व में अपनी योग्यता एवं क्षमता का परचम लहराया। लोक कल्याण और सामाजिक मूल्यों को वे समाज में स्थापित करने में सफल साबित हुए। उन्होंने केवल उपाय नहीं बल्कि अपने जीवन में भी उसे आत्मसात किया। उन्होंने जो चिन्तन किया वही कहा और जो कहा वही किया। उनमें बात करने और आचारण करने का साहस था तभी वह अपने लक्ष्य को हासिल कर सके। उनकी सत्यनिष्ठा एवं दृढ़ता ने उन्हें असाधारण बना दिया। डा अम्बेडकर कोरे आदर्शवादी स्वप्न दृष्टा नहीं थे। उनका आदर्श आचारण ही समाज के लिए एक शिक्षा है। वे समाज के सम्पूर्ण पक्षों की ओर जागरूक थे। सच तो यह है कि पद, सत्ता, यश आदि से उन्हें आसक्ति नहीं थी। वे समाज कल्याण हेतु कार्य करना अपना कर्तव्य समझते थे। उनका विश्वास था कि मनुष्य में महान् कार्यों के सम्पादन के लिए आत्मविश्वास तथा आत्मविजय परम आवश्यक है।

आजकल जिस बात की बहुत चर्चा हो रही है वह संविधान की दो आधारभूत अवधारणाओं पंथ निरपेक्षता और समाजवाद को लेकर है। अम्बेडकर ने इन दोनों अवधारणाओं को मूल संविधान की प्रस्तावना में शामिल नहीं किया था। शामिल करने की बात तो दूर, बल्कि इसका विरोध भी किया था। बाबा साहब के विरोध को आज के संदर्भों में नहीं समझा जा सकता है। नेहरू के चाहने पर भी उन्होंने समाजवाद को प्रस्तावना में शामिल नहीं किया। प्रो. के. टी. शाह के आग्रह पर विचार को अपनी भावी पीढ़ियों के गले में कैसे बाँध सकते हैं? अब समय आ गया है कि बाबा साहेब अम्बेडकर के सम्पूर्ण राष्ट्रीय स्वरूप को प्रस्तुत करके उनके साथ न्याय किया जाय। उनके विचार एवं सामाजिक दर्शन आज भी हमारे लिए प्रासंगिक है। हमें उस दिशा में कार्य करने की जरूरत है। ❑

(स्वतन्त्र लेखक)

हम विश्व शक्ति बनने का स्वप्न देख रहे हैं। स्वप्न देखना कोई बुरी बात नहीं मगर बिना आधार के स्वप्न देखना मँहगा भी पड़ सकता है। उचित शिक्षा के अभाव में छोटी सी अफवाह हिंसक दंगों में बदलने की घटनायें हो रही है। अन्धविश्वास के कारण बच्चों की बलि दी जा रही है तो औरतों को डायन बता कर मारा जा रहा है। सही शिक्षा ही देश को इन जड़ताओं से उबार सकती है। शिक्षा खर्च को निवेश मानने तथा साहस व विवेक दिखाने की आवश्यकता है। देखना है सरकार सबका साथ सबका विकास का नारा कितनी बुलन्दी से उछाल पाती है?

भारतीय संविधान और शिक्षा व्यवस्था

❑ विष्णुप्रसाद चतुर्वेदी

भारतीय संविधान के प्रमुख शिल्पकार बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के शताब्दी वर्ष में संविधान दिवस 26 नवम्बर का महत्त्व बढ़ गया है। संविधान सभा ने 26 नवम्बर, 1949 को संविधान को स्वीकृत किया था जो 26 जनवरी, 1950 से लागू हुआ। संविधान बनाते समय इसके रचनाकारों के मन में यह विचार अवश्य ही रहा होगा कि भावी भारत का निर्माण उसकी कक्षाओं में होने वाला है। इसी कारण भारतीय संविधान के निर्माताओं ने संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों के माध्यम से शासन को निर्देशित करते हुए देश की शिक्षा व्यवस्था को रूप देने का प्रयास किया है। जब हम 2015 का संविधान दिवस मना रहे हैं तब देश में नए स्वभाव की सरकार द्वारा नई शिक्षा नीति लिखी जा रही है। देखना यह है कि नई सरकार को नई शिक्षा नीति देने के लिए किन संवैधानिक प्रावधानों का ध्यान रखना होगा?

स्वर्गीय गोपाल कृष्ण गोखले ने 18 मार्च, 1910 में भारत में 'मुफ्त और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा' के प्रावधान के लिए ब्रिटिश विधान परिषद् के समक्ष प्रस्ताव रखा था, मगर वह पारित होकर कानून नहीं बन सका। स्वतन्त्र भारत के संविधान में अनुच्छेद 21 द्वारा जीवन तथा वैयक्तिक स्वतन्त्रता के संरक्षण का प्रावधान किया गया है शिक्षा व्यवस्था उसी का परिणाम है। अनुच्छेद 28 राजकीय शिक्षा संस्थानों में धर्म की शिक्षा को निषेध करने के साथ सहायता व मान्यता प्राप्त शिक्षा संस्थानों में दी जा रही धार्मिक शिक्षा में अनुपस्थित रहने की स्वतन्त्रता विद्यार्थी को देता है। अनुच्छेद 29 भारत के सभी नागरिकों को भाषा, लिपि व संस्कृति को संरक्षित करने के साथ ही धर्म, मूलवंश, जाति या भाषा के किसी भेदभाव के बिना किसी शिक्षा संस्थान में भर्ती होने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 30 भाषा या धर्म के आधार पर अल्प संख्यकों को अपने शिक्षा संस्थान खोलने व उनका प्रबन्ध करने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 41 में राज्य को उसकी आर्थिक सामर्थ्य व विकास की सीमाओं के भीतर रहते हुए शिक्षा पाने में नागरिकों को सहायता देने को कहता है। अनुच्छेद 45 में संविधान लागू होने के 10 वर्ष के भीतर 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए अनिवार्य व नि:शुल्क शिक्षा की व्यवस्था करने का निर्देश शासन को दिया था।

अनुच्छेद 46 शासन को निर्देश देता है कि वह अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों तथा पिछड़े वर्ग की शिक्षा हेतु विशेष व्यवस्था करे। अनुच्छेद 337 ऐंग्लो-इंडियन समुदाय की शिक्षा के लिए विशेष अनुदान देने को कहता है। अनुच्छेद 350 अ प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में प्राप्त करने की सुविधा उपलब्ध कराने को कहता है। अनुच्छेद 351 हिन्दी के विकास की बात करता है।

शिक्षा समवर्ती सूची में होने के कारण केन्द्र व राज्य दोनों का ही विषय है। संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार तकनीकी एवं चिकित्सा शिक्षा सहित सम्पूर्ण शिक्षा, राष्ट्रीय महत्त्व के कुछ विशिष्ट शिक्षा संस्थानों को छोड़ कर, राज्य का विषय है।

बड़ी देर से आया शिक्षा का अधिकार

संविधान लागू होने के बाद उसके अनुच्छेदों को स्पष्ट करने या संविधान की मूल भावना के अनुरूप उन्हें और प्रभावी बनाने के लिए उनमें समय-समय पर परिवर्तन किए गए। शिक्षा के संदर्भ में एक महत्त्वपूर्ण संविधान संशोधन 1976, जब देश में आपातकाल लागू था, किया गया। 40 वें संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा को समवर्ती सूची में डाला गया ताकि केन्द्र सरकार कानून बना कर सम्पूर्ण देश की शिक्षा व्यवस्था को प्रभावित कर सके। 1986 की नीति में शिक्षा को समवर्ती सूची में डालने को एक दूरगामी कदम बताया गया और आशा प्रकट की गई कि इससे केन्द्र व राज्यों के बीच शिक्षा क्षेत्र में अच्छी भागीदारी की शुरूआत होगी।

उच्च व उच्चतम न्यायालयों के फैसलों का प्रभाव भी देश की शिक्षा व्यवस्था को प्रभावित करता रहा है। 1993 में उन्नीकृष्णन के वाद में उच्चतम न्यायालय का निर्णय आया कि 14 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक नि:शुल्क व अनिवार्य शिक्षा पाना बच्चे का मौलिक अधिकार है। 2002 में एनडीए सरकार ने 86 वाँ संशोधन कर संविधान में अनुच्छेद 21 क जोड़ा। अनुच्छेद 21 क से देश में 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों हेतु अनिवार्य व नि:शुल्क शिक्षा की व्यवस्था करने में शासन की जिम्मेदारी स्पष्ट हो गई।

86 वें संविधान संशोधन को क्रियान्वित करने हेतु कानून का प्रारूप भी तत्कालीन एनडीए सरकार ने तैयार कर लिया मगर उसको पारित कराने से पूर्व ही वह सत्ता से बाहर हो गई। यूपीए सरकार अपने दूसरे कार्यकाल के अन्तिम दिनों, 2009 में, शिक्षा का अधिकार कानून लागू कर सकी। स्पष्ट है कि संविधान की भावना को औपचारिक रूप से लागू करने में देश के नीति निर्धारकों ने 60 वर्ष लगा दिए।

देश में शिक्षा का अधिकार कानून लागू हुए पाँच वर्ष से अधिक का समय हो गया है। इससे कुछ प्रदेशों के प्रारम्भिक विद्यालयों के भौतिक स्वरूप में कुछ सुधार अवश्य हुआ है। भौतिक सुधारों का ध्येय शिक्षा में गुणात्मक सुधार करना है, मगर शिक्षा में गुणात्मक परिवर्तन देखने को नहीं मिला है। प्राथमिक शिक्षा के स्तर को जाँच करने वाले गैर सरकारी संगठन प्रथम के निष्कर्ष तो प्राथमिक शिक्षा की गुणात्मकता में गिरावट बतला रहे हैं। शिक्षा की नींव ही कमजोर हो रही है तो भवन मजबूत कैसे होगा?

शिक्षा के अधिकार की कमियाँ

उन्नीकृष्णन के प्रसंग में उच्चतम न्यायालय के निर्णय में 6 से 14 वर्ष के बच्चों की नि:शुल्क व अनिवार्य शिक्षा की बात थी मगर शिक्षा के अधिकार कानून में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को ही सम्मिलित किया गया है। 0 से 6 वर्ष के बच्चों को छोड़ दिया गया है। इसी तरह पड़ौस के विद्यालय की उस अवधारणा को छोड़ दिया गया है जो कोठारी आयोग ने दी थी। 1986 की शिक्षा नीति में इसे लागू करने की बात कही गई है।

शिक्षा कानून का बनाना व उसे ईमानदारी से लागू करना दो अलग अलग बातें हैं। शिक्षा के अधिकार कानून के अनुरूप व्यवस्थाओं को लागू करने हेतु जितना धन चाहिए उतना धन उपलब्ध नहीं कराया गया है। केन्द्र राज्यों से उम्मीद कर रहा है और राज्य केन्द्र से, शिक्षा दोनों के बीच नि:सहाय पड़ी है। कानून सभी के लिए शिक्षा के समान अवसर की बात तो करता है मगर पंचतारा सुविधा से लेकर छतविहीन विद्यालयों तक के अस्तित्व को स्वीकार किया गया है। ऐसे में समानता कैसे आएगी? शिक्षा के अधिकार कानून में प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में देने की बात स्वीकार की गई है मगर देश में अंग्रेजी माध्यम के विद्यालयों की बाढ़ आ रही है। मातृभाषा के विद्यालय अपने अस्तित्व को बचाने में असमर्थ होते जा रहे हैं।

अभी हाल ही में हुई केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार मण्डल की बैठक में कई राज्यों ने शिक्षा के अधिकार कानून में परिवर्तन की माँग की है। केन्द्र सरकार ने राज्यों को लिखित सुझाव देने को कहा हैं। इलाहाबाद उच्च न्यायालय का निर्णय कि सरकारी अधिकारी अपने बच्चों को अनिवार्यत: सरकारी विद्यालयों में पढ़ाए अन्यथा आर्थिक दण्ड भुगते, देश की शिक्षा व्यवस्था को प्रभावित कर सकता है।

साहस तो दिखाना होगा

हम विश्व शक्ति बनने का स्वप्न देख रहे हैं। स्वप्न देखना कोई बुरी बात नहीं मगर बिना आधार के स्वप्न देखना मँहगा भी पड़ सकता है। उचित शिक्षा के अभाव में छोटी सी अफवाह हिंसक दंगों में बदलने की घटनाएँ हो रही है। अन्धविश्वास के कारण बच्चों की बलि दी जा रही है तो औरतों को डायन बता कर मारा जा रहा है। सही शिक्षा ही देश को इन जड़ताओं से उबार सकती है। शिक्षा के खर्च को निवेश मानने तथा साहस व विवेक दिखाने की आवश्यकता है। देखना है सरकार सबका साथ सबका विकास का नारा कितनी बुलन्दी से उछाल पाती है? ❑

(बाल एवं विज्ञान विषयक लेखक)

संस्कार युक्त शिक्षा पर उन्होंने कहा कि सम्पूर्ण पीढ़ी को संस्कारित करने की जिम्मेदारी शिक्षक की ही है। इसी कारण उनके मन में राष्ट्र हित व समाजहित की भावना का उदय होगा। उन्होंने महिला शिक्षा पर जोर देते हुए सह शिक्षा का भी पक्ष लिया उन्होंने कहा कि स्त्रियों का पुरुषों की बराबरी में एक साथ शिक्षा प्राप्त करने का अवसर होना चाहिए। उनका स्पष्ट मत था कि संस्था संचालकों को सहशिक्षा को महत्त्व देना चाहिए। देश में स्वाधीनता के बाद उच्च शिक्षा के उन्नयन के लिए कई आयोगों का गठन किया गया सभी ने मूल्यपरक शिक्षा पर ध्यान देने की बात कही।

बाबासाहब का शैक्षिक चिन्तन

❑ **प्रो. मधुर मोहन रंगा**

इतिहास साक्षी है, कि इस धरा पर, इस वसुन्धरा पर, प्रत्येक समय व काल में प्रतिभासम्पन्न महापुरुषों ने जन्म लिया है। कालान्तर में उन्होंने अपने कृतित्त्व व व्यक्तित्त्व के द्वारा महत्त्वपूर्ण काम समाज व देश के लिए सम्पादित किये। नि:स्वार्थ भाव से कार्य-निष्पादन के बाद महाप्रयाण कर गये। ऐसे ही सर्वगुण सम्पन्न व श्रेष्ठ व्यक्तित्त्व के धनी थे डॉ. भीमराव अम्बेडकर। वे एक राष्ट्रभक्त, प्रसिद्ध विधिवेत्ता व सामाजिक समरसता के पुरोधा माने जाते हैं। उनका कानून, अर्थशास्त्र, दर्शनशास्त्र, राजनीति व धर्मशास्त्र में गहरा अध्ययन था। देश के सर्वांगीण विकास की चिंता को लेकर उनका शैक्षिक-दर्शन आज भी समाज व राष्ट्र के सम्पूर्ण विकास के लिए प्रासंगिक है। उनका मत था कि शिक्षा ही ज्ञान का द्वार खोलकर सामाजिक परिवर्तन का मार्ग प्रशस्त करती है।

समाज परिवर्तन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। शिक्षा के द्वारा ही यह उद्देश्य प्राप्त किया जा सकता है। समाज परिवर्तन की इस प्रक्रिया को गतिमान बनाने के लिए समाज-मानस में परिवर्तनवादी विचारों का दृढ़ होना आवश्यक है, जिसका माध्यम शिक्षा ही है। व्यापक व सार्वजनिक शिक्षा के आधार पर ही समाज में दृढ़ता व स्वावलम्बन की सोच का विस्तार किया जा सकता है। शिक्षा की परिकल्पना के अंतर्गत ''पढ़ो और पढ़ाओं'' की प्रक्रिया ही उचित हैं। उसी से समाज प्रगति के शिखर पर पहुँचेगा।

आज हम जब नई शिक्षा नीति की बात करते हैं। तब श्रेष्ठ अध्यापक तैयार करने का विषय भी विचारणीय बिन्दु रहता है। इस सन्दर्भ में बाबासाहब का मत था कि शिक्षा ही राष्ट्र निर्माण कर सकती है। अत: शिक्षक उच्च योग्यता वाले ही होने चाहिए। उनके अनुसार गुणी अध्यापकों से ही सर्वोत्तम ज्ञान मिलता है। अच्छे शिक्षकों के साथ-साथ उनके विचार में आदर्श शिक्षा-केन्द्र किस प्रकार का हो इस पर उन्होंने कहा ''अध्ययन और अध्यापन के काम में शिक्षक इतने लीन हो जायें कि अपने घर की ओर देखने के लिए भी समय न मिले। अध्ययन के साथ-साथ अनुसंधान भी इतना ही प्रासंगिक है। विद्वान होने के साथ-साथ विषय को रोचक बनाने की कला और उत्साह भी शिक्षकों में होना चाहिए। इनमें कुछ गुण तो अपने आप में होंगे, कुछ अध्ययन व अनुभवों द्वारा अर्जित किये जा सकते हैं''।

संस्कार युक्त शिक्षा पर उन्होंने कहा कि सम्पूर्ण पीढ़ी को संस्कारित करने की जिम्मेदारी शिक्षक की ही है। इसी कारण उनके मन में राष्ट्रहित व समाजहित की भावना का उदय होगा। उन्होंने महिला शिक्षा पर जोर देते हुए सह शिक्षा का भी पक्ष लिया उन्होंने कहा कि स्त्रियों का पुरुषों की बराबरी में एक साथ शिक्षा प्राप्त करने का अवसर होना चाहिए। उनका स्पष्ट मत था कि संस्था संचालकों को सहशिक्षा को महत्त्व देना चाहिए। देश में स्वाधीनता के बाद उच्च

शिक्षा के उन्नयन के लिए कई आयोगों का गठन किया गया सभी ने मूल्यपरक शिक्षा पर ध्यान देने की बात कही, इसी प्रकार बाबासाहब भी मूल्य परक शिक्षा पर बल देते हुए कहते थे कि विद्या के साथ-साथ, विनय, शील व कड़ा अनुशासन सभी छात्रों को आत्मसात करना चाहिए। विद्या के साथ शील होना चाहिए क्योंकि शील के बिना विद्या अधूरी है। उनके अनुसार मूल्य आधारित शिक्षा से ही छात्रों में सामाजिक संवेदनायें सजग होती है, विद्यार्थी काल में छात्रों को राजनीति से दूरी बनाये रखनी चाहिए। यदि वे इस काल में राजनीति अपनाने लगेंगे तो उन्हें जीवन भर हानि उठानी होगी। परीक्षा में उत्तीर्ण होना और उपाधि पाना अलग-अलग है। जबकि सुशिक्षित ज्ञानी होना अलग बात है, विद्यार्थियों को ज्ञानवेत्ता होना आवश्यक है, तभी वह समाज व राष्ट्र के विकास में योगदान देगा। एक बार विद्यार्थी ने शिक्षण संस्था में प्रवेश ले लिया, तो वह साक्षर हो गया ऐसा नहीं है, जब तक उसने जीवन भर साक्षर रहने की क्षमता विकसित नहीं होती तब तक वह शिक्षण संस्था या साक्षरता वर्ग न छोड़े। उनके विचार से शिक्षा भोजन के समान है, जिसकी आवश्यकता जीवन पर्यन्त रहती है, उनका अभिमत था कि इस सन्दर्भ में उत्तरदायित्व शासन को लेना चाहिए। शिक्षा जगत् में शैक्षिक विषमता के विषय पर बाबा साहब का मत था कि शैक्षिक विषमता के मूल में सही अर्थो में सामाजिक व आर्थिक विषमता है। इसके लिए आवास अथवा छात्रावास, अभ्यास गृह, संस्कार केन्द्र, छात्रवृत्ति, आर्थिक सहायता आदि की केन्द्र व राज्य स्तर पर योजना बनाकर उचित व प्रेरणादायी सामाजिक वातारण निर्माण करने की आवश्यकता है।

चरित्र निर्माण के सम्बंध में उनका मत था कि विद्या, प्रज्ञा, शील, करुणा व मित्रता इन तत्त्वों का समावेश होने से श्रेष्ठ चरित्र निर्माण होगा। अत: इन गुणों के सृजन के लिए प्रयास करना चाहिये। ज्ञान से तात्पर्य प्रकाश है, यही प्रकाश सामाजिक, आर्थिक व शैक्षिक परिवर्तन का वाहक होना चाहिए उन्होंने औपचारिक शिक्षा को नैतिकता से जोड़ने का ध्येयवाद रखा। इस प्रकार उन्होंने शैक्षिक चिन्तन को एक व्यापक आदर्शवादी, व्यावहारिक व सैद्धान्तिक धरातल पर रखकर शिक्षा को उचित दिशा व पाथेय प्रदान करने का प्रयास किया। उन्होंने पाठ्यक्रमों का स्वरूप, विद्यार्थियों के दायित्त्व, शिक्षकों की पात्रता, शिक्षण संस्थाओं का उत्तरदायित्त्व, सभी के लिए शिक्षा की व्यवस्था, सार्वत्रिक शिक्षा की अनिर्वायता आदि विषयों पर चिन्तन कर समयानुकुल अनिवार्यता पर बल दिया। उन्होंने शिक्षा-संस्था संचालन में आर्थिक अनुशासन, आर्थिक शुचिता व पारदर्शिता का वर्णन किया, इसी से संस्थायें दीर्घ कालिक होती हैं। सार्वजनिक पैसे का हिसाब भलीभांति रखकर समय-समय पर सहयोग कर्ता को दिखाना व इसे पवित्र कर्तव्य समझना चाहिए। वे शिक्षा में सभी को समान अवसर व नि:शुल्क शिक्षा व्यवस्था के समर्थक थे। शिक्षण संस्थायें परीक्षा आयोजन कराने एवं उपाधि वितरण करने के साथ-साथ शिक्षा का सामाजीकरण भी करें, शिक्षा से ही व्यक्ति, समाज व राष्ट्र का समग्र विकास हो सकता है, अत: बाबा साहब के शैक्षिक विचार आज भी प्रासंगिक हैं, आवश्यकता इस बात की है कि उन्हें अंगीकार कर नई शिक्षा नीति में समावेश करें। ❑

(प्रोफेसर, पर्यावरण विज्ञान विभाग,
सरगुजा वि.वि., अम्बिकापुर, छ.ग.)

मरने से कैसे बचे मातृभाषा

❑ आशीष कुमार 'अंशु'

यह तकनीक का समय है, और इस दौर में भाषा और शिक्षा दोनों को बचाये रखना आसान हो गया है। इस संबंध में एंडर्सन और के. डेविड हेरिसन ने इन्ड्यूरिंग वॉइस प्रोजेक्ट के अंतर्गत कई भाषाओं के लिए शब्दकोश तैयार किया है। इस मॉडल को अपनाते हुए हम उन भाषाओं का शब्दकोश तैयार कर सकते हैं, जो भाषाएँ खतरे में हैं, इस तरह उन्हें बचाने की दिशा में हम अपना पहला कदम बढ़ा सकते हैं। लिविंग टंग इन्स्टीट्यूट के ग्रेग एन्डर्सन के अनुसार तकनीक से भाषाओं को बचाने का प्रयास किया जा सकता है। भाषाओं को लेकर और मातृभाषा में शिक्षा को लेकर सरकार जब तक गंभीर नहीं होगी और अपनी भाषा को सुरक्षित करने का भाव समाज में नहीं आएगा, यह काम आसान नहीं होगा।

दुनिया में पाँच करोड़ से साढ़े सात करोड़ ऐसे बच्चे हैं, जो किसी स्कूल में नहीं पढ़ रहे। यह बात अब साबित हो चुकी है कि प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में न दिए जाने की वजह से बड़ी संख्या में बच्चों ने स्कूल छोड़ा, या फिर प्राथमिक कक्षाओं में नई भाषा के साथ पढ़ते हुए वे फेल हुए और उसके बाद उन्होंने स्कूल छोड़ दिया। यूनेस्को (2008) के एक शोध के अनुसार बच्चे जिस भाषा को सबसे पहले अपने परिवार के साथ सीखते हैं, उस भाषा में वे प्राथमिक शिक्षा लेने के लिए सबसे अधिक सहज होते हैं। घर में अलग भाषा सीखते हुए जब चार-पाँच साल का बच्चा स्कूल में दाखिला लेता है तो उसे एक नई भाषा में शिक्षा लेते हुए कई स्तरों पर परेशानी का सामना करना पड़ता है। भाषा को लेकर किए गए एक शोध में देखा गया कि नई भाषा को जिन बच्चों ने जल्दी से अपनाया, वे धीरे-धीरे अपने परिवार से कटने लगे। उनका परिवार के साथ संवाद कम रह गया। ऐसे बच्चे अपने परिवार के भाषायी सांस्कृतिक विरासत को संभाल नहीं पाते हैं। एक भाषा सिर्फ एक भाषा नहीं होती। उस भाषा के साथ उसका गौरवपूर्ण इतिहास होता है, संस्कृति और भाषिक संस्कार होता है। भाषा का विपुल लिखित-अलिखित साहित्य होता है। इस बात की वकालत तमाम भाषाविद् करते हैं कि उस भाषायी समाज

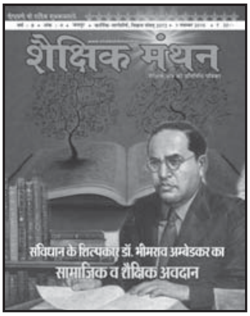

दुनिया में पाँच करोड़ से साढ़े सात करोड़ ऐसे बच्चे हैं, जो किसी स्कूल में नहीं पढ़ रहे। यह बात अब साबित हो चुकी है कि प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में न दिए जाने की वजह से बड़ी संख्या में बच्चों ने स्कूल छोड़ा। या फिर प्राथमिक कक्षाओं में नई भाषा के साथ पढ़ते हुए वे फेल हुए और उसके बाद उन्होंने स्कूल छोड़ दिया। यूनेस्को (2008) के एक शोध के अनुसार बच्चे जिस भाषा को सबसे पहले अपने परिवार के साथ सीखते हैं, उस भाषा में वे प्राथमिक शिक्षा लेने के लिए सबसे अधिक सहज होते हैं। घर में अलग भाषा सीखते हुए जब चार-पाँच साल का बच्चा स्कूल में दाखिला लेता है तो उसे एक नई भाषा में शिक्षा लेते हुए कई स्तरों पर परेशानी का सामना करना पड़ता है। भाषा को लेकर किए गए एक शोध में देखा गया कि नई भाषा को जिन बच्चों ने जल्दी से अपनाया, वे धीरे-धीरे अपने परिवार से कटने लगे।

का जो नवयुवक हो, उसे भाषायी विरासत संभालने की जिम्मेदारी दी जानी चाहिए। फिलिपीन्स में ''लैंग्वेज ऐजुकेशन' पॉलिसी आई। इसके अंतर्गत मातृभाषा में शिक्षा को पूरे देश में प्रोत्साहित किया गया। वैसे मातृभाषा की राह में नियंत्रण स्तर पर जिस भाषा की पहचान सबसे बड़े बाधा के तौर पर की गई, उसका नाम अंग्रेजी है। शिक्षा के गिरते स्तर के लिए गरीबी और ''अनपढ़ शिक्षक' भी कम जिम्मेदार नहीं हैं। हमने कभी उन बच्चों की शिक्षा के संबंध में सोचने का प्रयास किया है, जो देश के पिछड़े क्षेत्रों में गोंडी और संथाली जैसी भाषाओं के साथ बड़े होते हैं और जब उनका स्कूल में दाखिला होता है, उनके सामने हिन्दी आकर खड़ी हो जाती है। जब परीक्षा में ये बच्चे हिन्दी में अपना प्रश्नपत्र पाते हैं तो जिन सवालों के जवाब वे अपनी मातृभाषा में सहजता से दे सकते हैं, नई भाषा होने की वजह से वे जवाब नहीं दे पाते।

यही हाल हिन्दी में पढ़े हुए बच्चों का उस वक्त होता है, जब अंग्रेजी अचानक उनके सामने आ खड़ी होती है। इस तरह के भाषायी जुल्म के शिकार पूरी दुनिया में एक अनुमान के अनुसार 22 करोड़ से भी अधिक बच्चे हैं। बहुभाषी शिक्षा की सामने खड़ी तमाम चुनौतियों के बावजूद एशिया, अफ्रीका और लातिन अमेरिका ने बहुभाषी शिक्षा को अपनाया है। यूके की संस्था सीएफबीटी और सेव द चिल्ड्रेन लंबे समय से शिक्षा व्यवस्था और विकास पर काम कर रहीं हैं। इन दोनों संस्थाओं की संयुक्त रिपोर्ट के अनुसार मातृभाषा में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए उस भाषा में आर्थिक संभावनाएँ और उनकी सामाजिक स्वीकार्यता बढ़ाने की दिशा में काम करना चाहिए। यह देखा गया कि जिन देशों में प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दी गई और आगे की कक्षा में धीरे-धीरे बच्चों का परिचय नई भाषा से कराया गया। वहाँ बच्चों ने नई भाषा को अधिक तेजी से और प्रभावी तरीके से सीखा है। देश की शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए मातृभाषा में शिक्षा अनिवार्य होना आवश्यक है और मातृभाषा को प्रोत्साहन देने के लिए देश के सभी प्राथमिक विद्यालय की देख-रेख और जिम्मेदारी स्थानीय समिति अथवा प्रशासन को दिया जाना चाहिए। शिक्षा का स्तर प्राथमिक विद्यालय में भी न गिरे, इसके लिए एक राष्ट्रीय मानक तय करना चाहिए। जिससे देश भर में मातृभाषा की प्राथमिक शिक्षा का एक स्तर पर मानकीकरण हो पाए। लेकिन पिछले पचास सालों के भाषा के संबंध में जो अनुभव भारत से आया है, वह अच्छा अनुभव नहीं है।

भारत उन देशों में शामिल है, जहाँ भाषाओं का बड़ी संख्या में पिछले 50 सालों में संहार हुआ। भाषाएँ थीं, उनके होने के सबूत मिलते हैं,लेकिन वह भाषा ढूँढ़ने से भी नहीं मिलती हैं। भारत 780 भाषाओं में बात करता है, लेकिन आधिकारिक रिकॉर्ड में 122 भाषाएँ ही खुद को दर्ज करा पाई हैं। प्रो. गणोश देवी के अनुसार पिछले 50 सालों में 220 भाषाएँ गुमशुदा हैं। दुनिया में खतरे के निशान को छूती हुई भाषाओं के अध्ययन में यूनेस्को ने पाया कि भारत 197 भाषाओं के साथ दुनिया में खतरे में पड़ी भाषाओं के मानचित्र में सबसे आगे है। ऐसा नहीं है कि भाषाओं को बचाए जाना और उन्हें प्राथमिक शिक्षा से जोड़ना कोई असंभव कार्य है। जरूरत सिर्फ सरकार के इच्छा शक्ति की है और कुछ सामाजिक संगठनों के आगे आकर मदद करने की है। प्रो. गणोश देवी बताते हैं कि हर तरफ निराश होने वाली स्थिति नहीं है, पिछले 20 सालों में भीली बोलने वालों की संख्या में 85 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। कोया, त्रिपुरी, खासी और कोया बोलने वाले लोगों की संख्या में भी वृद्धि दर्ज की गई है। यह बात जरूर चिंताजनक है कि वाचिक परंपरा वाली कई भाषाओं से उनका लिखित साहित्य पूरी तरह से खत्म कर दिए जाने की कोशिश हुई है। जबकि आज मोबाइल, सामुदायिक रेडियो और वीडियो के माध्यम से भाषाओं को प्रसारित और संरक्षित करने का काम किया जा सकता है। इस तरह भाषा अपने लोगों के बीच सुरक्षित रहेगी।

अब भाषाओं को बचाने के काम में वाट्सएप भी मददगार साबित हो सकता है। वाट्सएप पर भी अलग-अलग भाषा समूह के लोग अपनी-अपनी भाषा का वाट्सएप ग्रुप बना सकते हैं। असम के करबी में रहने वाला एक टीवा आदिवासी जो सड़क मार्ग से कटा हुआ है। शहर के विकास की हवा भी उनके घर तक नहीं पहुँची, लेकिन उन तक यह बात पहुँच गई है कि बिना हिन्दी और अंग्रेजी के भविष्य को सुधारा नहीं जा सकता है। रोजगार और पैसा हिन्दी और अंग्रेजी में है। लेकिन जब एक टिवा आदिवासी दिल्ली आकर अच्छी नौकरी कर पैसे कमाता है और एक दिन उसका मित्र ने उसे वाट्सएप पर उसकी टिवा भाषा में एक वीडियो भेजता है तो वह नॉस्टेजिक हो जाता है। उसे अपनी भाषा अब बुरी नहीं लगती। कोई भाषा खतरे में क्यों जाती है और एक दिन उसे बोलने वाला कोई नहीं बचता, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह वह समाज है, जो भाषा बोलने वालों को यह एहसास कराता है कि उनकी भाषा उपयोगी नहीं है। इसका खत्म हो जाना बेहतर है और अपनी भाषा की वजह से उसे बोलने वाले समाज में खुद को उपेक्षित समझने लगते हैं तो भाषा धीरे-धीरे खत्म होने लगती है। अब अलग-अलग भाषाओं के साथ मोबाइल एप भी तैयार किए जा सकते हैं। हम एक ऐसे देश में रहते हैं, जहाँ शौचालय से अधिक मोबाइल है। इसलिए शिक्षा और खतरे में पड़ी भाषाओं को बेहतर बनाने और बचाने में मोबाइल एक हथियार का काम कर सकता है। ❑

स्मृति मंदिर में संघ संस्थापक प.पू. डॉक्टर जी की प्रतिमा एवं प.पू. श्रीगुरुजी की समाधी पर माल्यार्पण करते हुए
राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. विमल प्रसाद अग्रवाल व राष्ट्रीय महामंत्री प्रो. जे.पी. सिंघल

राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक को सम्बोधित करते हुए राष्ट्रीय महामंत्री प्रो. जे.पी. सिंघल

'राष्ट्रीय अधिवेशन' का दीप प्रज्वलन से उद्घाटन कर उद्बोधन करते हुए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री देवेन्द्र फडणवीस

उद्घाटन कार्यक्रम में उपस्थित संभागीगण

'राष्ट्रीय गौरव यात्रा' प्रदर्शनी का अवलोकन करते हुए
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री देवेन्द्र फडणवीस

'एक सत्' स्मारिका एवं शैक्षिक मंथन मासिक के 'एकात्ममानव दर्शन' विशेषांक का विमोचन करते हुए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री देवेन्द्र फडणवीस

'वर्तमान में भारतीय शिक्षा के समक्ष चुनौतियाँ एवं समाधान' विषय पर उद्बोधन करते हुए डॉ. बजरंग लाल गुप्ता (प्रख्यात आर्थिक चिंतक, लेखक एवं विचारक)

महामंत्री, मंत्री, सहमंत्री बैठक लेते हुए प्रो. जे.पी. सिंघल, साथ में श्रीमती आर. सीतालक्ष्मी, प्रो. के. बालकृष्ण भट्ट, श्री मोहन पुरोहित, श्री हिम्मत सिंह जैन एवं प्रो. प्रगनेश शाह

अध्यक्ष/ उपाध्यक्षों की बैठक लेते हुए डॉ. विमल प्रसाद अग्रवाल, साथ में डॉ. निर्मला यादव, श्री जगदीश सिंह चौहान एवं श्रीमती प्रियंवदा सक्सेना

संगठन/ सहसंगठन मंत्री, बैठक लेते हुए राष्ट्रीय संगठन मंत्री श्री महेन्द्र कपूर, साथ में राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री श्री ओमपाल सिंह

कोषाध्यक्षों की बैठक लेते हुए राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष श्री बजरंग प्रसाद मजेजी

अन्य दायित्ववान कार्यकर्ताओं की बैठक लेते हुए उच्च शिक्षा प्रभारी श्री महेन्द्र कुमार, साथ में संरक्षक प्रो. के. नरहरि जी

अधिवेशन में पंजीयन करते हुए प्रतिनिधिगण

संगठन की 'वार्षिक कार्ययोजना' विषय पर
संबोधित करते हुए राष्ट्रीय संगठन मंत्री श्री महेन्द्र कपूर

उच्च शिक्षा संवर्ग बैठक

माध्यमिक संवर्ग बैठक

प्राथमिक संवर्ग बैठक

महिला संवर्ग बैठक

'शाश्वत जीवन मूल्य और शिक्षा' विषय पर सम्बोधित करते हुए स्वामी राम
कृष्ण विवेकानन्द विश्वविद्यालय के कुलपति स्वामी आत्मप्रियानन्द जी

'हम करें राष्ट्र आराधन' रात्रि कालीन कार्यक्रम में
प.पू. डॉ. हेडगेवार जी का जीवन दर्शन

'शिक्षा भूषण' अखिल भारतीय शिक्षक सम्मान समारोह का दीप प्रज्वलन से उद्घाटन कर सम्बोधित करते हुए
स्वामी आत्मप्रियानन्द जी एवं श्री नितिन गडकरी जी (केन्द्रीय भूतल परिवहन एवं जहाजरानी मंत्री)

डॉ. पी.एल. गावडे का सम्मान

प्रो. जी.एस. मुरंबडिशाया का सम्मान

ताई इंदुमति काटदरे का सम्मान

'डॉ. अम्बेडकर जी का शैक्षिक अवदान' विषय
पर सम्बोधित करते हुए श्री हनुमान सिंह राठौड़

समापन अवसर पर दीप प्रज्वलन
करते हुए प्रो. अनिरुद्ध देशपांडे

सम्मान समारोह में उपस्थित संभागी

समापन अवसर पर मार्गदर्शन करते हुए
प्रो. अनिरुद्ध देशपांडे जी (अ.भा. सम्पर्क प्रमुख-रा.स्व.संघ)

ध्वजावतरण करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. विमल प्रसाद अग्रवाल

राष्ट्रीय अधिवेशन में 'प्रेस परिषद' को सम्बोधित करते हुए प्रो. जे.पी. सिंघल

शिक्षक सम्मान कार्यक्रम में संभागी प्रतिनिधि

उच्च शिक्षा संवर्ग बैठक में संभागी प्राध्यापकगण

महाराष्ट्र दर्शन कार्यक्रम की एक प्रस्तुति

भोजन करते प्रतिनिधिगण

अधिवेशन में भाग लेने हेतु आते प्रतिनिधिगण

'राष्ट्रीय गौरव यात्रा' प्रदर्शनी का उद्घाटन करते हुए प्रो. के. नरहरि

प्रदर्शनी का अवलोकन करते हुए प्रो. के. नरहरि

रुक्टा (राष्ट्रीय) के कालाडेरा में आयोजित विभागीय सम्मेलन का दीप प्रज्वलन कर उद्घाटन एवं सम्बोधित करते हुए शैक्षिक मंथन के सम्पादक प्रो. सन्तोष पाण्डेय एवं मंचस्थ अन्य अतिथिगण

कालाडेरा विभागीय सम्मेलन में संभागी प्राध्यापकगण

जम्मू कश्मीर की प्रदेश टीम बैठक कटरा में सम्पन्न

म.प्र. शिक्षक संघ नरसिंहपुर (म.प्र.) इकाई द्वारा गुरुवन्दन एवं शिक्षक सम्मान कार्यक्रम सम्पन्न

'शाश्वत जीवन मूल्यों' पर जबलपुर इकाई द्वारा आयोजित कार्यक्रम में राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री श्री ओमपाल सिंह एवं मंचस्थ कार्यकर्ता

उ.प्र. के कार्यकर्ता मा. राज्यपाल श्री राम नाईक से भेंट करते हुए

राजस्थान शिक्षक संघ (राष्ट्रीय) का प्रदेश शैक्षिक सम्मेलन जयपुर में सम्पन्न

1. दीप प्रज्वलन कर उद्घाटन करते हुए शिक्षा राज्यमंत्री प्रो. वासुदेव देवनानी, 2. उद्घाटन में मंचस्थ महानुभाव, 3 प्रो. वासुदेव देवनानी, 4. मुख्य वक्ता राजस्थान विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. जे.पी. सिंघल, 5. स्व. जयदेव पाठक स्मृति व्याख्यान माला में सम्बोधित करते हुए श्री कैलाश चन्द (क्षेत्र बौद्धिक प्रमुख-रा.स्व.संघ) 6. समापन अवसर पर मुख्यवक्ता राष्ट्रीय संगठन मंत्री श्री महेन्द्र कपूर 7. शिक्षा मंत्री श्री कालीचरण सर्राफ एवं 8. विशिष्ट अतिथि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री श्री अरुण चतुर्वेदी

उद्घाटन अवसर पर संभागी शिक्षकगण

श्रीमती वसुंधरा राजे
माननीया मुख्यमंत्री
राजस्थान

शिक्षा का अधिकार
सर्व शिक्षा अभियान
सब पढ़ें सब बढ़ें

श्री वासुदेव देवनानी
माननीय शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
राजस्थान

बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ

एक राष्ट्रीय मिशन

- राज्य के 21 जिलों में जिनमें कम बाल लिंगानुपात वाले 10 जिलों और अधिकतम जैण्डर गैप वाले 11 जिलों में संचालित।
- राज्य की 6 से 14 वर्ष की बालिकाओं हेतु नि:शुल्क शिक्षा सुनिश्चित करना।
- विभिन्न स्थानों पर पेंटिंग, बैनर आदि के माध्यम से समाज में बेटियों की शिक्षा-दीक्षा को बढ़ावा देना।
- विद्यालयों में प्रतियोगिता, स्लोगन, निबंध, चित्रकला इत्यादि के माध्यम से बालक-बालिकाओं में बालिका शिक्षा के महत्त्व को बताना।

राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद
4 थाँ तल, ब्लाक नं. 5, शिक्षा संकुल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर
फोन नं. : 0141-2700870
Email Id- rajssa_gender@yahoo.co.in

Wake Up, They're Leaving!

❑ **Asit K Biswas & Kris Hartley**

India continues to assert its image in the global technology community . During Prime Minister Narendra Modi's visit to Silicon Valley last month, issues like social media and entrepreneurship were popular discussion points. "Our startups represent not just commercial success stories, but are powerful examples of social innovation," Modi had boasted at an event in San Jose. Tech CEOs praised him for the `Digital India' campaign that would appear to have the country poised for innovative greatness.

Less sanguine observers, however, have raised concerns about the loss of Indian talent to the West. India does not lack talent. Many of the country's peripatetic expats have been highly successful. The boardrooms of Silicon Valley and Wall Street are full of Indian success stories.

Upward mobility is not enjoyed only by a handful of Indian corporate superstars. The average income of Indian-American families, at $88,000 annually , is the highest among all ethnic subgroups.

Visa is the Master Card

One might assume that a country producing such successful talent would itself enjoy elite educational status. However, politics and bureaucratic meddling have compromised the quality of once-elite educational institutions like the IITs and IIMs. Bright young Indians have fled in part because India's corporate and research environment failed to value and compensate them for their talents.

Between 2000 and 2014, more than 61,000 high-income Indian families emigrated in search of better opportunities and quality education for their children. In a Gallup survey published in 2012, 10 million Indians expressed a desire to move to the US.

IIT may be a victim of its own success, with the government duplicating the university in almost every state (14 new ones since 1990). The once formidable IIT brand has been rubber-stamped on what could be called `provincial universities'. Reservations for staff and students in these new schools have gradually eroded the quality of education. The pool of teaching talent has been stretched thin with the proliferation of new positions, nearly a third of which sit vacant.That figure rises to 40% when counting all Indian universities.

Loose standards and the absence of controls and benchmarks have diluted the quality of PhD dissertations. The global reputation of Indian universities

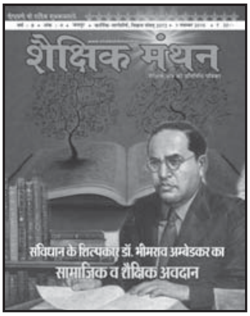

Predictably , CEOs are complaining that Indian graduates lack functional skills. A 2011 survey revealed that finding qualified employees was a challenge for 70% of Indian companies. A 2011 Wall Street Journal piece found that "75% of technical graduates and more than 85% of general graduates are unemployable by India's high-growth global industries". Lack of English comprehension and basic vocational skills are often cited as the explanation.

lags behind China, never mind the West. The US, with its massive demand for higher education and historically supportive policies and resources, has only a handful of truly elite technological institutions: such as MIT, Caltech, Georgia Tech, and departments in flagship universities like UC Berkeley and the University of Michigan. Competition for admission to these is fierce.By contrast, the glut of IITs has recently led to deadline extensions for filling seats, a harbinger of competitive disadvantage.

Predictably , CEOs are complaining that Indian graduates lack functional skills. A 2011 survey revealed that finding qualified employees was a challenge for 70% of Indian companies. A 2011 Wall Street Journal piece found that "75% of technical graduates and more than 85% of general graduates are unemployable by India's high-growth global industries". Lack of English comprehension and basic vocational skills are often cited as the explanation.

And yet, Modi claims that India is still the world's `back office', even as the Philippines surpasses India to become the largest call centre. British and American firms have even repatriated their call centres. Personnel costs may be higher, but efficiency gains have apparently made this strategy worthwhile. India is losing its techno-economic competitive edge, and has been doing so for years.

Make in India, then Export

India needs to create 12 million new jobs each year for decades to come.

The emigration of India's promising young workers leaves a vacuum of talent that the remaining population cannot fill.

Modi's `Make in India' campaign has netted splashy headlines, and in deed there is some progress. India recently improved its ranking by 16 places year-on-year in the World Economic Forum's Global Competitiveness Report. With rapid advancements in technology in the coming deca des, India will lose some job types, but also see millions of new ones that do not currently exist. Sadly , there does not appear to be any genuine attempt to reform university education and vocational training to meet the vast skill shortages of the future.

India needs a culture of innovation, future-oriented planning, public and private sector risk-taking, and massive infrastructure improvements to fertilise the growth of high paying jobs -jobs that peer countries are eager to poach. Unfortunately , these conditions are largely absent.

The weight of an unwieldy bureaucracy , the re-emergent scourge of `tax terrorism', policy uncertainty eroding FDI confidence, erratic revisions of regulations, and the overall absence of meaningful reform will continue to hamper innovation and job-creation. Unless these fundamental conditions improve, India's best talent will continue to be found in its airport departure lounges.

People now have higher expectations for living standards, particularly for their children. Modi's visit to Silicon Valley is evidence that the government is committed to building the country's global image. However, India first must sell its value as a country to its own citizens. Currently , it is failing to close that sale. ❑

The writers are with the Lee Kuan Yew School of Public Policy, National University of Singapore.

Why edtech startups will be the next to top the class

❑ **Anand J & Shalina Pillai**

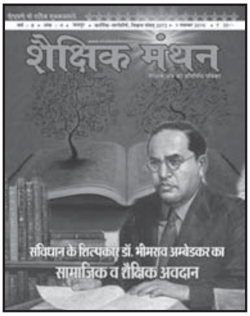

Popularly known as edtech companies, they are getting the attention and funding of venture capital firms, and each targets a specific kind of student. While some focus on tuition for schoolgoing children, others aim to help you crack entrance tests, and a third segment provides professional certification courses.

When his son Rishi entered Class 9, V Ravindhar, like most parents with 14-year olds, started worrying about marks and wanted the boy to get personalized attention from a tuition teacher. But, Ravindhar's job with LIC in Coimbatore didn't give him the time to pick and drop Rishi at various tuition classes. So he signed Rishi up for math, physics and chemistry tuition on online education platform Vedantu and chose teachers. Rishi has finished 30 hours of classes, interacting directly with teachers in Bengaluru and Chennai via video-conferencing.

Education technology companies like Vedantu, which recently raised $5 million from New York-based investment firm Tiger Global, seem to have graduated to the next level, and are using new technologies to disrupt the way tuition and coaching are delivered to students. Popularly known as edtech companies, they are getting the attention -and funding -of venture capital firms, and each targets a specific kind of student. While some focus on tuition for schoolgoing children, others aim to help you crack entrance tests, and a third segment provides professional certification courses.

"Education is the next front to be conquered using technology . Books cannot be updated real time, but we can push updates on an app and this can be distributed to millions with no incremental cost," says Zishaan Hayath, founder of Toppr, an online test preparation platform used by more than three lakh aspirants.

Hayath says advances in technology have made it possible to adapt question papers to a personal level. It can figure out the weaknesses of a student based on past performance on the platform, and can serve him or her appropriate content and questions.

Since videos are the most engaging form of content delivery, most edtech companies use technology to compress data so that video streaming or pre-recorded video files can be sent over EDGE or 2G connections. Faster internet speeds, higher smartphone penetration and Indians' growing comfort with the online medium have also helped the segment's growth.While e-books and tablets were heralded as the primary technology enablers a couple of years ago, smartphones and apps are taking over.

It also helps, of course, that spending on education is something that parents are unwilling to skimp on. The segment that has seen most players vying for consumers' money is online test preparation, focusing on entrance exams for IIT, IIM, UPSC and bank probationary officers.

Karan Mohla, executive director and head of digital consumer investment at venture capital firm IDG Ventures, says IITengineering coaching is where the per capita spending is at its highest, around Rs 75,000 per head. "You are not constrained by Kota [the Rajasthan town that has become a hub for IIT coaching] or national and regional differences anymore. Offline marketing is also easier if you target specific hubs and events," he says.

IDG has backed online test preparation platform SuperProfs, which has tied up with 200 professors across India and uploaded their lectures. The startup uses data analytics to determine a student's weak spots based on tests

and provides personalized course recommendations.The courses cost Rs 2,000 to Rs 5,000 a month.Of its 1.5 lakh students, only 40% come from the metros. "The biggest problem for students in tier-2 and 3 cities preparing for competitive exams was lack of access to good teachers within their city. We ensure that the best teachers from cities like Kota, Delhi, Chennai and Bengaluru are on our platform to provide their lectures," says SuperProfs founder Piyush Agarwal.

Their system enables HD quality videos to reach areas even with 100 kbps speed. This ensures that people in places with lower internet bandwidth are not denied the chance to learn from the best teachers in the country . Students also get to interact with these professors and clear their doubts by booking a slot for a live online session. "We are offering the same quality of education through technology and disrupting this space," Agarwal says.

The main beneficiaries, of course, are students, who can study where and when it is most convenient, often at costs much lower than in traditional brick-and-mortar facilities. "Mobile education is the only way to democratize education. This generation communicates only through smartphones," says Sanjay Purohit, founder of iProf, a content distribution platform that also lets students engage with tutors online.To cater to the lower-middle class, the startup has introduced pocket friendly "sachets" priced between Rs 5 and Rs 200. iProf has reached students living in the remotest of areas of the country , says Purohit.

Vedantu, on the other hand, operates entirely online as a marketplace where teachers and students meet and select one another. The tuition classes are for students from Class 6 to 12, and the charges range from Rs 150 to Rs 250 per hour. Students can rate teachers, which will be visible to potential new students.

K Ganesh, founder of Tutorvista, believes online education is still in the discovery phase."The sector has not even started and it is difficult to say which model or segment is going to work," says Ganesh, a serial entrepreneur who has funded companies like BigBasket and Portea Medical. "We will see a lot of offline players taking their brand equity online."

One such player is Bengaluru's Byju's Classes, which started as classroom coaching for MBA entrance exams but has metamorphosed into an online player. The company, which raised $30 million from Sequoia Capital recently, has been offering study material to students from Class 6 upwards on a tablet and is launching an app soon.

The company is making videos to help students understand concepts better. Founder Byju Ravindran says the app will soon reach China and Latin American markets after replacing the Indian teachers in the videos with Chinese and Spanish ones. Students can schedule sessions with teachers and clear doubts.

Globally too, funding to edtech companies has been booming, says data from VC investment tracking firm CB Insights. Financing grew from $944 million in 2013 to $1.6 billion in 2014, a 71% increase. In the last four quarters, including the second quarter of this year, education technology startups attracted $2.3 billion, a jump of 96% compared to the previous four quarters.

Global education giant Pearson made the biggest acquisition in the sector in India five years ago with the $130 million buyout of Ganesh's Tutorvista, though the industry has not seen any major exits since. But this should not be a concern, says Ganesh. "The education budget is not affected by elasticity of price," he says. "And Asian parents in general and Indian parents in particular are always willing to shell out extra for education."❑

भारत में वैज्ञानिक अनुसंधान के जनक महेन्द्रलाल सरकार

हर अच्छे कार्य का विरोध भी होता रहा है। महेन्द्रलाल सरकार के कार्य का भी हुआ। एक संस्था ने यह कहकर विरोध प्रारम्भ कर दिया कि भूखे देश के लिए वैज्ञानिक अनुसंधान विलासिता है। उन्होंने अनुसंधान के स्थान पर तकनीकी संस्थान खोलने पर जोर दिया जाय ताकि औद्योगीकरण हो सके। कुछ लोगों ने विज्ञान को धर्म विरोधी बताकर भी बाधा उपस्थित करने का प्रयास किया था। महेन्द्रलाल ने यह कह कर लोगों को समझाया कि यह सृष्टि ईश्वर की बनाई हुई है और विज्ञान इसके सत्य की खोज करता है। इसमें धर्म विरोधी कुछ भी नहीं है। सरकार ने किसी तरह का समझौता नहीं किया और कठिन मेहनत के बल पर सभी समस्याओं से पार करते गए।

❑ **विष्णुप्रसाद चतुर्वेदी**

वैज्ञानिक अनुसंधान में भारत विश्व में सम्मानजनक स्थान रखता है। आज देश के हर भाग में सुसज्जित विज्ञान प्रयोगशालायें हैं जहाँ अनुसंधान कार्य होता है। भारत में वैज्ञानिक अनुसंधान का जो विशाल तन्त्र खड़ा है उसे देखकर यकायक यह विश्वास नहीं होता कि इस विशाल वृक्ष का बीजारोपण महेन्द्रलाल सरकार नामक एक व्यक्ति के अथक प्रयासों से हुआ था। महेन्द्रलाल सरकार पेशे से डॉक्टर थे। बहुत अच्छी प्रेक्टिस चलती थी। वैज्ञानिक अनुसंधान से उनका कोई सीधा सम्बन्ध नहीं था। भारत में वैज्ञानिक सोच का निम्न स्तर देखकर वे इतने विचलित हुए कि 1876 में इण्डियन एसोसियेशन फॉर द कल्टिवेशन ऑफ साइन्स की स्थापना करके ही दम लिया। इस संस्थान में प्रयोग करके चन्द्रशेखर वेंकट रमन ने नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया। विश्व में भारतीय मेधा का परचम फहराया। डॉ. के.एस.कृष्णन्, मेघनाथ साहा, एस. भगवन्तम्, एन.के.सेठी आदि अनेक प्रसिद्ध वैज्ञनिकों का सम्बन्ध इस संस्था से रहा है। इण्डियन एसोसियेशन फॉर द कल्टिवेशन ऑफ साइन्स आज भी स्वायत्तशासी वैज्ञानिक संस्थान के रूप में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

महेन्द्रलाल सरकार का जन्म कोलकाता के पास पैल्कपारा गाँव के एक कृषक परिवार में हुआ था। इनके माता-पिता का देहान्त इनके बचपन में ही हो गया था। इनकी परवरिश मामा ईश्वरचन्द्र व महेशचन्द्र घोष के परिवार में हुई। प्रारम्भिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद महेन्द्रलाल कोलकाता आ गए। कुशाग्र बुद्धि होने के कारण छात्रवृतियाँ मिलती रही थी। महेन्द्रलाल कलकत्ता मेडीकल कॉलेज से निकलने वाले प्रारम्भिक एम.डी. थे। अध्ययन पूर्ण होने के कुछ वर्षों बाद ही इनका नाम कोलकाता के प्रमुख डॉक्टरों में गिना जाने लगा था।

घटना जिसने राह बदल दी

कभी कभी जीवन की एक छोटी सी घटना जिन्दगी का पूरा रुख बदल देती है। महेन्द्रलाल सरकार के साथ ऐसा ही हुआ। उच्च शिक्षित डॉक्टर होने के कारण इन्हें एलोपैथी पर इतना विश्वास था कि चिकित्सा की अन्य विधियों को नाकारा मानते थे। उनकी कटु आलोचना किया करते थे। एक बार डॉ.सरकार को विलियम मॉर्गन द्वारा लिखित पुस्तक दी और फिलोसॉफी ऑफ होमियोपेथी की समालोचना करने को कहा गया। होमियोपेथी में विश्वास नहीं होने पर भी, सरकार ने यह सोच कर हाँ भर दी कि पुस्तक का अध्ययन करने पर होमियोपेथी की आलोचना के और बिन्दु मिल सकेंगे। मगर हुआ उल्टा ही। पुस्तक पढ़कर महेन्द्रलाल सरकार होमियोपेथी की आलोचना के स्थान पर प्रशंसा करने लगे। इससे एलोपैथी के इनके मित्र नाराज हो गए। कुछ ने भला-बुरा कहा तो किसी ने झूठे इल्जाम भी लगाए। डॉक्टर लोग, होमियोपेथी के विषय में, महेन्द्रलाल सरकार की कोई बात सुनने को तैयार नहीं थे। चिकित्सा की पत्रिकाओं ने इनके लेख छापने से मना कर दिया था।

वैज्ञानिकता की कमी को पहचाना

कोई सामान्य व्यक्ति होता तो इस स्थिति से निराश हो जाता या क्रोधित हो अपना अलग मार्ग अपना लेता। महेन्द्रलाल सरकार ने विचार कर निष्कर्ष निकाला कि भारतीय समाज में वैज्ञानिक सोच की कमी का परिणाम है। वैज्ञानिक सोच वाला व्यक्ति सामने वाले की बात को सुनता है, विश्लेषण कर व शंका समाधन करता है। अत: देश में वैज्ञानिक सोच का विकास किया जाये। उसी दिन से महेन्द्रलाल सरकार विज्ञान के प्रसार में लग गए।

महेन्द्रलाल सरकार ने अपनी बात जनता तक पहुँचाने के लिए 'कलकता जर्नल ऑफ मेडीसिन' प्रारम्भ किया। सरकार मानते थे कि वैज्ञानिक सोच का विकास वैज्ञानिक तथ्यों को रटा कर नहीं किया जा सकता। वैज्ञानिक प्रयोग करने पर ही व्यक्ति में अनुसंधान की वृत्ति का विकास हो सकता है। उन्होंने देशवासियों को भौतिक विज्ञान में शिक्षित करने हेतु राष्ट्रीय संस्थान के गठन पर बल दिया। उनका मानना था कि

संस्थान का गठन भारतीयों द्वारा किया जाय जहाँ भारतीय वैज्ञानिक पूर्णसुविधा तथा स्वतन्त्रता से अनुसंधान कार्य कर सकें। वे चाहते थे कि भारतीय, वैज्ञानिक अनुसंधानों के मूकदर्शक नहीं बने रहें। भारतीय भी खोज करने में पश्चिमी जगत् की तरह भागीदारी निभावे। सरकार भारत में लन्दन की रॉयल सोसाइटी जैसी संस्था स्थापित करना चाहते थे। ऐसी संस्था जिससे ब्रिटिश सरकार का कोई लेना-देना नहीं हो और भारतीय लोग पूर्ण स्वतन्त्रता से अनुसंधान कर सके। उस समय बंगाल में जनचेतना बढ़ रही थी। ईश्वरचन्द्र विद्यासागर, बकिंमचन्द्र चट्टोपाध्याय आदि ने उनके विचार का स्वागत किया। इसका तत्काल प्रभाव यह हुआ कि कलकत्ता विश्वविद्यालय में विज्ञान वैकल्पिक विषय के रूप में प्रारम्भ किया गया। संस्थान के लिए धन भी आने लगा था। सरकार ने बंगाल के तत्कालीन गवर्नर को विश्वास में लेकर 29 जुलाई 1876 को इण्डियन एसोसियेशन फॉर द कल्टिवेशन ऑफ साइन्स प्रारम्भ कर दिया। इस तरह भारतदेश के स्वतन्त्र होने से पूर्व भारतीय विज्ञान ने स्वतन्त्रता प्राप्त कर ली।

विरोध भी हुआ

हर अच्छे कार्य का विरोध भी होता रहा है। महेन्द्रलाल सरकार के कार्य का भी हुआ। एक संस्था ने यह कहकर विरोध प्रारम्भ कर दिया कि भूखे देश के लिए वैज्ञानिक अनुसंधान विलासिता है। उन्होंने अनुसंधान के स्थान पर तकनीकी संस्थान खोलने पर जोर दिया जाय ताकि औद्योगीकरण हो सके। कुछ लोगों ने विज्ञान को धर्म विरोधी बताकर भी बाधा उपस्थित करने का प्रयास किया था। महेन्द्रलाल ने यह कह कर लोगों को समझाया कि यह सृष्टि ईश्वर की बनाई हुई है और विज्ञान इसके सत्य की खोज करता है। इसमें धर्म विरोधी कुछ भी नहीं है। सरकार ने किसी तरह का समझौता नहीं किया और कठिन मेहनत के बल पर सभी समस्याओं से पार करते गए।

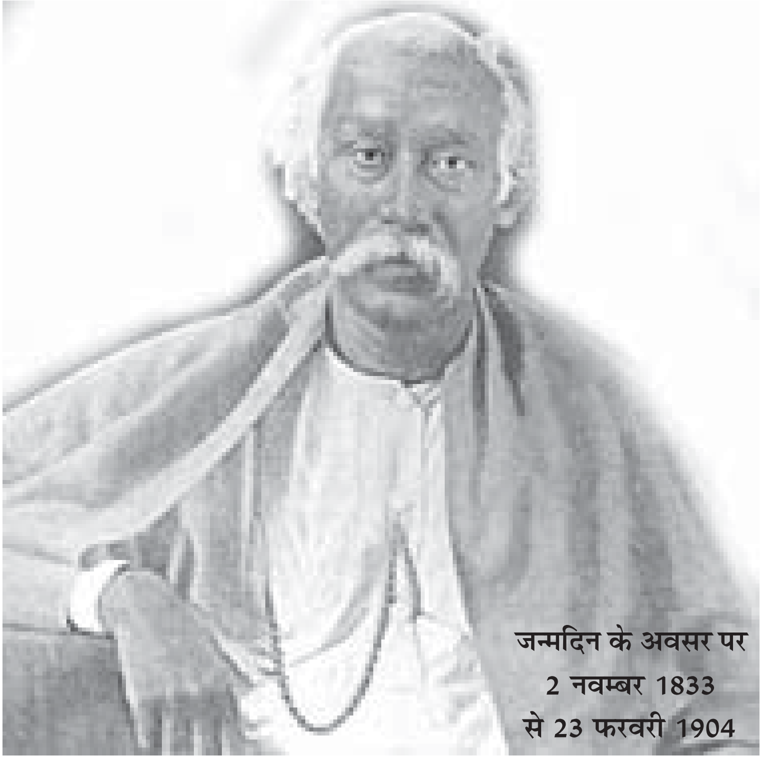

जन्मदिन के अवसर पर
2 नवम्बर 1833
से 23 फरवरी 1904

थकने लगे थे सरकार

अपने सम्पूर्ण प्रयासों के बाद भी महेन्द्रलाल सरकार संस्थान को विज्ञान विद्यालय के स्तर से ऊपर नहीं उठा पाए। सरकार कहा करते थे कि धन दो प्रकार का होता है। एक सोने-चाँदी के रूप में और दूसरा लोगों के मस्तिष्क में प्रतिभा के रूप में। दूसरे प्रकार के धन को बाहर लाने के लिए पहले प्रकार के धन को खर्च करना पड़ता है। उनका सीधा संकेत शिक्षा पर अधिक से अधिक धन खर्च करने से था। सरकार को इस बात का दु:ख था कि कुछ लोग ही वैज्ञानिक अनुसंधान का महत्त्व समझ सके। संस्थान की मदद को आगे आए। सरकार अपने जीवनकाल में संस्थान को पूर्णकालिक अनुसंधान केन्द्र बनाने में असफल रहे। कभी तो वे इतने निराश हो जाते कि उन्हें लगता कि इण्डियन एसोसियेशन फॉर द कल्टिवेशन ऑफ साइन्स नामक संस्थान बनाकर उन्होंने समय ही व्यर्थ किया है। जगदीशचन्द्र बोस व प्रफुल्लचन्द्र के विश्व स्तरीय अनुसंधानों ने सरकार को कुछ राहत दी थी। सरकार इस इच्छा के साथ इस दुनिया से चले गए कि देश एक दिन वैज्ञानिक अनुसंधान को राष्ट्रीय आन्दोलन बनाएगा और उनका सपना पूरा होगा।

सपना अभी अधूरा

महेन्द्रलाल सरकार के संसार से चले जाने के बाद भी उनके द्वारा लगाया गया वृक्ष मुरझाया नहीं। कलकत्ता विश्वविद्यालय ने विज्ञान के कई पाठ्यक्रम प्रारम्भ कर उसे आगे बढ़ाया। स्वदेशी आन्दोलन ने भी देश में विज्ञान अनुसंधान को बल दिया।

1930 में चन्द्रशेखर वेंकट रमन ने अपने नोबेल पुरस्कार का श्रेय स्वर्गीय महेन्द्रलाल सरकार को देकर सच्ची श्रद्धाजंली प्रस्तुत की थी। स्वतन्त्रता के बाद देश में विज्ञान अनुसंधान तेजी से बढ़ा है मगर महेन्द्रलाल सरकार की आत्मा को शान्ति तभी मिलेगी जब भारत ज्ञान के उत्पादन में विकसित देशों के बराबरी कर पाएगा। ❑

(बाल एवं विज्ञान विषयक लेखक)

Most study engineering due to parental push: Survey

Around 65% of students enroll in engineering courses out of parental compulsion and many had got admission despite low scores in physics and maths which are key subjects for engineering to determine aptitude. These are the findings of a study conducted by M-tutor, a private company that develops supplementing tools for educational learning.

The study conducted across nearly 100 colleges in various states found that such students who had enrolled in engineering courses due to parental compulsion displayed a lack of interest in the field and did not have any long-term career goals. Such students experienced high peer pressure right from day one, it found.

K V Nandita, a telecom engineering student, said that she had initially failed in Maths in her plus-two exam and had to re-appear for the exam before applying for an engineering seat. "My marks were not great but since nearly everyone in my class was taking up engineering, I wanted to get into engineering too," she said.

"We observed that in such cases, the parents also put pressure on institutions for placements. This in turn pressurizes the institutions to focus on a quantitative rather than a qualitative approach in their academic processes," said V Sundaramoorthy, managing director of M-tutor.

The study also discerned a change in patterns of learning among students over the last decade. This included their focus being affected due to high levels of distortion because of exposure to digital mediums. The study also found that their ability to grasp concepts during a a classroom session and to take down notes had weakened. Most of them were hesitant to even express this shortcoming to their own classmates, it said.

"Learning dynamics have changed from subjective approach to examination approach. There is a lack of scientific tools to monitor the outcome of the learning imbibed by students and their interest in the concepts," said Sundaramoorthy.

Only 8.15% of Indians are Graduates

Despite a big increase in college attendance, especially among women, fewer than one out of every 10 Indians is a graduate, new Census data show.

The office of the Census Commissioner and Registrar-General of India released new numbers on the level of education achieved by Indians as of 2011. They show that with 6.8 crore graduates and above, India still has more than six times as many illiterates.

While rural India accounts for only a third of all graduates, the rate of increase in graduates was faster in rural than in urban India over the last decade, and fastest of all among rural women. From 26 lakh graduates 10 years ago, nearly 67 lakh rural women are now graduates. Rural Indians are more likely to have non-technical graduate degrees than urban Indians, while urban India accounts for 80 per cent of all Indian technology and medicine graduates.

Among those with a graduate degree or above, the majority (over 60 per cent) are those who have a non-technical graduate degree.

Technical qualifications double New Census data on the educational status of Indians show that the biggest increase is in the number of people pursuing engineering and technology diplomas or technical degrees equivalent to a graduate or postgraduate degree.

The proportion of Indians with engineering and technology qualifications has nearly doubled over the last decade, while the proportion of women technology graduate equivalents has more than tripled.

In all, there were over 73 lakh Indians with a tech qualification in 2011. India also has over 30 lakh people with a teaching degree and over 15 lakh people with a medical degree.

Chandigarh and Delhi have the highest proportion of graduates over one in every five persons followed by Maharashtra among the big States, while Bihar and Assam are worst off among the big States, with fewer than one in every 20 persons a graduate. Across the country with the notable exceptions of Chandigarh and Kerala the proportion of male graduates is higher than that of women.

The proportion of graduates among the Scheduled Castes and Scheduled Tribes is far lower than the national average; just over four per cent of the SCs are graduates or above, while for the Scheduled Tribes, it is below three per cent, and lower still for women.

बारहवीं में 95% अंक पर एक वाक्य भी शुद्ध नहीं

बारहवीं की परीक्षा में 95 प्रतिशत या इससे भी ज्यादा नम्बर लाकर अच्छे कॉलेजों में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थी एक वाक्य भी व्याकरण की दृष्टि से सही तरीके से नहीं लिख सकते हैं आखिरकार इस गंभीर समस्या के प्रति शिक्षाविदों की नींद खुल ही गई।

अधिकांश शिक्षाविद् इस बात पर सहमत हैं कि इसका कारण यह है कि परीक्षा में नम्बर देने में जरुरत से ज्यादा उदारता बरती जा रही है, जिससे इन विद्यार्थियों के नम्बर व इनकी वास्तविक क्षमताओं के बीच एक बड़ी खाई बन गई है। शिक्षाविद् इसके लिए वस्तुनिष्ठ सवालों को भी दोष देते हैं, इसके विपरीत पूर्व में निबंधात्मक सवाल पूछे जाते थे जिससे विद्यार्थी की विषय के प्रति समझ, विश्लेषण की क्षमता और विषय को प्रस्तुत करने की क्षमता का पता चलता था।

केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने 50 राज्यों के स्कूल बोर्ड व सीबीएसई की एक मटिंग बुलाई है जिसमें उदारता से ज्यादा नम्बर देने की प्रवृति पर अंकुश लगाने के तरीकों पर विचार किया जाएगा।

अधिकारियों ने कहा कि इस साल 12 लाख विद्यार्थियों ने सीबीएसई की बारहवीं कक्षा की परीक्षा दी थी इनमें से 8,917 को 95 प्रतिशत से अधिक अंक मिले हैं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि दिल्ली युनिवर्सिटी के कॉलेजों पहली कट ऑफ कई वर्षों से 95 प्रतिशत से अधिक पर टिकी हुई है।

सीबीएसई के पूर्व चेयरमैन अशोक गांगुली ने इस नई प्रवृति पर खेद जताया कि स्कूल बोर्ड में अपने-अपने विद्यार्थियों को ज्यादा नम्बर देने की होड़ लगी हुई है ताकि उनके विद्यार्थी कॉलेज प्रवेश में पिछड़ ना पाएं। वे इस प्रकार से पेपर बना रहे हैं ताकि उनके विद्यार्थियों को आसानी से ज्यादा अंक मिले। इसके अलावा अधिकांश बोर्ड अपने विद्यार्थियों को एक ही पेपर में 15 ग्रेस अंक देते हैं।

वे हैरान हो गए जब कुछ छात्रों ने उन्हें बताया कि उन्होंने 80 अंकों के प्रश्नों के उत्तर ही लिखे थे पर उन्हें 90 से ज्यादा नम्बर मिले। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हरेक छात्र को ग्रेस अंक दिए गए थे। उन्होंने इस गड़बड़ी को तुरंत रोकने की मांग की।

गांगुली ने कहा कि सीबीएसई स्कूल ज्यादा नम्बर देते हैं यहाँ तक कक्षा नौ एवं ग्यारहवीं की वार्षिक परीक्षाओं में भी 2010 से बोर्ड सीसीई (कॉंटीन्युअस एण्ड कॉम्प्रैहैन्सिव इवेल्यूशन) प्रणाली का अनुसरण कर रहा है। जिसमें विद्यार्थी की शैक्षणिक क्षमता के साथ-साथ पाठ्येतर क्षमताओं का भी आकलन किया जाता है। यह साबित करने के लिए सी.सी.ई. बहुत अच्छा मॉडल है स्कूल इंटर्नल परीक्षाओं में अच्छे नम्बर देते हैं।

अधिक नम्बर देने का एक अन्य तरीका है 'नरमी'। बोर्ड तय करता है कि किसी पेपर में अगर कोई सवाल बहुत ज्यादा कठिन है तो वह सभी को उस सवाल के पूरे अंक दे दिए जाएं। एक स्कूल प्रिंसिपल ने कहा कि सी.बी.एस.ई. ने अपने परीक्षकों से कहा था कि वे उदारतापूर्वक नम्बर दें। उन्होंने कहा कि निर्देश यह है कि अगर किसी विद्यार्थी ने कॉंसेप्ट सही तरह से लिखा है तो उसे अच्छे नम्बर दें। भाषा व प्रस्तुतीकरण को कोई महत्त्व ना दें।

उन्होंने कहा कि 'पूर्व में भाषा व सामाजिक विज्ञान के प्रश्नपत्रों में अधिकांश निबंधात्मक प्रश्न होते थे ताकि विद्यार्थी की समझ, विश्लेषण क्षमता और प्रस्तुतीकरण की परख हो सके। पर अब इनमें बीस से तीस प्रतिशत तो वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होते हैं और हरेक का एक नम्बर होता है। अधिकांशतः संक्षिप्त उत्तर वाले प्रश्नों के उत्तर चार अंकों के होते हैं। प्रश्न पत्र में शायद ही कोई निबंधात्मक सवाल होता हो। सत्तर के दशक में अव्वल आने वाले विद्यार्थी भी इतिहास पर भाषा के प्रश्नपत्र में 60 से 70 प्रतिशत नम्बर ही ले पाते थे, इनके अधिकांश अब विद्यार्थी अब 95 प्रतिशत से भी ज्यादा नम्बर लेते हैं।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा बुलाई गई बैठक में यह तरीका बदलने पर, नम्बर देने में कड़ाई बरतने पर और नरमी तथा ग्रेस नम्बर कम देने पर विचार किया जाएगा। इसमें यह भी चर्चा होगी कि परीक्षा में नकल पर कैसे अंकुश लगाया जाए। इसके अलावा मंत्रालय सभी बोर्ड को यह कहेगा कि वे तय समय सीमा में ही नतीजे घोषित कर दें ताकि आई.आई.टी. एवं एन.आई.टी. में प्रवेश में देरी ना हो।

शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यों से मुक्त करने की माँग

राजस्थान शिक्षक संघ (राष्ट्रीय) के सिरोही जिला संगठन मंत्री ने जिला कलेक्टर वी. सरवन कुमार को पत्र प्रेषित कर गैर शैक्षिक कार्यों से शिक्षकों को मुक्त करने की माँग की। शिक्षकों को राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के अद्यतन कार्य में लगाया है साथ ही उनसे अतिरिक्त कार्य लेने के मंसूबे पालकर भामाशाह योजना के फार्म भरने का कार्य भी जबरदस्ती थोपा जा रहा है। उच्च न्यायालय ने शिक्षकों को गैर शैक्षिक कार्यों से मुक्त रखने का निर्णय किया है राज्य सरकार की भी यही मंशा है किन्तु तहसीलों के अधिकारी हर कार्य शिक्षकों से करवाने की मानसिकता से ग्रसित हैं। शिक्षा विभाग के शिक्षा अधिकारियों की अनुमति लिए बिना तहसील के प्रशासनिक अधिकारी सीधे ही शिक्षकों पर आदेश थोपने के आदि हैं। संगठन ऐसे आदेशों की पुरजोर निंदा करता है। राव ने बताया कि राज्य सरकार सरकारी विद्यालयों से श्रेष्ठ परिणाम चाहती है जिसके लिए शिक्षकों ने भी कमर कस ली है लेकिन गैर शैक्षिक कार्यों में लगातार उपयोग द्वारा प्रशासन छात्रों का अहित कर रहा है। बोर्ड की परीक्षाओं में समय कम रहा है। विद्यालयों में शिक्षकों की कमी से तालाबंदी हो रही है। ऐसे में शिक्षकों को गैर शैक्षिक कार्यों में लगाना छात्र, शिक्षक, समाज व राष्ट्र का अहित करना है। अतः जिला कलक्टर शिक्षकों को गैर शैक्षिक कार्यों से मुक्त करे अन्यथा संगठन आंदोलन को विवश होगा।

अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ

छठा राष्ट्रीय अधिवेशन नागपुर (महाराष्ट्र) में सम्पन्न

अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के तीन दिवसीय (9 से 11 अक्टूबर, 2015) छठे राष्ट्रीय अधिवेशन का शुभारम्भ 9 अक्टूबर, 2015 को डॉ. हेडगेवार स्मारक समिति रेशिम बाग, नागपुर (महाराष्ट्र) में महासंघ के माननीय अध्यक्ष डॉ. विमल प्रसाद अग्रवाल द्वारा ध्वजारोहण से हुआ। देश भर के 25 राज्यों एवं 60 विश्वविद्यालयों के करीब 1800 सम्भागियों ने इस अधिवेशन में सहभाग किया। अधिवेशन का उद्घाटन महाराष्ट्र के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय देवेन्द्र फडणवीस द्वारा हुआ। उन्होंने अपने उद्बोधन में कहा कि भारतीय संस्कृति एवं परम्पराओं के अनुकूल शिक्षा प्रदान करने के लिए हमें उसकी जड़ों तक पहुँचना होगा और महासंघ के समर्पित कार्यकर्ता ही ऐसा कर सकते हैं। आपने महासंघ के क्रियाकलापों की प्रशंसा करते हुए इस बात पर बल दिया कि महासंघ सामाजिक एवं शैक्षिक परिवर्तन का संवाहक बनें एवं भूली हुई समृद्ध परम्पराओं को पुन:स्थापित करें। आपने महासंघ को सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के वैचारिक अधिष्ठान को लेकर भारतीयता से ओत-प्रोत शिक्षा एवं समाज की रचना करने में जो श्रेष्ठ योगदान किया जा रहा है उसके लिए अपनी शुभकामनायें दी। उद्घाटन सत्र में स्वागताध्यक्ष श्री अजय कुमार संचेती, सदस्य राज्य सभा द्वारा सभी का स्वागत किया गया। इससे पूर्व महासंघ के महामंत्री द्वारा महासंघ के कार्यक्रमों का संक्षिप्त ब्यौरा समस्त उपस्थित महानुभावों के समक्ष रखा।

अधिवेशन में दायित्वानुसार, प्रान्तशः एवं संवर्गशः बैठक सम्पन्न हुई जिनमें महासंघ की रीति-नीति एवं कार्यक्रमों आदि के सम्बन्ध में विस्तार से चर्चा की गई। शिक्षा एवं शिक्षकों की समस्याओं पर गहन विचार विमर्श किया गया एवं महासंघ द्वारा इनके समाधान के लिए किये जाने वाले प्रयासों के सम्बन्ध में निर्णय लिया गया। महासंघ के महामंत्री ने शिक्षा एवं शिक्षकों की समस्याओं के सम्बन्ध में अब तक के प्रयासों के सम्बन्ध में विस्तार से जानकारी प्रदान की। महासंघ के कार्यक्रमों की विस्तृत जानकारी महासंघ के राष्ट्रीय संगठन मंत्री माननीय महेन्द्र कपूर द्वारा प्रदान की गई। महासंघ द्वारा समसामयिक शैक्षिक एवं सामाजिक विषयों पर तीन प्रस्ताव पारित हुए। ये प्रस्ताव हैं।

1. शिक्षा, एकात्ममानव का निर्माण करने वाली हो। 2. बाबा साहब अम्बेडकर के शैक्षिक विचारों को कार्यक्षेत्र में उतारें तथा 3. शिक्षा एवं शिक्षकों की समस्याओं का निराकरण किया जाये। इन प्रस्तावों को केन्द्रीय सरकार को भेजने का निर्णय भी लिया गया।

महासंघ द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में असाधारण कार्य करने वाले तीन शिक्षकों परम आदरणीय डॉक्टर प्रभाकर लक्ष्मण गावडे (महाराष्ट्र), परम आदरणीय प्रो. जी.एस. मुडंबडित्ताया कर्नाटक एवं परम आदरणीय इन्दुमती काटदरे (गुजरात) को 'शिक्षा-भूषण' अखिल भारतीय शिक्षक सम्मान विक्रम संवत् 2072 प्रदान किया गया। सम्मान समारोह के अतिथि भारत सरकार के भूतल परिवहन एवं जहाजरानी मंत्री माननीय नितिन गडकरी एवं विवेकानन्द विश्वविद्यालय के कुलपति स्वामी आत्मप्रियानन्द जी रहे। आपने श्रेष्ठ शिक्षकों के सम्मान की परम्परा को प्रारम्भ करने के लिए महासंघ को साधुवाद दिया।

महासंघ के वैचारिक अधिष्ठान को पुष्ट करने वाले तीन विषयों पर श्रेष्ठ महानुभावों का पाथेय प्राप्त हुआ। 'शिक्षा की चुनौतियों' विषय पर माननीय बजरंग लाल गुप्त ने अपने उद्बोधन में शिक्षा की चुनौतियों पर विजय प्राप्त करने के लिए भारत केन्द्रित शिक्षा को अपनाना होगा जिसकी प्रकृति, परिवेश एवं संसाधन भारतीय हो। इसके लिए आपने पाठ्यक्रमों में बदलाव लाने एवं क्रियान्वयन तंत्र को बदलने की आवश्यकता पर बल दिया। 'शाश्वत जीवन मूल्य' विषय पर विवेकानन्द विश्वविद्यालय के कुलपति पूज्य स्वामी आत्मप्रियानन्द जी का उद्बोधन हुआ। उन्होंने कहा कि जीवन मूल्यों को अपनाने से ही मानव और राष्ट्र का कल्याण होगा। जीवन मूल्यों वाली शिक्षा ही राष्ट्र को समृद्ध बना सकती है। 'डॉ. बाबा साहब अम्बेडकर का शैक्षिक अवदान' विषय पर माननीय हनुमान सिंह राठौड़ का शोधपरक उद्बोधन मिला। आपने अपने उद्बोधन में बताया कि जो आज हम शिक्षा एवं समाज के सम्बन्ध में बात कर रहे हैं वह डॉ. अम्बेडकर जी ने बहुत पहले ही बता दिया था। छात्रावास खोलने, पुस्तकालयों की स्थापना करने, कौशल विकास, शिक्षा के बजट में वृद्धि, नि:शुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा, सर्वव्यापी एवं सर्वस्पर्शी शिक्षा, तकनीकी शिक्षा के लिए अनुदान प्रदान करने की बात पर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने बल दिया था।

समारोप कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय सम्पर्क प्रमुख मा. प्रो. अनिरुद्ध देशपाण्डे का पाथेय प्राप्त हुआ। उन्होंने कहा कि महासंघ शिक्षा के पुन: निर्माण करने वाला संगठन है इसलिए हमारे शिक्षा के दर्शन में मानव निर्माण, चरित्र निर्माण एवं देश के पुन: निर्माण की संकल्पना सम्मिलित है। हमारा कार्यकर्ता इसी ध्येय को लेकर खड़ा हुआ है। हमें राष्ट्र के पुन: निर्माण के लिए एक परिवर्तक प्रतिनिधि के रूप में कार्य करना होगा तब ही हमारा संकल्प साकार होगा। महासंघ के अध्यक्ष द्वारा ध्वजावतरण के साथ अधिवेशन सम्पन्न हुआ।

अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में असाधारण योगदान करने वाले

तीन शिक्षकों को 'शिक्षा-भूषण' सम्मान

10 अक्टूबर 2015 को डॉ. हेडगेवार स्मारक समिति, रेशिम बाग, नागपुर (महाराष्ट्र) में सम्पन्न एक भव्य समारोह में रामकृष्ण मिशन विवेकानन्द विश्वविद्यालय के कुलपति स्वामी आत्मप्रियानन्द जी एवं भारत सरकार में भूतल परिवहन एवं जहाजरानी मंत्री माननीय नितिन गडकरी की उपस्थिति में शिक्षा के क्षेत्र में असाधारण योगदान करने वाले तीन शिक्षकों को 'शिक्षा-भूषण' अखिल भारतीय शिक्षक सम्मान विक्रम सम्वत् 2072 प्रदान किया गया।

सात सदस्यीय निर्णायक मण्डल द्वारा सर्वसम्मति से भारतीय शिक्षा पद्धति में अक्षुण्ण निष्ठा रखते हुए नवाचारों की सुदीर्घ परम्परा की स्थापना करने वाले मौलिक चिन्तक एवं लेखक डॉक्टर प्रभाकर लक्ष्मण गावडे (महाराष्ट्र), शिक्षा के 50 मॉडल ग्रन्थों के निर्माणकर्ता, रामायण, महाभारत, महर्षिगण तथा उपनिषदों की पात्र केन्द्रित टीकाओं के रचनाकार, प्रमुख वक्ता, कुशल सम्पादक एवं राष्ट्रीय प्रशस्ति पत्र से सम्मानित परमादरणीय प्रो. जी.एस. मुडंबडित्ताया (कर्नाटक) एवं 'धर्मपाल समग्र' के दस खण्ड, पुण्य भूमि भारत संस्कृति वाचन माला की सौ पुस्तिकायें, 'चिति' शोध पत्रिका, गृहशास्त्र, 'पुनरुत्थान संदेश' मासिक पत्र तथा 'शिशु वाटिका' तत्त्व एवं व्यवहार, बाल शिक्षा व कर्मशिक्षा जैसे ग्रंथों एवं ग्रन्थमालाओं की रचना आपकी बहुमुखी प्रतिभा तथा प्रखर रचनात्मकता का अनुपम उदाहरण है। उदार चित्त समाजसेवी, समर्पित कर्म-साधिका पुनरुत्थान विद्यापीठ की संस्थापक कुलपति परमादरणीय इन्दुमति काटदरे को अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के प्रथम अखिल भारतीय शिक्षक सम्मान विक्रम सम्वत् 2072 के 'शिक्षा-भूषण' के लिए चुना। अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ ऐसे तीनों मनीषियों को सम्मानित करते हुए गौरवान्वित है।

'शिक्षा-भूषण' सम्मान एक ऐसा सम्मान है जिसमें महासंघ के सम्बद्ध संगठन ऐसे अद्भुत कार्य करने वालों की खोज करते हैं एवं उनके सम्बद्ध में सभी आवश्यक दस्तावेज एवं सामग्री एकत्रित कर निर्णायक मंडल के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। इसी कड़ी में नागपुर अधिवेशन में तीन श्रेष्ठ अद्भुत योगदान करने वाले शिक्षकों को भारतीय परम्परानुसार सम्मानित किया गया एवं भेंट स्वरूप प्रत्येक को 'सम्मान चिह्न' के साथ एक-एक लाख रुपये की राशि, शॉल, श्रीफल भेंट किये गये । यह सम्मान पूर्णरूपेण महासंघ के प्रत्येक सदस्य से 100 रु. की राशि एकत्रित कर बनाये गये अक्षय कोष के माध्यम से किया है। प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय स्तर पर यह सम्मान गुरुपूर्णिमा के अवसर पर दिये जाने की योजना बनाई है। यह भी निर्णय लिया गया है कि सम्मानित किये जाने वाले श्रेष्ठ शिक्षकों के योगदान को आमजन तक पहुँचाने के लिए सभी सम्भव प्रयास किये जायेंगे।

समारोह के माननीय अतिथि माननीय नितिन गडकरी एवं पूज्य स्वामी आत्मप्रियानन्द ने इस सम्मान समारोह को बहुत ही गौरव एवं गरिमापूर्ण बताया तथा ऐसे समारोह व्यापक स्तर पर हों ऐसी शुभकामना प्रदान की।

अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ

छठा राष्ट्रीय अधिवेशन 9 से 11 अक्टूबर, 2015, नागपुर (महाराष्ट्र) में पारित प्रस्ताव

प्रस्ताव क्र. : 1

शिक्षा एकात्ममानव निर्माण करने वाली हो

अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ का स्पष्ट विचार है कि शिक्षा, मानव के सर्वांगीण विकास के साथ-साथ समाज एवं विश्व कल्याण का एक सशक्त माध्यम है। किन्तु ऐसा तभी संभव है जब देश की शिक्षा प्रणाली मनुष्य को स्वयं के भौतिक विकास तक संकुचित न बनाकर उसकी दृष्टि समाज, राष्ट्र एवं विश्व के कल्याण तक विकसित करने में सक्षम हो।

दुर्भाग्य से स्वतंत्रता के पश्चात से ही शिक्षा पर समग्रता से चिन्तन नहीं किया गया और यह स्थिति आज भी जारी है। शिक्षा का प्राथमिक, माध्यमिक उच्च स्तरों में बाँटकर खण्ड-खण्ड नियोजन प्रबंधन करना, भारत केन्द्रित शिक्षा का न होना तथा शिक्षा का लक्ष्य, जीविकोपार्जन तक ही सीमित कर देना व्यक्ति एवं समाज के वर्तमान दुरावस्था के प्रमुख कारण है।

भारत अपने ज्ञान के आधार पर विश्व गुरु कहलाया। हमारे ऋषियों ने समाज के प्रत्येक व्यक्ति को जीवनोपयोगी एवं समाजोपयोगी शिक्षा देने की सर्वांगीण व्यवस्था की थी। शिक्षा का अर्थ मात्र सूचनाओं के एकत्रीकरण तक नहीं था, वरन् हर प्रकार के बंधनों में मुक्ति को प्राप्त करना था इसलिए कहा गया - सा विद्या या विमुक्तये। मुक्ति का अर्थ केवल संसार से मुक्ति नहीं, वरन् शरीर, मन, बुद्धि तथा आत्मा के विकास में जो भी बंधन है, उन सब से मुक्त होते हुए परम तत्व के साथ एकात्म की अनुभूति यह भारतीय शिक्षा का उद्देश्य रहा। कालान्तर में विदेश आंक्राताओं से संघर्ष काल में उनके षडयंत्रों के फलस्वरूप हम इन बातों को भूलें किन्तु स्वतंत्रता के पश्चात् हम शिक्षा के मूल उद्देश्यों को स्थापित करने की ओर ठोस कदम नहीं उठा पाए और शिक्षा का केन्द्र यूरोप ही बना रहा है।

यूरोप केन्द्रित शिक्षा उपाधि एवं कुछ सीमा तक जीविकोपार्जन की व्यवस्था तो करती है किन्तु इस शिक्षा में व्यक्ति के शारीरिक, बौद्धिक, मानसिक, प्राणिक एवं आध्यात्मिक विकास की संतुलित व्यवस्था गायब है। इस शिक्षा पद्धति में व्यक्ति, समाज, राष्ट्र, विश्व का अस्तित्व तो है, पर उनके मध्य समन्वय के संबंध नहीं है। राजनैतिक एवं अर्थ चिंतन तो है पर नैतिक मूल्यों का आधार गायब है। पर्यावरण को बचाने की बात है, सिद्धान्त है किन्तु पंच महाभूतों से आत्मिक रिश्ता नहीं है। पंथ बहुत है, उनमें संघर्ष भी है किन्तु धर्म का स्वत: पालन नहीं है। 'इट्स माइ लाइफ', का भाव प्रबल है किन्तु सामूहिक जीवन का संस्कार लुप्त है।

अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ का स्पष्ट मत है कि इस परिदृश्य में एकात्ममानव दर्शन आधारित शिक्षा ही सही मार्ग दिखा सकती है। एकात्ममानव बनाने वाली शिक्षा में मनुष्य के व्यक्तित्व के चारों पक्षों शरीर, मन, बुद्धि, आत्मा की समुचित आदम्यकताओं को पूरा करने, उनकी विविध माँगों और इच्छा आकाँक्षाओं को पूर्ण करने का सर्वांगीण विचार आवश्यक है। शिक्षा के व्यापक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए शिक्षा द्वारा जीविकोपार्जन के साथ पूर्णत्त्व की साधना की व्यवस्था हो जिसमें केवल काम या अर्थ पुरुषार्थ का खंडश: चिंतन ही नहीं हो वरन् धर्माधिष्ठित काम व अर्थ की साधना होते हुए मुक्ति मोक्ष पुरुषार्थ के माध्यम से मैं और मेरा के बोध की कक्षा बढ़ाते हुए अखिल चराचर में व्याप्त परम तत्त्व से एकात्म की अनुभूति हो सके। यदि शिक्षा का लक्ष्य ऐसे एकात्ममानव के विकास पर केन्द्रित हो तो वर्तमान समस्याओं का समाधान स्वत: हो जाएगा। ऐसी शिक्षा पद्धति में व्यक्ति, परिवार, जाति, राष्ट्र, मानवता सब अखण्ड मण्डलाकार विकास मार्ग के चरण हैं और इसलिए उनके हित-संबंधों में आपस में विरोध नहीं परस्पर पूरकता है। इसलिए इस शिक्षा पद्धति व्यक्तिगत स्वार्थ, येनकेन प्रकरेण कमाया हुआ अर्थ, शोषण, भ्रष्टाचार, परपीडन, सांप्रदायिकता, अस्पृश्यता का कोई स्थान नहीं हो सकता।

अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ का मानना है कि यदि एकात्ममानव निर्माण की शिक्षा पद्धति विकसित होती है तो न केवल व्यक्ति का सर्वांगीण विकास होगा वरन् सामूहिक जीवन अधिक सुखी, सम्पन्न एवं स्वावलंबी बन सकेगा।

वर्तमान पद्धति में जब अधिकांश शिक्षा पूर्णत: गुरु के सान्निध्य में आवासीय नहीं है, संस्कार एवं अध्यापन का बहुत-सा क्षेत्र शिक्षण संस्थानों से बाहर है। यदि इन दोनों क्षेत्रों में विरोध हो तो विद्यार्थी के जीवन में एक अन्तर्द्वन्द्व उपस्थित हो जाता है। मनुष्य अनजाने में ही अपने चारों ओर के समाज से संस्कार ग्रहण करता है तथा उसमें समाज का प्रत्येक व्यक्ति शिक्षक का काम करता है। मानस की अनुकरण, संवेदना एवं सूचनात्मक पद्धतियों के नियम के अनुसार पिछली पीढ़ी के आचार-विचारों का एवं वर्तमान परिवेश का संस्कार नई पीढ़ी पर पड़ता है। अत: समाज के प्रत्येक घटक को अंगांगी भाव में कार्य करते हुए श्रेष्ठ जीवन मूल्यों से युक्त परिवेश एवं उनके नई पीढ़ी में संक्रमण का दायित्व समझना होगा।

अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ का यह मत है कि शिक्षण संस्थायें समाज में टापू की तरह नहीं होनी चाहिए। विद्यार्थी, शिक्षक, अभिभावक, प्रबन्ध समिति, प्रशासन व समाज में एकात्म भाव की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त खंड-खंड अध्ययन की व्यवस्था के बजाय अन्तर्सकाय अध्ययन की व्यवस्था हो तथा सभी विषयों में एक मुख्य धारा का अनुभव करवाने की शिक्षा दी जाए। शिक्षा के क्षेत्र में मात्र ज्ञान ही नहीं वरन् ज्ञान, भावना व क्रिया के संगम को महत्त्व दिया जाना चाहिए ताकि शिक्षा संस्थान विद्यार्थी

को एक परिपूर्ण मानव के रूप में विकसित कर सके।

अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ इस बात का पक्षधर है कि हमारी शिक्षा प्रणाली युगानुकुल एवं देशानुकूल होनी चाहिए। हमें प्राचीन विचारों को नवीन परिदृश्य में देखना चाहिए एवं नवीन विचारों को राष्ट्रीय दृष्टि से परखना चाहिए तथा ऐसा करते हुए हमारी सोच वैश्विक हो किन्तु क्रिया स्थानीय परिवेश के अनुकूल होनी चाहिए।

अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ की साधारण सभा शिक्षकों, समाज एवं शासन से अपील करती है कि एक एकात्म समरस, सम्पन्न समाज के निर्माण के लिए अपनी-अपनी भूमिका निभाएँ। इस ओर बढ़ने वाला प्रत्येक सकारात्मक कदम निश्चय ही मानवता एवं सृष्टि के व्यापक हित में होगा।

प्रस्ताव क्र. : 2

बाबा साहेब अम्बेड़कर के शैक्षिक विचारों को कार्यक्षेत्र में उतारें

इतिहास में भारत रत्न डॉ. भीमराव अम्बेड़कर प्रखर राष्ट्रभक्त, सुविज्ञ विधिवेत्ता एवं सामाजिक समरसता के पुरोधा के नाते अद्वितीय स्थान रखते हैं। धर्म, दर्शन, राजनीति, कानून व अर्थनीति के गहन अध्येता बाबा साहब का शिक्षा की शक्ति में गहन विश्वास था। उनका विश्वास था कि शिक्षा ही ज्ञान का द्वार खोल सकती है एवं सामाजिक परिवर्तनों का मार्ग खोल सकती है। अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ का मानना है कि उनके शैक्षिक विचार आज न केवल प्रासंगिक है वरन् वर्तमान समाज की महती आवश्यकता है।

डॉ. अम्बेड़कर शिक्षा में समान अवसरों के प्रबल समर्थक थे। शिक्षा के प्रसार में आर्थिक भौगोलिक या जातिगत विषमताएँ आड़े न आए इसीलिए भारत के संविधान निर्माण के समय बाबा साहब ने नीति निर्देशक तत्त्वों में इसे सम्मिलित किया कि सरकार 14 वर्ष तक के बालकों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षण व्यवस्था करे। 'राइट टू एज्युकेशन' इसी की फलश्रुति है। उच्च शिक्षा के संबंध में उनका स्पष्ट मत था कि विश्वविद्यालयों का कार्य केवल परीक्षाएँ आयोजित करना एवं उपाधि बाँटना ही नहीं, शिक्षा का सामाजीकरण करना भी है।

बाबा साहब महिला शिक्षा के प्रबल पक्षधर थे, उनके अनुसार किसी भी समुदाय की प्रगति का माप उस समुदाय की महिलाओं द्वारा की गई प्रगति से संबंधित है, अतः शिक्षा स्त्रियों के लिए उतनी ही आवश्यक है जितनी पुरुषों के लिए।

बाबा साहब की दृष्टि में शिक्षा का वृहत्तर उद्देश्य लोगों में नैतिकता एवं लोक कल्याण की भावना जाग्रत करना था। उन्होंने ऐसी शिक्षा नीति विकसित करने पर बल दिया जो बौद्धिक विकास के साथ चरित्र निर्माण कर विद्यार्थी को समाज अभिसरण के योग्य बना सके। उनका मानना था कि शिक्षा व्यक्तिगत स्वार्थ पूर्ति का साधन नहीं है, इसका विनियोग समाज हित में होना चाहिए और यह जन मानस बनाने का कार्य शिक्षा संस्थानों का है। वे मूल्यों की शिक्षा में विश्वास करते थे, उनका कहना था कि शील के बिना शिक्षा का मूल्य शून्य होता है।

बाबा साहब ने जो कुछ कहा उसे स्वयं जीवन में पहले उतारा। उन्होंने विदेश में रह कर उच्च शिक्षा उपाधियाँ प्राप्त की किन्तु यह शिक्षा देश के काम आए, अतः व्यक्तिगत कॅरियर को त्याग कर समाज और राष्ट्र के लिए समर्पित हो गए।

अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ की स्पष्ट सोच है कि वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में जो कमियाँ दृष्टि गोचर होती है, उनका समाधान बाबा साहब के विचारों के प्रकाश में प्राप्त किया जा सकता है।

लैंगिक, आर्थिक, सामाजिक पृष्ठभूमि के आधार पर आज भी समान अवसर प्राप्त नहीं है। किसी औद्योगिक घराने के स्कूल, कॉलेज में आज भी गरीब, कमजोर पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों का प्रवेश सपने जैसा है। उच्च शिक्षित व्यक्तियों की, भष्टाचार एवं अनैतिक कामों में लिप्तता दिखाई देती है क्योंकि मूल्यों की शिक्षा आचरण में नहीं आ सकी है। शिक्षा व्यक्तिगत स्वार्थ पूर्ति का साधन दिखाई देती है, राष्ट्र, समाज से अधिक महत्त्वपूर्ण व्यक्तिगत लाभ एवं कॅरियर, यह भाव दिखाई पड़ता है। इस परिदृश्य में बाबा साहब के शैक्षिक विचारों के व्यापक प्रचार-प्रसार एवं आचरण में उतारने की आवश्यकता है। तभी भारत सही मायनों में समतामूलक, समरस, विकसित राष्ट्र बन सकता है।

अ.भा.रा.शै. महासंघ की साधारण सभा सरकार से अपील करती है कि बाबा साहब के विचारों के अनुरूप शिक्षा तंत्र का विकास करने के लिए योजना बनाकर तदनुरूप संसाधन उपलब्ध कराये। साथ ही सभी समाज जनों एवं शिक्षकों से अपील करती है कि बाबा साहब के शैक्षिक विचारों को समाज में स्थापित करने में अपनी सक्रिय भूमिका निभाये।

प्रस्ताव क्र. : 3

शिक्षा एवं शिक्षकों की समस्याओं का निराकरण किया जाए

अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ की साधारण सभा केन्द्र एवं राज्य सरकारों से आग्रह करती है कि उनके स्तर पर हल करने योग्य शिक्षा एवं शिक्षकों की निम्न समस्याओं पर आवश्यक सकारात्मक कार्यवाही करे -

1. शिक्षकों को समस्त गैर शैक्षिक कार्यों से मुक्त किया जाए। सरकारों द्वारा शिक्षकों को अनेक तरह के गैर शैक्षिक कार्यों यथा जनगणना, पशुगणना, आर्थिक गणना, बी.एल.ओ., भवन निर्माण आदि में लगाया जा रहा है, इससे शिक्षण गंभीर रूप से प्रभावित होता है। अतः विद्यार्थी हित में शिक्षकों को केवल शिक्षण कार्य पर ही लगाया जाए।
2. शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए ठेका प्रथा को तुरन्त समाप्त करते हुए स्थायी शिक्षकों की नियुक्ति की जाए। शिक्षा मित्र,

संविदा शिक्षक, प्रबोधक, पैरा टीचर आदि नामों से की जाने वाली नियुक्तियाँ से न केवल ऐसे अस्थायी नियुक्त शिक्षकों का शोषण होता है वरन् व्यापक शिक्षा-शिक्षार्थी हित भी पूरी तरह प्रभावित होता है। मात्र काम चलाऊ तदर्थ दृष्टिकोण से की गई इन व्यवस्थाओं से हम विकसित भारत का सपना नहीं देख सकते हैं। अत: लोक कल्याणकारी राज्य की संकल्पना एवं भविष्य की नींव सुदृढ़ करने के लिए सभी स्तरों पर आवश्यक संख्या में स्थायी शिक्षक नियुक्त किए जाए।

3. शिक्षा में गुणवत्ता सुधार के लिए उचित शिक्षक शिक्षार्थी अनुपात आवश्यक है। विभिन्न शिक्षा आयोगों या समितियों की अनुशंसाओं या आर. टी.ई. व यू.जी.सी. के प्रावधान, सभी ने प्रति शिक्षक अधिकतम शिक्षार्थियों की संख्या सीमित करने पर बल दिया है। दुर्भाग्य से अधिकांश संस्थानों, सरकारों द्वारा इसका पालन नहीं किया गया है, इससे शिक्षार्थियों एवं शिक्षक में वन टू वन संवाद। लर्निंग में कमी आई है तथा शिक्षा अपने मूल उद्देश्यों को प्राप्त करने में असफल रही है। इसी प्रकार कई स्थानों पर शिक्षक शिक्षार्थी अनुपात की गलत व्याख्या करने से ढ़ाँचा चरमरा गया है। शिक्षक-शिक्षार्थी अनुपात के प्रावधान अधिकतम सीमा को व्यक्त करते हैं, अत: प्राथमिक शिक्षा में जितनी कक्षायें उतने न्यूनतम शिक्षक तथा माध्यमिक शिक्षा में जितने विषय उतने न्यूनतम विषयाध्यापकों की व्यवस्था ही शिक्षार्थियों के सम्पूर्ण विकास में न्याय प्रदान कर सकती है।
4. देश के भिन्न-भिन्न राज्यों में शिक्षकों के वेतनमान एवं सेवा-शर्तों, कार्यभार में अनेक प्रकार की असमानतायें एवं विसंगतियाँ है। समान कार्य के लिए समान वेतन के सिद्धान्त का पालन करते हुए सम्पूर्ण देश में शिक्षकों के लिए समान वेतनमान नीति एवं समान सेवा शर्तें लागू किया जाना अति आवश्यक है ताकि देश के समस्त शिक्षकों के लिए एक जैसी सेवा-शर्तें, वेतन एवं सुविधाओं की पालना सुनिश्चित की जा सके।
5. यू.जी.सी. रेग्यूलेशन 2010 को एक कम्पोजिट योजना के रूप में स्वीकार कर तदनुरूप सेवा नियमों में परिवर्तन करने पर ही यू.जी.सी. द्वारा राज्यों को वित्तीय सहायता दी जानी थी। किन्तु कई राज्य सरकारों ने रेग्यूलेशन के प्रावधान के अनुरूप अभी तक उच्च शिक्षा में कार्यरत शिक्षकों के पदनाम असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर नहीं किए है तथा महाविद्यालयों में रेग्यूलेशन के अनुरूप प्रोफेसर पदों का सृजन नहीं किया है। इसके अतिरिक्त एम. फिल/पीएच.डी. के लिए प्रोत्साहन स्वरूप देय अग्रिम वेतन वृद्धियों को भी कई राज्यों ने लागू नहीं किया है। अत: यू.जी.सी. रेग्यूलेशन 2010 के अनुरूप सभी राज्यों में उच्च शिक्षा में कार्यरत शिक्षकों के पदनाम बदले जाए, प्रोफेसर पदों का सृजन किया जाए तथा शोध हेतु देय प्रोत्साहन वेतन वृद्धियों को लागू किया जाए।
6. देश के विभिन्न राज्यों में विद्यालयों, महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों की सेवानिवृत्ति आयु भिन्न-भिन्न है। भिन्न भिन्न राज्यों में सेवानिवृत्ति आयु 55 वर्ष से लेकर 65 वर्ष तक है। जीवन प्रत्याशा में हुई वृद्धि, शिक्षा सेवा में प्रवेश की आयु में हो रही वृद्धि एवं अनुभव जनित ज्ञान वृद्धि को दृष्टिगत रखते हुए शिक्षकों की सेवानिवृत्ति आयु 65 वर्ष करना न्यायोचित्त रहेगा। शिक्षण संस्थाओं में शिक्षकों की कमी की स्थिति से निपटने, उनके अनुभव का लाभ उठाने एवं शिक्षा के कॅरियर को अधिक आकर्षक बनाने की दृष्टि से सम्पूर्ण देश में सभी स्तरों पर शिक्षकों की सेवानिवृत्ति आयु एक समान 65 वर्ष की जानी चाहिए।
7. एक जनवरी 2004 के पश्चात् नियुक्त शिक्षकों के लिए लागू पेंशन योजना को हटाकर पूर्व की पेंशन योजना लागू की जाए। नवीन पेंशन योजना शिक्षकों को आर्थिक, सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने में असफल रही है तथा उसने शिक्षकों के मन में भविष्य के प्रति आशंकाओं को बढ़ाया है। यह लोक कल्याणकारी राज्य की संकल्पना के विरुद्ध है अत: 1 जनवरी 2004 से पूर्व की पेंशन योजना का लाभ सभी शिक्षकों को दिया जाना चाहिए।
8. ज्ञान के सृजन के शिक्षा के सभी स्तरों पर शोध आवश्यक है। अधिकांश विकसित राष्ट्रों के उन्नयन का आधार वहाँ पर शिक्षाविदों द्वारा हो रहे शोध ही हैं। दुर्भाग्य से अभी तक शोध हेतु आधारभूत संरचनाओं एवं योजनाओं को विद्यालय स्तर से लेकर उच्च शिक्षा स्तर तक बहुत महत्त्व नहीं दिया गया है। महासंघ की साधारण सभा आग्रह करती है कि शिक्षा, शिक्षक, शिक्षार्थी एवं राष्ट्र के व्यापकहित में प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा तक सभी स्तरों पर शोध हेतु उचित व्यवस्थायें की जाए।
9. नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार कानून निश्चय ही सामाजिक एवं शैक्षिक विकास की यात्रा में मील का पत्थर है किन्तु इसके कुछ प्रावधानों को व्यावहारिक एवं सुसंगत बनाना आवश्यक है। आठवीं तक किसी विद्यार्थी को अनुत्तीर्ण न करने, समग्र मूल्यांकन के अन्तर्गत शिक्षकों को औपचारिकतायें पूर्ण करने में समय व्यतीत करना, अधिनियम के सफल क्रियान्वयन हेतु आधारभूत सुविधाओं का अभाव आदि शिक्षकों पर समग्र रूप में चिन्तन करने की आवश्यकता है। तभी शिक्षा के अधिकार कानून को सही मायने में सार्थकता प्राप्त होगी।
10. अनुदानित विद्यालयों एवं महाविद्यालयों के वेतन भुगतान को शिक्षण संस्थानों की प्रबंध समितियों पर छोड़ने से कई विसगंतियाँ उत्पन्न हुई है। अनुदानित शिक्षकों का आर्थिक शोषण करने उन्हें आधा अधूरा वेतन देने एवं समय पर नहीं देने की शिकायतें आम है। अत: इन सभी शिक्षकों को पूर्ण एवं नियमित वेतन भुगतान करने के लिए कोषागार भुगतान की व्यवस्था की जानी चाहिए।
11. पीएच.डी. 2009 नियमों के लागू होने के पूर्व पीएच.डी. हेतु पंजीकरण कराने वाले एवं पीएच.डी. धारकों को सभी सुविधाओं के लिए पीएच.डी. नियम 2009 के समकक्ष माना जाए। ए.पी.आई. व्यवस्था तर्क संगत एवं व्यावहारिक बनाई जाये ताकि सभी शिक्षकों को प्रोन्नति का समान अवसर मिल सके।

राजस्थान शिक्षक संघ (रा.) का प्रदेश शैक्षिक सम्मेलन जयपुर में सम्पन्न

राजस्थान शिक्षक संघ (राष्ट्रीय) के दो दिवसीय प्रदेश शैक्षिक सम्मेलन का उद्घाटन मुख्य अतिथि शिक्षा राज्य मंत्री वासुदेव देवनानी, मुख्यवक्ता प्रो. जे.पी. सिंघल द्वारा माँ सरस्वती के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। इस अवसर पर राज्य में शिक्षा विभाग अगले वर्ष से नया पाठ्यक्रम ला रहा है। इस पाठ्यक्रम में राष्ट्रीयता पर विशेष जोर रहेगा। शिक्षा राज्यमंत्री वासुदेव देवनानी ने 2 नवम्बर को आदर्श नगर स्थित सूरज मैदान में राजस्थान शिक्षक संघ (राष्ट्रीय) के प्रांतीय सम्मेलन में यह जानकारी दी।

उन्होंने कहा कि राज्य के वीर-वीरांगनाओं, राष्ट्रीय महापुरुषों के जीवन चरित्र के साथ ही पढ़ाने के ऐसे तरीकों पर जोर दिया जाएगा, जिससे बालकों के मस्तिष्क में राष्ट्रीयता की भावना जगे और वे देश के लिए कुछ करने की सोचें। देवनानी ने कहा कि हमारा प्रयास है कि पाठ्यक्रम में कक्षा 1 से 5 तक 75 प्रतिशत भाग राजस्थान का एवं 25 प्रतिशत हिस्सा शेष भारत से जुड़े ज्ञान का होगा। कक्षा 6 से 8 में 50 प्रतिशत हिस्सा राजस्थान का और 50 प्रतिशत भारतीय संस्कृति का होगा। विश्व संस्कृति से जुड़ा ज्ञान विद्यार्थियों को कक्षा 9 के पाठ्यक्रम में से दिया जाएगा ताकि वे बोझिलता को अनुभव नहीं करें। देवनानी ने कहा कि कक्षा पाँच में जिला स्तर पर मूल्यांकन परीक्षा कराए जाने पर भी जल्द ही निर्देश जारी होंगे। 31 दिसम्बर तक डिजीटलाईजेशन करने की जानकारी भी दी।

मुख्यवक्ता राविवि के कुलपति जे.पी. सिंघल ने राजस्थान शिक्षक संघ (राष्ट्रीय) के राष्ट्रीय विचारों को ध्यान में रखकर किये जाने वाले कार्यों के साथ अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ की प्रेरणा से वर्ष प्रतिपदा, गुरुवन्दन, कर्त्तव्य बोध एवं सामाजिक समरसता जैसे कार्यक्रमों से शिक्षक एवं समाज के बीच सेतुबंध स्थापित करने की भूमिका की प्रशंसा करते हुए साधुवाद दिया।

प्रदेश सम्मेलन के दूसरे दिन 3 नवम्बर 2015 को समारोप सत्र के मुख्य अतिथि मा. कालीचरण सर्राफ, उच्च शिक्षा मंत्री, राजस्थान सरकार ने शिक्षकों को आह्वान करते हुए कहा कि हम यदि राजस्थान को विकसित राज्यों की श्रेणी में देखना चाहते हैं तो पहले राजस्थान को शिक्षित राजस्थान बनाना होगा। इस प्रक्रिया में राजस्थान के शिक्षकों का पूर्ण सहयोग चाहिये।

विशिष्ट अतिथि मा. अरुण चतुर्वेदी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर ने अपने उद्‌बोधन में संगठनात्मक ढ़ाँचे के अतीत को याद करते हुए कहा कि श्रद्धेय जयदेव पाठक की चर्चा के बिना संगठन की कल्पना भी नहीं कर सकते। उन्होंने अपने संस्मरणों को ताजा करते हुए संगठन के कार्यकर्ताओं को श्री जयदेव जी पाठक से शिक्षा लेने को कहा कि जिस प्रकार श्री पाठक जी के शरीर का एक-एक कण संगठन हित में काम आया, उससे प्रेरणा लेते हुए हमें भी संगठन को आगे बढ़ाना होगा। उन्होंने कहा कि शासन के भरोसे संगठन नहीं चला करते, संगठन को तो अपने कार्यक्रमों को धार देते हुए संगठन की भाषा में बात करने का जज्बा रखते हुए ही आगे बढ़ाया जा सकता है।

कार्यक्रम के मुख्य वक्ता मा. महेन्द्र कपूर, संगठन मंत्री, अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ ने कहा कि आने वाले पीढ़ी को एक मूर्तिकार के रूप में गढ़ने वाला व्यक्ति ही शिक्षक बने। केवल वेतनभोगी कर्मचारी के रूप में बनने वाले शिक्षकों से समाज का भला नहीं हो सकता, हम उच्च कोटि के शिक्षा संस्थान चाहते हैं लेकिन सरकारें उनका बजट नहीं देती। लगभग 40 से 50 प्रतिशत पद हमेशा रिक्त रहते हैं ऐसी स्थिति में शिक्षा में गुणवत्ता की अपेक्षा करना व्यर्थ है। देश का उत्थान करना है, देश में एक समान शिक्षा होनी चाहिये। गरीब का छात्र भी और अमीर का छात्र भी एक प्रकार के शिक्षा संस्थान एवं पाठ्यक्रमों का अध्ययन कर सके। इस प्रकार की व्यवस्था हमें करनी होगी। यदि शिक्षा में ही एकरूपता नहीं रहेगी तो समरूप समाज की कल्पना कैसे कर सकेंगे।

श्री कपूर ने कहा कि जब तक शिक्षा-शिक्षार्थी-शिक्षक और समाज की जरूरतों, सोच व लक्ष्यों में तादात्म्यता स्थापित नहीं होगी तब तक हमारा राष्ट्र सर्वांगीण विकास नहीं कर सकता। वर्तमान शासन और प्रशासन को इस ओर सकारात्मक कदम उठाकर शुरूआत करनी है।

कार्यक्रम अध्यक्ष श्री बजरंग प्रसाद मजेजी, कोषाध्यक्ष, अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ ने अपने अध्यक्षीय उद्‌बोधन में कहा कि उतावलेपन से किये गये कार्य की सफलता पर संदेह ही रहता है। राज्य सरकार ने जो विद्यालयों का एकीकरण किया, उस पर पुनः विचार करना चाहिये।

कार्यक्रम संयोजक बसन्त जिन्दल ने आये हुए अतिथियों का स्वागत किया एवं कार्यक्रम का संचालन नवीन कुमार शर्मा, उपाध्यक्ष (मा. क्षेत्र) राजस्थान शिक्षक संघ (राष्ट्रीय) ने किया।

मध्यप्रदेश शिक्षक संघ द्वारा शिक्षक समस्या निवारण समिति के साथ बैठक सम्पन्न

मध्यप्रदेश शासन की शिक्षक समस्या निवारण समिति की बैठक 2 नवम्बर, 2015 को राजेश जैन, संचालक लोक शिक्षण म.प्र. की अध्यक्षता में संचालनालय, लोक शिक्षण कार्यालय, भोपाल में सम्पन्न हुई। जिसमें प्रदेश के 21 हजार सहायक शिक्षकों की शिक्षक पद पर पदोन्नति, अध्यापकों को सितम्बर, 2016 से नियमित वेतनमान देने, अध्यापकों की स्थानान्तरण नीति एवं बीमा योजना भी शीघ्र लागू करने पर सहमति बनी है। इसी प्रकार शिक्षकों के समयमान-वेतनमान, 10 दिन का अर्जित अवकाश, 7वें वेतनमान में केन्द्र के समान वेतनमान देने एवं अतिथि शिक्षकों के मानदेय में वृद्धि व सत्रांत तक कार्यावधि बढ़ाने के साथ गैर शैक्षणिक कार्यों पर कड़ाई से लगाम लगाने पर सहमति बनी। साथ ही 498 शिक्षकों व व्याख्याताओं की पदोन्नति हेतु सी.आर. शीघ्र भेजने के लिए आदेश भी पोर्टल पर डाल दिया गया।

इस अवसर पर समिति के सदस्य के.के. द्विवेदी उपसचिव, श्रीमती ज्योति गोलाईत अपर संचालक वित्त, प्रांताध्यक्ष प्रदीप सिंह, हिम्मत सिंह जैन महामंत्री, बिजेन्द्र भदौरिया प्रांतसंयोजक अध्यापक प्रकोष्ठ, विनोद कुमार पुनी प्रदेश संयोजक, मुकेश शर्मा, राजेश दुबे सम्मिलित रहे।

रुक्टा (राष्ट्रीय) का विभागीय सम्मेलन सम्पन्न

सेठ आर.एल.सहरिया राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय कालाडेरा में जयपुर द्वितीय विभाग का एक दिवसीय विभागीय सम्मेलन दिनांक 18 अक्टूबर, 2015 रविवार को आयोजित हुआ। सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए प्रो. संतोष पाण्डे, सम्पादक शैक्षिक मंथन ने ''वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हमारी भावी शिक्षा नीति'' विषय पर मुख्यवक्ता के रूप में वक्तव्य दिया। उन्होंने कहा कि हमारी भावी शिक्षा नीति राष्ट्रीय भावना, कौशल विकास, रोजगार सृजन, मानवीयता, भारतीय संस्कृति तथा आधुनिक तकनीकी ज्ञान व प्रौद्योगिकी सम्पन्नता जैसे मूल आधारों पर केन्द्रित हो जिससे युवा पीढ़ी राष्ट्र निर्माण की अहम जिम्मेदारी निभाने योग्य बन सके। सत्र की अध्यक्षता रुक्टा राष्ट्रीय के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. दिग्विजय सिंह शेखावत ने की। इससे पूर्व सरस्वती स्तवन के बाद आयोजन अध्यक्ष महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. आर.एस.माथुर एवं विभाग अध्यक्ष श्री गिरधारी लाल ने अतिथियों एवं प्रतिभागियों का स्वागत किया। विभाग सचिव डॉ. विजय गोयल ने विभाग की संरचना एवं गतिविधियों की जानकारी देते हुये सम्मेलन में आए सभी अतिथियों, सेवानिवृत्त शिक्षकों एवं प्रतिभागियों का परिचय करवाया।

'खुला सत्र' की शुरूआत आयोजन सचिव डॉ. राकेश लाटा ने करते हुए सदस्यों की विभिन्न समस्याओं के बारे में बताया। सम्मेलन में आए अन्य शिक्षक साथियों ने भी अपने विचार एवं जिज्ञासाएँ सदन में रखी। रुक्टा राष्ट्रीय के महामंत्री डॉ. नारायण लाल गुप्ता ने शिक्षकों की समस्याओं के समाधान की वर्तमान स्थितियों एवं उनके समाधान हेतु संगठन के प्रयासों की विस्तृत जानकारी दी।

इसके उपरांत सेवानिवृत शिक्षक सम्मान समारोह में इस वर्ष सेवानिवृत हुए शिक्षक डॉ. रणजीत सिंह, पूर्व संयुक्त निदेशक, श्री ओम प्रकाश अग्रवाल, पूर्व उपाचार्य डॉ. अनिला जैन, डॉ. कमर सुल्ताना, श्री मोहमद अहमद पूर्व पुस्तकालाध्यक्ष एवं डॉ. राधेश्याम माहेश्वरी का सम्मान किया गया। कार्यक्रम का संचालन डॉ. मनीषा शर्मा व डॉ. मोनिका मिश्रा ने किया। स्थानीय इकाई सहसचिव डॉ. सुमन भाटिया ने धन्यवाद ज्ञापित किया। राष्ट्रीय गान के साथ सम्मेलन सम्पन्न हुआ।

म.प्र. शिक्षक संघ द्वारा उत्कृष्ट शिक्षकों का सम्मान

शिक्षा में सुधार की आवश्यकता है। शिक्षा का व्यवसायीकरण नहीं होना चाहिये। रिटायरमेंट के बाद शिक्षक का दायित्व और बढ़ जाता है। उसे समाज का मार्गदर्शन करना चाहिये। उक्त विचार विगत दिनों मध्यप्रदेश शिक्षक संघ नरसिंहपुर (मध्यप्रदेश) द्वारा आयोजित 'स्वजन स्मृति शिक्षक सम्मान कार्यक्रम' में नरसिंहपुर विधायक जालम सिंह पटेल ने मुख्य अतिथि के रूप में व्यक्त किये। इस अवसर पर शिक्षक परिवारों द्वारा अपने दिवंगत परिजनों की स्मृति में शिक्षक संघ द्वारा जिले के सभी विकासखण्डों से चयनित 17 उत्कृष्ट शिक्षक-शिक्षिकाओं का सम्मान किया गया।

मध्यप्रदेश शिक्षक संघ के प्रान्ताध्यक्ष प्रदीप सिंह की अध्यक्षता, जिला शिक्षा अधिकारी जे.के. मेहर, शिक्षक संघ के संभागीय अध्यक्ष शिव कुमार दीक्षित, सिवनी जिलाध्यक्ष विजय शुक्ला के विशिष्ट आतिथ्य में कार्यक्रम की शुरूआत एम.एल.वी. स्कूल की छात्राओं द्वारा प्रस्तुत सरस्वती वंदना से हुई। जिलाध्यक्ष डॉ. सी.एल. कोष्टी के स्वागत भाषण के बाद जिला सचिव आनन्द प्रकाश श्रीवास्तव ने संगठन की गतिविधियों का विस्तृत प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। विधायक जालमसिंह एवं प्रान्ताध्यक्ष प्रदीप सिंह ने सम्मानकर्त्ता परिवारों की उपस्थिति में 17 उत्कृष्ट शिक्षकों का शॉल, श्रीफल, प्रशस्ति पत्र तथा स्मृति चिह्न देकर सम्मान किया। विधायक जी की ओर से अलग से बीस स्मृति चिह्न भी सम्मानित शिक्षकों को प्रदान किये गये। इस अवसर पर प्रांताध्यक्ष प्रदीप सिंह ने कार्यक्रम की सराहना करते हुये प्रांतीय संगठन की गतिविधियों पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम का संचालन आनन्द प्रकाश श्रीवास्तव व सत्यप्रकाश त्यागी ने तथा आभार प्रदर्शन संतोष कौरव ने किया।

राज. शिक्षक संघ (राष्ट्रीय) जिला कोटा का दो दिवसीय शैक्षिक सम्मेलन सम्पन्न

राजस्थान शिक्षक संघ (राष्ट्रीय) जिला कोटा का दो दिवसीय जिला शैक्षिक सम्मेलन 7 अक्टूबर, 2015 को आदर्श राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मल्टीपरपज गुमानपुरा कोटा में माँ सरस्वती पूजन एवं वन्देमातरम् से प्रारम्भ किया गया।

इस अवसर पर मुख्य अतिथि कोटा दक्षिण के विधायक संदीप शर्मा ने शिक्षकों से अपने कर्तव्य के प्रति सजग रहकर शिक्षा व्यवस्था का कार्य निष्ठा से करने का आह्वान किया। संघ के प्रदेश अध्यक्ष रामावतार शर्मा ने शिक्षक समस्याओं से सम्बन्धित संघ के मांग पत्र के आधार पर शिक्षक संघ द्वारा किये गये प्रयास एवं राज्य सरकार द्वारा दिये गये आश्वासन के बारे में बताया, शर्मा ने राज्य सरकार द्वारा घोषणायें करने एवं उन्हें अभी तक क्रियान्विती नहीं करने पर रोष प्रकट किया।

समापन सत्र में मुख्य अतिथि कोटा उत्तर के विधायक प्रहलाद गुंजल ने कहा कि शिक्षक एक शिल्पकार है वह जैसा चाहे वैसा ही बच्चे का निर्माण कर सकता है। गुंजल ने कहा कि शिक्षकों को देशभक्ति व राष्ट्रीय भावनाओं से ओत प्रोत सुसंस्कारित शिक्षा बच्चों को देकर अच्छे छात्र का निर्माण करना चाहिए। समारोह के अध्यक्ष सांगोद के विधायक हीरालाल नागर ने शिक्षकों को पूजनीय व आदर्श का प्रतीक बताते हुए शिक्षक समस्याओं को राज्य सरकार को भेजने व उनके समाधान करवाने का आश्वासन देते हुए हमेशा सहयोग के लिये तैयार रहने को कहा संघ के विभाग संगठन मंत्री गजेन्द्र मालवीय ने राज्य सरकार से शीघ्र ही समस्याओं का समाधान करने का आग्रह किया। समारोह के सह संयोजक महावीर प्रसाद राठौर ने सभी का आभार व्यक्त किया। राष्ट्रगान के साथ जिला शैक्षिक सम्मेलन का समापन किया गया।

जबलपुर में शाश्वत जीवन मूल्यों पर आधारित व्याख्यान

अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ नई दिल्ली एवं म.प्र. शिक्षक संघ के संयुक्त तत्वावधान में राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान जबलपुर के सभागृह में श्री ओमपाल सिंह, सह संगठन मंत्री अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ, डॉ. कृष्णकांत चतुर्वेदी संचालक कालिदास संस्थान उज्जैन, मुख्यवक्ता रहे। व्याख्यान माला कार्यक्रम का शुभारंभ माँ सरस्वती का पूजन-अर्चन, माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन एवं सरस्वती वंदना द्वारा हुआ। श्री किशन लाल नाकड़ा क्षेत्र प्रमुख म.प्र./ छ.ग. ने अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के उद्देश्यों एवं लक्ष्यों पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया गया कि शैक्षिक महासंघ द्वारा प्रतिवर्ष 12 जनवरी से 23 जनवरी के बीच कर्तव्य बोध दिवस मनाया जाता है एवं चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को 'भारतीय नव-वर्ष दिवस' के रूप में मनाना, तृतीय गुरुपूर्णिमा पर गुरुवंदन कार्यक्रम तथा असाधारण एवं उत्कृष्ट कार्य करने वाले शिक्षकों को सम्मानित करना, इसी वर्ष नागपुर राष्ट्रीय अधिवेशन में राष्ट्रीय स्तर पर तीन शिक्षकों को शॉल, श्रीफल, सम्मान पत्र, सम्मान चिह्न एवं एक-एक लाख रुपये का चैक देकर सम्मानित किया गया है।

मुख्यवक्ता श्री ओमपाल सिंह ने शिक्षकों को प्रेरणा देते हुए कहा कि तुलसीदास जी को किसने संस्कार दिए थे, किसी ने नहीं? तुलसीदास सच्चे इंसान थे, अच्छे संस्कार के कारण ही दुनिया में महापुरुष बने। विशिष्ट अतिथि डॉ. कृष्णकांत चतुर्वेदी ने उपस्थित शिक्षकों एवं प्रशिक्षणार्थियों को मूल्य का अर्थ समझाते हुए कहा, मुल्य का अर्थ प्रतिष्ठा से है, हमें अपने जीवन में ऐसे नैतिक मूल्यों को आचरण में लाना चाहिए, जिससे हमारी प्रतिष्ठा बढ़े। शाश्वत शब्द का सम्बन्ध नित्य, सत्य, सनातन से है। शाश्वत नित्य हो, निरंतर चलने वाला हो? हम जब किसी बड़े व्यक्ति का अनुकरण करते हैं, तो हम एक-एक सीढ़ी चढ़कर ऊँचाई पर पहुँचते हैं। अंतिम सीढ़ी पर आनंद का अनुभव होता है, यही जीवन का सत्य सार है। प्राचीन परम्परा के बारे में चर्चा करते हुए कहा कि जीवन में हमें दो राहों का सामना करना पड़ता है, यह स्वयं पर निर्भर करता है कि कौनसी राह चुने, बबूल की काँटों वाली राह या चंदन सी खुशबू वाली, हमें जीवन में सहज, सरल राह चुनकर जीवन को सार्थक बनाना चाहिए।

कार्यक्रम की अध्यक्षता दिनेश अवस्थी संचालक राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान, जबलपुर ने इस अवसर पर कहा कि म.प्र. शिक्षक संघ ने सम-साम्यक विषय शाश्वत जीवन मूल्य पर व्याख्यान आयोजित कर पुनीत कार्य किया है, अभी तो शुरूआत है आगे इससे भी अच्छे आकर्षक समारोह आयोजित किए जावेंगे। कार्यक्रम का संचालन श्रीमती संध्या जैन एवं आभार प्रदर्शन श्रीमती सुनीता श्रीवास्तव ने किया।

उ.प्र. राज्य इकाई के प्रतिनिधि मण्डल की राज्यपाल से भेंट

राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ उ.प्र. का एक प्रतिनिधि मण्डल प्रदेश अध्यक्ष डॉ. दीनानाथ सिंह के नेतृत्व में प्रदेश के माननीय राज्यपाल जी से उच्चशिक्षा एवं शिक्षकों के समस्याओं के सम्बन्ध में राजभवन में मिला। प्रतिनिधि मण्डल ने राजकीय एवं अनुदानित महाविद्यालयों में कार्यरत संविदा/ तदर्थ शिक्षकों के अद्यतन विनियमित करने, अनुदानित महाविद्यालयों में स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत चल रहे विषयों को अनुदान पर लेकर उनमें विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित कार्यरत संविदा शिक्षकों को विनियमित करने, जब तक उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा रिक्त पड़े शिक्षकों के पदों पर चयन करके नियुक्ति नहीं होती है तब तक निश्चित मानदेय पर शिक्षकों की नियुक्ति महाविद्यालयों द्वारा करने, राजकीय महाविद्यालयों में भी अवकाश प्राप्त शिक्षकों की मानदेय पर नियुक्तियाँ की जाँच, विश्वविद्यालयों में रिक्त पड़े प्रशासनिक अधिकारियों के पदों को भरने व इसके अलावा सभी विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में रिक्त पड़े शिक्षकों के पदों पर शीघ्र नियुक्तियाँ करने, विश्वविद्यालयों में सिटीजन चार्टर लागू करने।

सभी विश्वविद्यालय कम से कम 20 वर्ष पूर्व तक के स्नातक/स्नातकोत्तर के अंकपत्र महाविद्यालयवार एवं विषयवार पीएच.डी. की सूची अपनी-अपनी बेवसाइट पर डालने, परीक्षा परिणाम के साथ ही महाविद्यालयों के छात्रों की डिग्री भी प्रदान करने, प्रदेश के सभी विश्वविद्यालय/ महाविद्यालय राष्ट्रीय सेवायोजना/ एन.सी.सी./रोवर्स-रेंजर्स इकाइयों के माध्यम से स्वच्छता अभियान चलाने एवं अपनी खाली भूमि पर वृक्षारोपण कराने, सभी विश्वविद्यालय शिक्षकों की वरिष्ठता सूची एक जुलाई को नवीनीकृत करके बेवसाइट पर डालने एवं पंजीकृत स्नातक मण्डल की सूची से कोर्ट (सभा)के सदस्यों का चुनाव कराने आदि लम्बित कार्यों को शीघ्र निष्पादित कराने का आग्रह किया गया।

प्रतिनिधि मण्डल में प्रदेश के अध्यक्ष डॉ. दीनानाथ सिंह, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉ. निर्मला यादव, प्रदेश के संयुक्त महामंत्री तथा उच्चशिक्षा संवर्ग के प्रभारी महामंत्री डॉ. जगदीश सिंह दीक्षित लखनऊ विश्वविद्यालय एवं सम्बद्ध महाविद्यालय इकाई के कोषाध्यक्ष डॉ. हरनाम सिंह शामिल थे।

NEHRU PG COLLEGE

Opp Stadium, Krishi Mandi Road, Tonk (Raj)

(Affiliated with M.D.S University, Ajmer)

About us,

This college is affiliated with M.D.S University, Ajmer & also Authorized Exam Center of the university. We have successfully running technical, Academic and Management courses from last 9 years. Nehru PG college proves the commitment towards success of the students. We strat our mission with only 15 students in the season 2006-2007. And now in the season 2015-2016 with more than 1000 students.

Courses offered:-

Course	Duration	Eligibility	Starting Date	Admission Procedure
B.A.	3 years	10+2 in any discipline	July	On the Basis of Merit
B.Com.	3 years	10+2 in Commerce	July	On the Basis of Merit
B.Sc. (Bio/Maths)	3 years	10+2 in Science	July	On the Basis of Merit
BCA	3 years	10+2 in any discipline with 50% marks	July	On the Basis of Merit
M.SC. (IT)	2 years	Graduation in any discipline with 50% marks	July	On the Basis of Merit
PGDCA	1 year	Graduation in any discipline with 40% marks	July	On the Basis of Merit

Note:- Scholarship is provided by the government for the above courses under the categories SC/ST/SBC/OBC-BPL and minority candidates.

For Further Details Please

Call Us on: 7737112222/8233878020/01432-22426

Mail Us at: nehrucollegetonk@gmail.com

Ashok Jain Sudhir Jain Vishal Jain

Ashok Jain Shawl Emporium Pvt. Ltd.

B-III-987, Daresi Road, Near Daresi Police Station, Ludhiana
Ph. : (S) 0161-2744117, 2746444
Mobile : 98140-23737, 98144-16004, 98557-46555

MFRS. of : All Kinds of Shawls, Stolls, Ladies Suit, Lohi & Cloths

Website : www.ashokshawls.com
E-mail : ashokshawls@gmail.com

Reg. No. S. 6512/64-65

SHREE RAGHUNATH BALIKA VIDYALAYA

Pt. Chiranji Lal Mishra Marg, Near Railway Station, Lakshmangarh (Sikar)

- 01 जुलाई 1967 को पण्डित चिरंजीलाल मिश्र के प्रयासों से प्राथमिक विद्यालय के रूप में श्री रघुनाथ बालिका विद्यालय का शुभारम्भ किया गया जो कि आज पी.जी. महाविद्यालय तक क्रमोन्नत हो गया है।
- विद्यालय व महाविद्यालय में करीब 1500 छात्राएँ न्युनतम शुल्क पर अध्यापन कर रही हैं।
- कोई भी बालिका किसी भी कारण से शिक्षा प्राप्त करने से वंचित नहीं रहे यही लक्ष्य है।

Contact : 01573-222211 • E-mail : raghunathbalika@gmail.com

LALA LAJPAT RAI MEMORIAL
(P.G.) College of Education

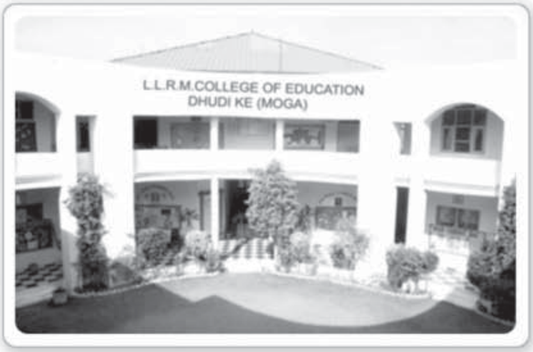

V.P. DHUDIKE, Distt. & Teh. Moga
(Punjab)-142002
Recognized by NCTE and UGC
under Section 2 (1) & 12 (b)
Permanently affiliated to
Panjab University Chandigarh
Accredited by NAAC with
CGPA of 3,14 at "A" Grade

Contact : 98140-55759, 92572-55759, 99885-31242
website : www.llrmce.org • E-mail : llrmedu@rediffmail.com

DAV College of Education

College Road, Fazilka-152123
(AFFILIATED TO PANJAB UNIVERSITY, CHANDIGARH)
(Recognised by National Council for Teacher Education)

Phone No : 01638-264146, 264147, Fax : 01638-264146
E-mail : dav_4146@yahoo.co.in www.davcollegefazilka.com

ॐ

विद्या भारती संस्थान जयपुर

(विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षण संस्थान से सम्बद्ध)

समाज प्रबोधन एवं बालक/बालिकाओं के सर्वांगीण विकास के बढ़ते चरण........

मा.शिक्षा बोर्ड वरीयता सूची 2015 में आये भैया/बहिनों को हार्दिक बधाई

द्वादशी विज्ञान

V[th] (97.00%)

विज्ञान

VI[th] (96.80%)
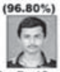
वाणिज्य

II[nd] (96.00%)

कला

IX[th] (93.40%)

कला

X[th] (93.20%)

दशमी

X[th] (97.17%)

XIV[th] (96.50%)
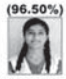

XIV[th] (96.50%)
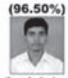

कुल तहसील =101, कार्ययुक्त तहसील = 95

कुल विकास खण्ड = 89, कार्ययुक्त विकास खण्ड = 82

क्र.	प्रान्त में जिले	विद्यालय स्तर						छात्र/छात्रा एवं आचार्य/आचार्या संख्या					
		शिशु वाटिका	प्राथमिक	उच्च प्राथ.	माध्यमिक	उच्च माध्य.	योग	भैया	बहिन	योग	आचार्य	आचार्या	योग
1	धौलपुर		4	3	8	1	16	2324	1287	3611	137	50	187
2	भरतपुर		8	13	11	1	33	5787	3374	9161	290	117	407
3	सवाईमाधोपुर		8	5	13	4	30	5838	4448	10286	295	95	390
4	करौली	1	13	1	8	2	25	5506	2852	8358	230	73	303
5	टोंक	1	12	10	18	4	45	7355	4752	12107	323	178	501
6	अलवर		8	19	11	1	39	5316	3400	8716	189	162	351
7	दौसा	1	14	20	16	3	54	11099	6439	17538	479	190	669
8	महानगर	15	15	6	4	13	53	6964	5651	12615	251	268	519
9	जयपुर जिला	3	18	8	17	6	52	7956	4920	12876	277	253	530
10	सीकर		11	3	7	7	28	3639	2734	6373	174	119	293
11	चूरू	2	16	13	9	5	45	8786	6069	14855	359	215	574
12	झुंझुनूं	1	6	4	7	2	20	1921	1460	3381	93	67	160
	योग	24	133	105	129	49	440	72491	47386	119877	3097	1787	4884

क्र.	प्रान्त में जिले	संस्कार केन्द्र							एकल शिक्षक विद्या.			
		संख्या	भैया	बहिन	योग	आचार्य	आचार्या	योग	संख्या	भैया/बहिन	आचार्य	आचार्या
1	धौलपुर	11	155	111	266	8	3	11				
2	भरतपुर	14	164	122	286	9	5	14	15	727	18	10
3	सवाईमाधोपुर	13	195	151	346	13		13				
4	करौली	12	209	76	285	12		12				
5	टोंक	18	234	170	404	11	7	18				
6	अलवर	10	157	118	275	3	7	10	11	349	6	5
7	दौसा	18	244	164	408	6	10	16				
8	महानगर	4	50	43	93	1	3	4				
9	जयपुर जिला	19	238	182	420	12	7	19				
10	सीकर	6	78	45	123	5		5	2	34	2	1
11	चूरू	38	439	386	825	14	9	23				
12	झुंझुनूं											
	योग	163	2163	1568	3731	94	51	145	28	1110	26	16

रामेश्वर प्रसाद खण्डेलवाल
अध्यक्ष

सुरेश कुमार वधवा
मंत्री

शैक्षिक मंथन के समस्त पाठकों को बहुत बहुत शुभकामनायें

आइए हम सब मिलकर

स्वच्छ स्वस्थ शिक्षित

भारत बनाने का संकल्प लें

टाक शिक्षा निकेतन

पुलिस लाइन्स,
अजमेर